एडसिल EdCIL

Education • Innovation • Transformation

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

क्षितिज से परे विस्तार

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

विषय सूची

विजन और मिशन विवरण 4-5

निगमित सूचना 06

एक दशक में एडसिल की विकास यात्रा 09

अध्यक्ष का भाषण 11

कार्पोरेट संचार 14

निदेशकों की रिपोर्ट 21

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध 30

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा टिप्पणियां 49

लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरण 93

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां 103

विज़न

"शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में गहन सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु विशेषज्ञता, सेवाएं और नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध कराने वाला एक उच्च प्रतिष्ठित परामर्शी और परियोजना प्रबंधन संगठन बनना"

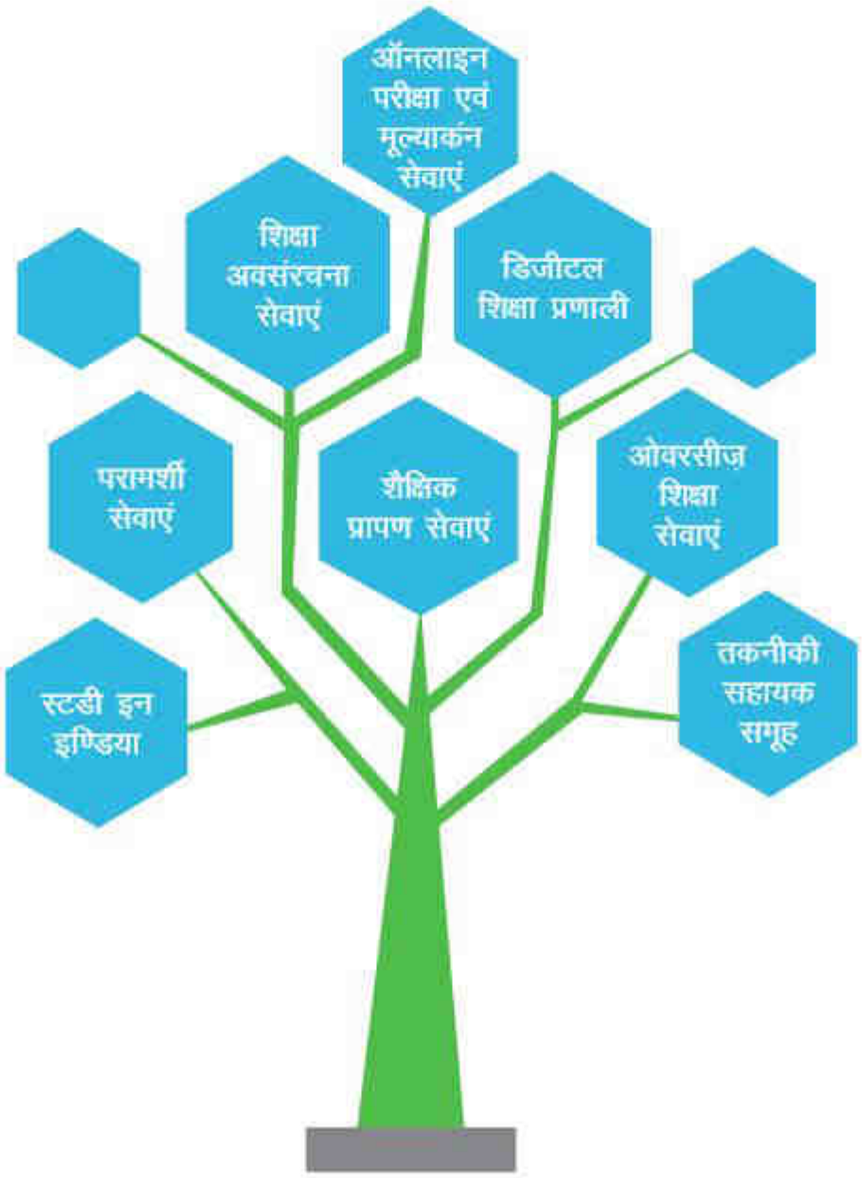

मिशन

"घरेलू और वैश्विक ग्राहकों हेतु उच्चतम दक्षता और नीतिपरक मानदंडों वाली अभिनव, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करके शैक्षिक और मानव संसाधन परिणामों में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रेरक और शिक्षा–जगत का पसंदीदा नियोक्ता बनना"

निगमित सूचना

वर्तमान निदेशक मंडल
(सामान्य वार्षिक बैठक की दिनांक के दिन)

श्री मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनिल कुमार राय
संयुक्त सचिव (संसद और समन्वय)
विदेश मंत्रालय के नामित सदस्य

श्री पाण्डेय प्रदीप कुमार
उप सचिव (टीई)
शिक्षा मंत्रालय के नामित सदस्य

वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री मनोज कुमार

नामित निदेशक
श्री अनिल कुमार राय – (28.10.2020 को नियुक्त)
श्री रॉबर्ट शेतकिटोंग – (28.10.2020 को कार्यकाल समाप्त)
श्री पाण्डेय प्रदीप कुमार – (01.07.2021 को नियुक्त)
डॉ. रेणुका मिश्रा – (01.07.2021 को कार्यकाल समाप्त)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री संदीप गोयल

कंपनी सचिव
श्री देवेंद्र के. शर्मा

निदेशक मंडल

(18.08.2021 की स्थिति के अनुसार)

श्री मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनिल कुमार राय
संयुक्त सचिव (संसद और समन्वय)
विदेश मंत्रालय के नामित सदस्य

श्री पाण्डेय प्रदीप कुमार
उप सचिव (टीई)
शिक्षा मंत्रालय के नामित सदस्य

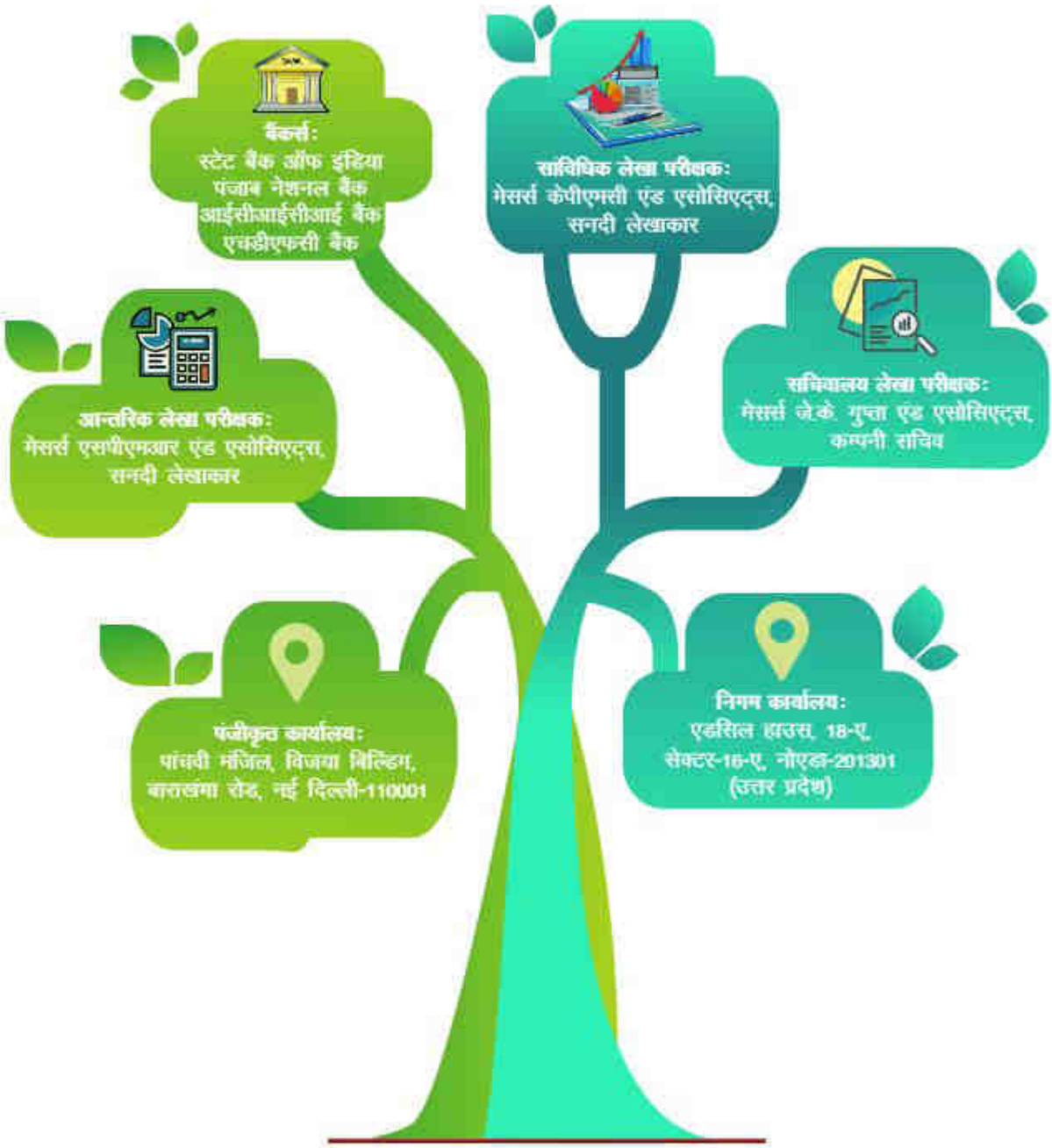
बैंकर्स:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
सांविधिक लेखा परीक्षक:
मेसर्स केपीएमजी एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
आन्तरिक लेखा परीक्षक:
मेसर्स एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
सचिवालय लेखा परीक्षक:
मेसर्स जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स,
कम्पनी सचिव
पंजीकृत कार्यालय:
पांचवी मंजिल, विजया बिल्डिंग,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001
निगम कार्यालय:
एडसिल हाउस, 18-ए,
सेक्टर-16-ए, नोएडा-201301
(उत्तर प्रदेश)

एक दशक में एडसिल की विकास यात्रा

पिछले 10 वर्षों के वित्तीय परिणाम
(कर्मचारियों की संख्या और प्रति शेयर आय को छोड़कर और यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो अन्य आँकड़े करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 12	वित्त वर्ष 13	वित्त वर्ष 14	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21
प्रवृत्त पूंजी	2	2	2	2	2	2	2	10	10	10
आरक्षित एवं अधिशेष	19.35	21.64	27.77	29.91	48.68	76.95	93.53	102.2	138.73	163.00
नियोजित पूंजी	20.01	22.74	28.63	29.6	60.98	88.34	102.7	115.62	154.78	176.00
निवल मूल्य	20.85	23.64	29.77	31.91	50.68	78.95	95.93	112.2	148.73	173.00
अचल संपत्तियां (नेट ब्लॉक)	5.43	5.29	5.32	4.82	4.63	5.11	5.01	41.04	40.12	39.44
टर्नओवर										
क) घरेलू व्यापार	53.38	58.41	68.46	71.66	168.3	155.3	219.8	281.55	284.19	323.88
ख) विदेशी व्यापार	33.11	2.44	2.54	2.48	2.01	2.9	68.95	35.71	42.05	8.95
कुल योग	86.49	60.85	71	74.14	170.3	158.2	288.7	317.27	326.24	332.83
विविध आय	3.48	3.64	4.91	4.04	5.28	10	5.46	3.96	6.20	10.28
कुल आय	89.97	64.49	75.9	78.18	175.6	168.2	294.2	321.23	332.44	343.11
ईबीआईटीडीए	4.27	8.57	14.45	7.46	47.33	47.71	55.41	44.33	57.28	50.33
मूल्यह्रास	0.38	0.41	0.39	0.36	0.35	0.42	0.5	0.55	1.09	0.89
कर पूर्व शुद्ध लाभ	3.89	8.16	14.05	7.1	46.99	47.29	54.91	43.79	56.19	49.44
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	2.45	5.26	8.73	5.08	30.97	28.45	35.95	30.08	40.92	36.89
लाभांश भुगतान	1.5	2	2	2	10	10	11	9.5	12.50	11.50
कर्मचारियों की संख्या	81	78	81	79	79	97	112	116	112	108
प्रति कर्मचारी आय	0.05	0.11	0.18	0.09	0.60	0.49	0.49	0.38	0.50	0.46
ईपीएस (रु.)	163	263	437	254	1,549	1,423	360	301	409.22	368.87
नियोजित पूंजी के प्रति निवल बिक्री	4	3	2	3	3	2	3	3	2.11	2
प्रवृत्त पूंजी का निवल मूल्य/प्रति रुपया	14	12	15	16	25	39	48	11	14.87	17.30

एडसिल – वित्तीय संसूचक

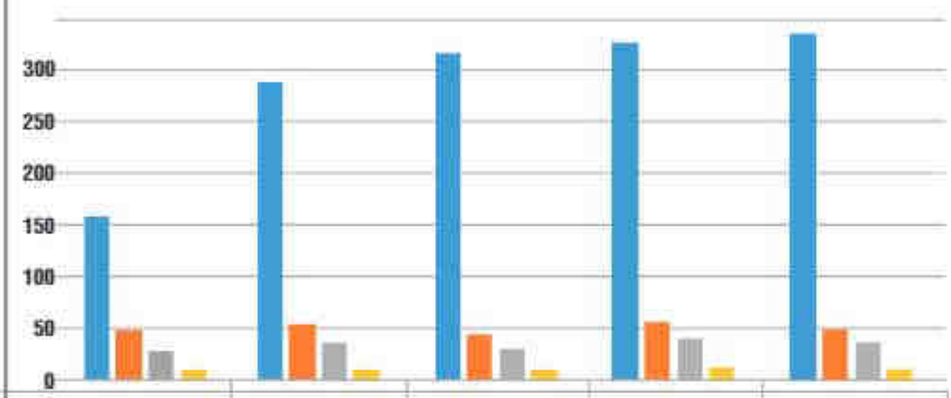

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
टर्न ओवर	158.22	288.74	317.27	326.24	332.83
कर पूर्व लाभ	47.29	54.91	43.79	56.19	49.44
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	28.45	35.95	30.08	40.92	36.88
लाभांश	10	11	9.5	12.50	11.5

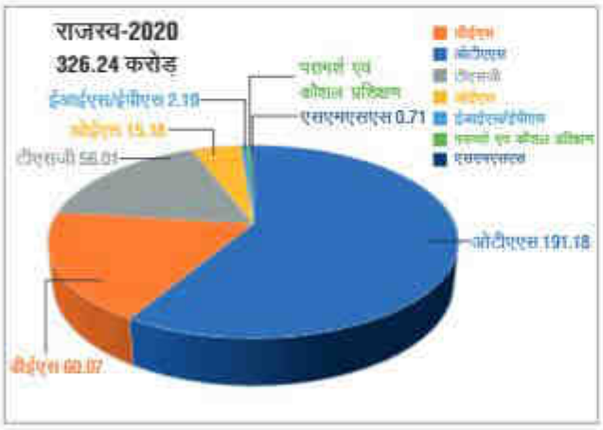

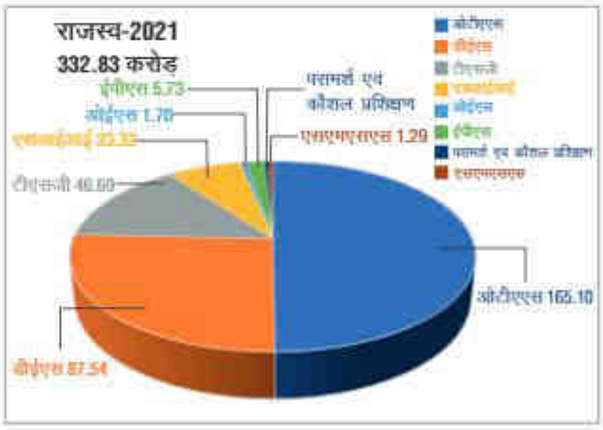

अध्यक्ष का भाषण

एडसिल के प्रिय सम्मानित शेयरधारको

मैं एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड और इसके निदेशक मंडल की ओर से कम्पनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का पूरे उत्साह से स्वागत करता हूँ।

अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आपकी उपस्थिति हम पर आपके विश्वास का प्रमाण है और यह कम्पनी को सफलता के नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

बैठक बुलाने की सूचना, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखा पहले से ही आपके पास उपलब्ध हैं और आपकी अनुमति से, मैं इन्हें पढ़ा मानता हूँ।

एडसिल का परिचालन प्रदर्शन

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 333 करोड़ रुपये का रिकार्ड कारोबार किया और पिछले कुछ वर्षों में इसने राजस्व हासिल करने में नई उंचाइयों को छुआ।

कम्पनी ने गत वर्ष के 326.24 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में, चालू वर्ष में 332.83 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 49.14 करोड़ रुपये का कर–पूर्व शुद्ध लाभ अर्जित किया।

डिजिटल शिक्षा सेवाएं और ऑनलाइन परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रभाग कम्पनी के प्रमुख व्यवसाय–क्षेत्रों (ओटीएएस) के रूप में उभरे हैं। ओटीएएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में देशभर के 100 से अधिक शहरों में फैले प्रमुख और दूरस्थ स्थानों पर कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित करके कार्मिकों का चयन करना शामिल है। इसमें विमानन, रेलवे, कोयला, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और विद्युत कम्पनियों तक के क्षेत्र शामिल थे। कम्पनी ने अनेक ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कम्पनी द्वारा संचालित की गई ऑनलाइन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में भाग लिया। यह व्यवसाय–क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरु किए गए "डिजिटल इंडिया" के थीम का समर्थन करता है।

कम्पनी ने डिजिटल शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें संस्थानों की नेटवर्किंग, वर्चुअल कक्षाएं, डिजिटलीकरण, स्मार्ट क्लासरूम, मुक्त शिक्षण आदि शामिल है और शैक्षिक आधारभूत संरचना संबंधी अनेक अन्य टर्न–की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इस प्रयास से आने वाले वर्षों में और–अधिक राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है।

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना कम्पनी के लिए विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक बना रहा। "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत विदेशी छात्रों के मार्केट शेयर में वृद्धि करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

लाभांश

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान (अंकित मूल्य 100/– प्रति शेयर पर) 115/–रु. प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जिसकी कुल राशि 11.5 करोड़ रुपये है तथा इसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है। हालांकि, अंतिम लाभांश का भुगतान कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। इस लाभांश के भुगतान के पश्चात, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को लाभांश के रूप में भुगतान की संचित राशि 84.85 करोड़ रुपये होगी।

निकट भविष्य की रूपरेखा

निकट भविष्य में कम्पनी विकास की गति को बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में उभरने वाले बड़े अवसरों का लाभ उठाने हेतु लोगों की क्षमताओं और प्रक्रियाओं दोनों में सुधार करने और इस क्षेत्र में बड़े स्तर का सकारात्मक परिवर्तन लाने की आकांक्षा रखती है। रणनीतिक रूप से डिजिटल शिक्षा सेवा और ऑनलाइन परीक्षा के क्षेत्रों पर लगातार ध्यान केंद्रित रखा जाएगा। कम्पनी को प्रभावपूर्ण सेवा प्रदाता बनाने की राह में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने वाली है।

कम्पनी की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन किया गया है और इसे नया बनाया जा रहा है। मानव संसाधन नीति को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। अनेक अन्य प्रक्रियागत परिवर्तन किए जा रहे हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कम्पनी ने सीएसआर गतिविधियों से संबंधित कानूनों के अनुसार सीएसआर बजट लक्ष्य प्राप्त किया। समय–समय पर आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सुझाई गई और अनुमोदित रूपरेखा के अनुरूप व्यय को नियोजित और निष्पादित किया गया। कम्पनी की सीएसआर परियोजनाओं में मोटे तौर पर सशस्त्र बलों, स्वच्छता और प्रधानमंत्री राहत कोष इत्यादि शामिल थे।

वित्त वर्ष 2020–21 के निर्धारित सीएसआर व्यय गत वर्षों के आगे लाए गए 58.13 लाख सहित 163.13 लाख रुपये का था जबकि वास्तविक खर्च की गई राशि 164.05 लाख रुपये की थी जो कम्पनी की सामाजिक दायित्वों के प्रति इसकी निष्ठा को दर्शाता है।

निगमित शासन

कम्पनी इस दर्शन में विश्वास रखती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन से भी आगे है और इसीलिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करती है। यह कम्पनी कोर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों और कम्पनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन करती है।

निदेशक मंडल की बैठक समय–समय पर होती हैं, जिनके ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट से संलग्न कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं। वर्तमान में कम्पनी के दो सरकारी नामित निदेशक और एक कार्यकारी निदेशक अर्थात् सीएमडी हैं। वर्तमान में स्वतन्त्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। कम्पनी ने शिक्षा मंत्रालय से स्वतन्त्र अंशकालिक निदेशकों की रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड स्तर पर निदेशक (व्यवसाय विकास) का पद पीएसईबी में भर्ती के चरण में है।

मानव संसाधन

31.3.2021 को कम्पनी की कुल जनशक्ति की संख्या 108 (73 कार्यकारी और 35 गैर–कार्यकारी) थी। कम्पनी ने इस क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न स्तरों के और–अधिक पेशेवरों को साथ जोड़ने का कार्य बड़े स्तर पर जारी रखा। नए कर्मचारियों को वरिष्ठ पेशेवरों के मार्गदर्शन में ऑन–द–जॉब और ऑफ–द–जॉब प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से भविष्य में उच्चतर पदों का दायित्व सम्भालने के लिए तैयार किया जा रहा है।

परियोजना प्रबंधन और परामर्शदाता कम्पनी होने के कारण कर्मचारियों को सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। तदनुसार, मौद्रिक भत्तों, प्रशिक्षण, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रियाओं आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे भविष्य में बेहतर प्रतिभाओं में अभिप्रेरण को बढ़ाने, उन्हें आकर्षित करने और कम्पनी में बनाए रखने की आशा की जाती है।

अंत में, मैं अपने सभी शेयरधारकों को उनके सतत समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका समर्थन और प्रोत्साहन आने वाले वर्षों में भी मिलता रहेगा।

कोविड–19

कोविड–19 महामारी ने वित्त वर्ष 2020–21 में कम्पनी के कारोबार पर प्रतिकूल असर डाला और नियंत्रण से परे की परिस्थितियों एवं आवाजाही पर राष्ट्रव्यापी रोक के कारण कम्पनी निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकी। अतः इसके प्रमुख व्यवसाय–क्षेत्रों अर्थात् ओटीएएस और डीईएस के कारोबार की मात्रा हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। तथापि, एडसिल की टीम ने कोविड–19 के प्रतिकूल असर को न्यूनतम रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए। कम्पनी ने अपने कर्मचारियों और हितधारकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण का ध्यान रखा है।

कोविड–19 की ऐसी सभी बाधाओं के बावजूद, कम्पनी 333 करोड़ रुपये का कारोबार बुक करने में सक्षम रही।

आभार

निदेशक मंडल की ओर से, मैं शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विदेशों में भारतीय मिशनों और अन्य हितधारकों द्वारा कम्पनी को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कम्पनी के विकास में बोर्ड के निदेशकों के द्वारा प्रदत्त सतत सुझावों और बहुमूल्य योगदान के लिए उनको भी सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

हम पर निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों, बैंकरों, ग्राहकों, विक्रेताओं, सहयोगियों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, शेयरधारकों और उपस्थित आप सभी को हमारा विशेष धन्यवाद।

अब हम वित्तीय वर्ष 2020–21 के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरणियों और अनुबंधों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं।

कृते बोर्ड और उसकी ओर से
हस्ता/–
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08636099

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 31.12.2021

कार्पोरेट संचार

वेबसाइट:

- वेबसाइट – लाइव और अद्यतित
- इंट्रानेट – पूरी तरह से कार्यात्मक
- सतर्कता संबंधी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध

समारोह:

- प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम वर्चुअल मोड में सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

एडसिल लाभांश का चेक प्रदान करते हुए

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई, एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड ने वर्ष 2019–20 के लिए 12.5 करोड़ रुपये का (कोविड महामारी की स्थिति के होते हुए भी एडसिल द्वारा अब तक का सर्वोच्च) लाभांश दिया।

माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने श्री राकेश रंजन, अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा), डॉ. रेणुका मिश्रा, निदेशक (तकनीकी शिक्षा) और मंत्रालय तथा एडसिल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री मनोज कुमार, सीएमडी–एडसिल से चेक ग्रहण किया।

कम्पनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान 326 करोड़ रुपये का कारोबार और 56 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ दर्ज किया।

एडसिल शिक्षा संबंधी विभिन्न व्यवसायिक–क्षेत्रों आईसीटी/आईटी समाधानों, ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाओं, परामर्शी सेवाओं, अवसंरचना, पीएमसी, प्रापण और ओवरसीज शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन और परामर्शी समाधान उपलब्ध कराती है।

देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी छात्रों के प्रवेश में वृद्धि करने हेतु एडसिल द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना "स्टडी इन इंडिया" को क्रियान्वित किया जा रहा है।

एडसिल की 39वीं वार्षिक आम बैठक

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड, मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई की 39वीं वार्षिक आम बैठक वर्चुअल मोड में 27 जनवरी, 2021 को हुई थी। श्री राकेश रंजन, अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) ने इसकी अध्यक्षता की।

श्री मनोज कुमार, सीएमडी, एडसिल ने वित्त वर्ष 19–20 के दौरान कम्पनी की उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में 326.24 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम कारोबार दर्ज किया जो गत वर्ष के कारोबार से तुलनात्मक रूप से उच्चतर है। कर–पूर्व लाभ 56.19 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कम्पनी की आर्डर बुक में मजबूती बनी हुई है और वर्ष 2020–21 में और–अधिक विकास होगा।

एडसिल ने वित्त वर्ष 19–20 में 12.5 करोड़ रुपये का लाभांश भी घोषित किया था।

हिन्दी पखवाड़ा

एडसिल (भारत सरकार का मिनी रत्न श्रेणी–1 सीपीएसई) ने 14 से 28 सितंबर 2020 तक पूरे जोश और उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा मनाया और समापन समारोह में पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा प्रारूपण, निबंध, भाषण, कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी जैसी कई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

सतर्कता सप्ताह

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार के एक मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसईए) द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत'' के विषय पर 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 मनाया गया।

सीवीओ श्री पीकेएस शिशोदिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित श्री मनोज कुमार, सीएमडी द्वारा 27 अक्टूबर, 2020 को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। 02 नवंबर 2020 को, सीएमडी ने सभी कर्मचारियों को संबोधित किया और सप्ताह के दौरान आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों अर्थात निबंध लेखन, स्व–रचित कविता, वाद–विवाद, नारा लेखन आदि के विजेताओं की घोषणा की गई।

महिला दिवस

एडसिल ने 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मनोज कुमार, सीएमडी–एडसिल और महिला कर्मचारियों सहित डॉ उत्तम सपटे ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। सीएमडी ने समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके सशक्तिकरण पर जोर देते हुए 2021 के विषय "चुनौती हेतु चयन" पर संबोधित किया। इसके पश्चात् केक काटा गया और सीएमडी द्वारा महिला कर्मचारियों को उपहार कार्ड वितरित किए गए। इस उत्सव में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर चर्चा, महिला कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन और खेल शामिल थे। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

स्वतन्त्रता दिवस

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड, (भारत सरकार के मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई) ने 15 अगस्त, 2020 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, नोएडा में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में हमारे सम्मानित राष्ट्रगान के गायन के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराया।

इस अवसर पर, सीएमडी एडसिल ने कहा, "महान पुरुषों और महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के महान सपने को साकार करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसने हमारे देश की नियति को बदल डाला।" उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हमारे राष्ट्रीय नायकों द्वारा दिए गए योगदान और उनके प्रयासों से राष्ट्र का निर्माण हुआ।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री मनोज कुमार ने "नई शिक्षा नीति" के पक्ष में बात करते हुए इस नीति के तहत की गई बड़े स्तर की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "नई शिक्षा नीति हमारे देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए सही दिशा में एक कदम है और यह भारत को शिक्षा का एक बहुत–बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी सिद्ध होगी।"

निदेशकों की रिपोर्ट

सूचना

इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के सदस्यों की 40वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) नीचे दी गई समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी:

दिनांक एवं दिन	शुक्रवार, 31 दिसम्बर, 2021
समय	12.00 अपराह्न
स्थान	वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से (ओएवीएम)।

निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न करने हेतु:

सामान्य कार्य:-

1. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित तुलन–पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के संबंध में कम्पनी के लाभ एवं हानि खाते की विवरणी, सांविधिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल की रिपोर्टों के सहित नकदी प्रवाह विवरणी तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
2. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 11.5 करोड़ का अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3. वित्त वर्ष 2020–21 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की फीस को 2,75,000/– रु. से बढ़ाकर 3,50,000/– रु. करना।

विशेष कार्य :–

कोई नहीं

बोर्ड के आदेश से
कृते एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ:-

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी की परिस्थिति के दृष्टिगत, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में उल्लेखित) के साथ पठित इसके परिपत्र दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से, वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"/ "बैठक") को किसी एक साँझे स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य–श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है।
2. क्योंकि यह एजीएम एमसीए के परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना की जाएगी। तदनुसार, इस एजीएमम के लिए सदस्यों द्वारा परोक्षियों (प्रॉक्सी) नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी। अतः इसके साथ परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची संलग्न नही हैं।

3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम को ज्ञात करने के प्रयोजन से गणना में ली जाएगी।

4. क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होगी, इसलिए बैठक स्थल का रूट–मैप इसके साथ संलग्न नहीं है।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ख) और 189(4) के प्रावधान के अनुसरण में, कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण हेतु खुला रखा जाने वाला रजिस्टर बैठक में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बैठक की कार्यवाही के दौरान देखने हेतु उपलब्ध रहेगा।

बोर्ड के आदेश से
कृते एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांक : 30 दिसम्बर, 2021
स्थान : दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

2020-21 की पूर्व व्याप्ति में

क. वित्तीय समीक्षा:

इस वर्ष कम्पनी के कारोबारी निष्पादन में शानदार वृद्धि देखने को मिली क्योंकि प्राप्त राजस्व के आँकड़े वित्त वर्ष 20–21 के दौरान अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गए।

इस वर्ष के संबंध में कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं, जैसेकि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी में प्रस्तुत की गई हैं, गत वर्ष से संबंधित समरूपी प्रदर्शन सहित नीचे प्रस्तुत हैं:

वित्तीय प्रदर्शन (राशि करोड़ में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	प्रसरण	
				पूर्ण	सापेक्ष
संचालन से राजस्व	(क)	332.83	326.24	6.58	2%
प्रत्यक्ष व्यय					
परियोजना व्यय		186.90	194.64	-7.73	-3.97%
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		77.53	37.75	39.78	105.39%
माल सूची में परिवर्तन		-	6.39	-6.39	-100%
कर्मचारी लाभ व्यय		23.38	26.24	-2.85	-10.88%
कुल	(ख)	287.81	265.01	22.80	8.60%
व्यवसाय संचालन से लाभ	(ग)	45.02	61.24	-16.22	-26.48%
अप्रत्यक्ष व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		0.89	1.09	-0.20	-18.35%
अन्य व्यय		4.28	9.78	-5.50	-56.25%
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		1.64	0.42	1.22	290.47%
कुल	(घ)	6.81	11.29	-4.48	-39.68%

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	प्रसरण	
				पूर्ण	सापेक्ष
अप्रत्यक्ष आय	(ङ)	10.28	6.20	4.08	65.81%
पूर्व अवधि की मदें (निवल)	(च)	-1.04	-0.04	-1.00	2500%
असाधारण मदें	(छ)	0.09	0.01	0.08	800%
ईबीआईटीडीए		50.33	57.28		

खंड विश्लेषण

(राशि करोड़ में जब तक कहा नहीं जाता)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
व्यवसाय खंडों के आधार पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व		
डिजिटल शिक्षा प्रणाली	78.68	60.07
ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाएं	165.10	191.18
तकनीकी सहायता समूह	46.69	56.02
अन्य	42.36	18.97
कुल	332.83	326.24
व्यवसाय खंडों के आधार पर व्यय		
डिजिटल शिक्षा प्रणाली	72.30	46.51
ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाएं	120.10	126.08
तकनीकी सहायता समूह	41.40	50.24
अन्य	30.63	15.94
कुल	264.43	238.77
अभिज्ञात व्यवसाय खंडों का शुद्ध परिणाम		
डिजिटल शिक्षा प्रणाली	6.38	13.56
ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाएं	45.00	65.11
तकनीकी सहायता समूह	5.29	5.77
अन्य	11.73	3.03
कुल	68.40	87.47
जोड़ें:– अन्य आय	10.28	6.20
घटाएं:– असंबद्ध व्यय	29.24	37.48
कर–पूर्व शुद्ध लाभ	49.44	56.19
घटाएं:– कर व्यय	12.55	15.27
कर–पश्चात् लाभ	36.89	40.92

लाभांश:

इसके अतिरिक्त, कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के संबंध में 115/– प्रति शेयर का लाभांश (प्रति शेयर अंकित मूल्य 100/– रु.) देने की सिफारिश की है, जो लाभांश वितरण कर को छोड़कर 11.5 करोड़ रुपये है। हालांकि अंतिम लाभांश का भुगतान कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। इस लाभांश का भुगतान करने के बाद, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को लाभांश के लिए संचित भुगतान 84.85 करोड़ रुपये होगा।

ख. परिचालन समीक्षा

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 332.83 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया और पिछले दो वर्षों में इसके द्वारा हासिल की गई राजस्व की ऊंचाई से और–अधिक वृद्धि हासिल करने में सफल रही।

चालू वर्ष में कम्पनी ने पिछले वर्ष में 326.24 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 332.83 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 49.44 करोड़ रुपये का कर–पूर्व शुद्ध लाभ प्राप्त किया। परियोजनाओं का सार **अनुबंध-XII** में दिया गया है।

डिजिटल शिक्षा सेवा और ऑनलाइन परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रभाग कम्पनी के प्रमुख व्यवसाय–क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। ओटीएएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में देशभर के 100 से अधिक शहरों में फैले प्रमुख और दूरस्थ स्थानों पर कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित करके कार्मिकों का चयन करना शामिल है। इसमें विमानन, रेलवे, कोयला, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और बिजली कम्पनियों तक के क्षेत्र शामिल थे। कम्पनी ने एम्स, डीएफसीसीआईएल और ईएसआईसी सहित अनेक ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कम्पनी द्वारा संचालित की गई ऑनलाइन परीक्षाओं में 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यह व्यवसाय–क्षेत्र (वर्टिकल) माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरु किए गए 'डिजिटल इंडिया' के थीम का समर्थन करता है।

कम्पनी ने डिजिटल शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें संस्थानों की नेटवर्किंग, वर्चुअल कक्षाएं, डिजिटलीकरण, स्मार्ट क्लासरूम, मुक्त शिक्षण आदि शामिल हैं और शैक्षिक आधारभूत संरचना संबंधी अनेक अन्य टर्न–की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इस प्रयास से आने वाले वर्षों में और–अधिक राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है।

लगातार प्राप्त हो रहे आर्डरों के कारण प्रापण सेवाओं से संबंधित व्यवसाय–क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। कम्पनी ने शिक्षा प्रापण प्रभाग के तहत उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न उत्पादों की श्रेणी को सूचना प्रौद्योगिकी और प्रयोगशाला उपकरणों तथा फर्नीचर आदि के दायरे तक फैला लिया है।

परामर्श व्यवसाय से कारोबार की मात्रा 1.46 करोड़ रुपये की थी। जिन क्षेत्रों को कम्पनी के व्यवसाय–क्षेत्र के दायरे में लाया गया है, उनमें शिक्षा, विमानन, रेलवे, एमएसएमई और वाणिज्य क्षेत्र शामिल हैं।

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना कम्पनी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। विदेशी छात्रों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने हेतु 2018 में शुरू किया गया "स्टडी इन इंडिया" अभियान जारी है।

ग. निदेशकों की बैठक

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन का विवरण **'अनुबंध–I'** में रखी गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने पाँच बार बैठक की, जिनका ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल कम्पनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

घ. वार्षिक विवरणी का सार

यह '**अनुबंध–II**' में दिया गया है।

ङ. निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी

(क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, वस्तुनिष्ठ सूचनाओं को शामिल न किए जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू करते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिए व आकलन किए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय मामलों के संबंध में सही और निष्पक्ष स्थिति के साथ–साथ उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ और हानि को दर्शाया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कम्पनी की सम्पत्ति के संरक्षण और धोखा–धड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा को लाभकारी कारोबार वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया है; और

(ङ) निदेशकों ने कम्पनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियों को अभिकल्पित किया और ये प्रणालियाँ पर्याप्त और कारगर रहीं।

च. स्वतन्त्र निदेशकों की घोषणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के संदर्भ में, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह अनिवार्य घोषणा की जाती है कि वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में प्रदत्त निष्पक्षता के मानदंडों को पूरा करता है।

वित्त वर्ष 20–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त होने के कारण, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकी।

– सांविधिक लेखापरीक्षक और सीएजी लेखा परीक्षा

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा की गई है। उनके द्वारा जारी टिप्पणियों के उत्तर और उनकी सार्थकता '**अनुबंध–III**' मे दी गई है।

ज. सचिवालय लेखापरीक्षा

कम्पनी सचिवों की एक फर्म द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार सचिवालय लेखापरीक्षा की गई है। विनिर्दिष्ट प्रारूप में रिपोर्ट, उनके द्वारा जारी टिप्पणियों के उत्तर और उनकी सार्थकता '**अनुबंध–IV**' में दी गई है।

झ. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा–186 के तहत उल्लिखित किसी भी पक्ष के साथ कोई ऋण, गारंटी या समझौता नहीं किया गया था।

ञ. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट '**अनुबंध–V**' में दी गई है।

ट. जिस वित्तीय वर्ष के संबंध में यह वित्तीय विवरण है, उसके अंत में और उसकी रिपोर्ट की तारीख को कोई उल्लेखनीय परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं घटित नहीं हुई हैं।

ठ. कम्पनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो ऐसे जोखिमों के तत्वों को चिह्नित करने में सहायता करती है, जिनसे कम्पनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

ड. कम्पनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए निर्धारित व्यय के संबंध में 164.05 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। वित्त वर्ष 2020–21 से संबंधित इस राशि का ब्यौरा "**अनुबंध–VI**" में दिया गया है।

ढ. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन:

(क) ऊर्जा संरक्षण–

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या इस पर पड़ा सकारात्मक असर;

–सभी बिजली के उपकरणों को उपयोग में न होने पर बंद करना सुनिश्चित किया गया।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कम्पनी द्वारा उठाए गए कदम;

– गलियों और कैंटीन की लाइटें सौर ऊर्जा आधारित हैं। इसके लिए सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश;

– वित्त वर्ष 2020–21 में ऊर्जा संरक्षण पर कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया।

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन का ब्यौरा **'अनुबंध-VII'** में दिया गया है।

ण. कम्पनी ने कर–पश्चात् लाभ का 10% लाभ सामान्य आरक्षित निधि में रखना और कर–पश्चात् लाभ का 0.33% कर्मचारी कल्याण निधि में रखना प्रस्तावित किया है।

त. 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि "**अनुबंध–VIII**" में दर्शायी गई है।

थ. सीएफओ प्रमाणन:

सीएफओ ने लेखापरीक्षा समिति में घोषित किया है कि वित्तीय विवरणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचियों, लागू लेखा नीतियों, लेखा सिद्धांतों और लेखा मानकों के आधार पर तैयार किया गया है।

द. सतर्कता तंत्र:

कम्पनी एक उच्च नैतिक और पारदर्शी इकाई के रूप में पहचान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कायम है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सिस्टम सुधार पर जोर देते हुए निवारक सतर्कता सहित नियमित सतर्कता संबंधी कदम भी उठाए गए। श्री पी.के.एस. शिशोदिया को कम्पनी के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

ध. वर्ष 2020–21 के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

न. मानव संसाधन नियम–पुस्तिका

कम्पनी ने मानव संसाधन नियम–पुस्तिका तैयार की है। कम्पनी की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें समय–समय पर संशोधन किया गया है।

प. कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (ई–पीएमएस)

एडसिल ने अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) लागू की है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन उद्देश्यों को बिजनेस वैल्यू चेन से जोड़ने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाना है। कम्पनी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन को एक वस्तुपरक, पारदर्शी और पक्षपात–रहित प्रक्रिया बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यनिष्पादन मूल्यांकनों का सीधा–संबंध अधिकारियों के विकास और करियर प्रबंधन से है। कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली सभी अधिकारियों में नैतिक मूल्यों को भरने और उनमें क्षमता विकसित करने का कार्य भी करती है।

फ. आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन

एडसिल भर्ती हेतु एससी / एसटी / ओबीसी / और पीडब्ल्यूडी के लिए तथा पदोन्नति एससी / एसटी के लिए आरक्षण, छूट और रियायत संबंधी राष्ट्रपति के निदेशों और भारत सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 31.3.2021 को कर्मचारियों की कुल जनशक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व निम्नप्रकार था:

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	प्रतिनिधित्व
1	एससी	25
2	एसटी	4
3	ओबीसी	24
कुल प्रतिनिधित्व		53

इस प्रकार, कुल 108 कर्मचारियों में से 53 कर्मचारी (49.07%) एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में से हैं।

ब. प्रशिक्षण और विकास

संगठन की समग्र रणनीति के साथ संगति बैठाते हुए और व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वर्षभर के कार्यक्रमों की सूची वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर निकाला जाता है। हालांकि, कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, वित्त वर्ष 2020–21 में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किए जा सके।

कुल मिलाकर, दिनांक 30.7.2020 से 31.7.2020 तक सीएसआर के विषय पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण संचालित किया गया था। श्रीमती पी. जयंती को इस प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और वह इस प्रशिक्षण में निर्धारित तारीखों को उपस्थित रहीं।

भ. राष्ट्रपति के निर्देश

फा.स.18–35 / 2017–टीसी दिनांकित 15 नवम्बर, 2017 के माध्यम से जारी, बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे के स्तर के अधिकारियों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बिना यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के संशोधित वेतन से संबंधित राष्ट्रपति के निदेशों को एडसिल में दिनांक 01.01.2017 से लागू कर दिया गया था।

कृते बोर्ड और उसकी ओर से

हस्ता/–
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08636099

दिनांक : 30.12.2021
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध

अनुबंध – I

निगमित शासन रिपोर्ट

1. निगमित शासन संबंधी एक संक्षिप्त विवरण

निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और संगठनात्मक–संरचना उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन और कार्यनिष्पादन की निगरानी की प्रणाली को तय किया जाता है। यह कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करता है। निगमित शासन का मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाकर अधिकतम करना और सभी घटकों के बीच भरोसे एवं विश्वास का माहौल बनाने के लिए ग्राहकों, कर्मचारियों और पूरे समाज जैसे अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

कम्पनी का दर्शन

कम्पनी का दर्शन पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही, गोपनीयता, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना है जो पूरी तरह से कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

कम्पनी की एक सुपरिभाषित नीतिगत रूपरेखा है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता।

2. निदेशक मंडल:

2.1 एडसिल के निदेशक मंडल की अनुमोदित संरचना इस प्रकार है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- मानव संसाधन मंत्रालय का एक नामिती।
- विदेश मंत्रालय का एक नामिती।
- चार स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड में कार्मिकों की संख्या

रिपोर्ट की तारीख को, कंपनी के निदेशक मंडल की कुल संख्या तीन है जिसमें एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, शिक्षा मंत्रालय से एक अंशकालिक नामित निदेशक, विदेश मंत्रालय से एक अंशकालिक नामित निदेशक और दो स्वतंत्र/ गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 07.02.2020 से समाप्त हो गया। वर्तमान में स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। कंपनी ने शिक्षा मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस स्तर को बढ़ाने के लिए बोर्ड स्तर पर निदेशक (व्यवसाय विकास) के पद के सृजन का प्रस्ताव दिया था जो पीईएसबी में भर्ती के चरण में है।

2.3 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल ने कामकाज के संबंध में पांच बार बैठक की और बोर्ड की बैठकों से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया। निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) की

उप धारा (1) के खंड (जी) के तहत अनुपस्थिति का अवकाश मंजूर किया गया था। एडसिल के निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	बैठक संख्या	दिनांक
1	167वीं बैठक	15 जुलाई, 2020
2	168वीं बैठक	21 अगस्त, 2020
3	169वीं बैठक	12 नवम्बर, 2020
4	170वीं बैठक	07 जनवरी, 2021
5	171वीं बैठक	05 फरवरी, 2021

निदेशक का नाम	167 वीं	168 वीं	169 वीं	170 वीं	171 वीं
श्री मनोज कुमार	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
डॉ. रेणुका मिश्रा	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	नहीं	नहीं
श्री रॉबर्ट शेतकिंटॉन्ग	जी हाँ	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नही	लागू नहीं
श्री अनिल कुमार रॉय	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ

2.4 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को दी गई फीस।

स्वतंत्र निदेशकों के पद वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान रिक्त थे अतः ऐसी कोई सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया।

3. समितियाँ

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जीएम दिनांक 14 मईए 2010 के माध्यम से जारी सार्वजनिक उद्यम विभाग से प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एडसिल के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति का गठन किया। समिति का प्राथमिक कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त और कंपनियों की लेखापरीक्षा, लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की समीक्षा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में निदेशक मंडल की सहायता करना है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों से मिलती है और उनके निष्कर्षों के सुझाव और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख लेखा नीतियों की भी समीक्षा करती है।

संदर्भ की शर्तें:

लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग जारी सीपीएसई के निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना और जनशक्ति

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त होने के दृष्टिगत, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 12/11/2020 को निम्न को सम्मिलित करके किया गया:

श्री मनोज कुमार (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

श्री अनिल कुमार राय, सरकार द्वारा नामित निदेशक, विदेश मंत्रालय

डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, शिक्षा मंत्रालय

3.2 क) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक (बैठकों) में सदस्यों की उपस्थिति:

क्र. एवं बैठक की दिनांक / निदेशक उपस्थित/अनुपस्थित	24वीं बैठक (21.08.2020)	25वीं बैठक (18.12.2020)	26वीं बैठक (07.01.2021)	27वीं बैठक (05.02.2021)
श्री मनोज कुमार	नहीं	जी हां	जी हाँ	जी हाँ
डॉ. रेणुका मिश्रा	जी हाँ	जी हाँ	नहीं	नहीं
श्री अनिल कुमार राय	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री रॉबर्ट शेतकिंटॉन्ग	लागू नहीं	नहीं	जी हाँ	जी हाँ

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार, एनआरसी में तीन या अधिक गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होने हैं, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों का पद रिक्त होने और कंपनी में केवल दो गैर–कार्यकारी निदेशक होने के कारण, एनआरसी का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

निगमित सामाजिक दायित्व समिति:

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता का अर्थ व्यवसाय, जो पारदर्शी और नैतिक हो, को एक किफायती, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ तरीके से संचालित करने की कम्पनी के अपने हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता से है। हितधारकों में कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, ग्राहक, नागरिक समाज समूह, सरकारी और गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और सम्पूर्ण समाज शामिल हैं।

प्रत्येक सीपीएसई को सीएसआर और धारणीयता संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी के इस एजेंडे को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने हेतु उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक या एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तर की समिति की आवश्यकता होती है।

दिशानिर्देशों के संदर्भ में, समझौता ज्ञापन में गैर वित्तीय मानकों के तहत सीएसआर और धारणीयता को अनिवार्य तत्व के रूप में शामिल किया गया है।

दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बोर्ड ने पहले सीएसआर और धारणीयता समिति का गठन किया और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया।

सीएसआर समिति की संरचना

स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त होने के दृष्टिगत, समिति का पुनर्गठन दिनांक 12/11/2020 को निम्नप्रकार किया गया:

1. श्री मनोज कुमार (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) : अध्यक्ष
2. श्री अनिल कुमार राय, सरकार द्वारा नामित निदेशक, विदेश मंत्रालय : सदस्य
3. डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय : सदस्य

समिति के विचार्थ वही विषय हैं जो कम्पनी अधिनियम और डीपीई के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक हैं।

3.2 ख) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी की सामाजिक दायित्व (सीएसआर) बैठक (बैठकों) में सदस्यों की उपस्थिति

निदेशक उपस्थित/अनुपस्थित / क्र. एवं बैठक की दिनांक	8वीं बैठक (21.08.2020)	9वीं बैठक (05.02.2021)
निदेशक उपस्थित/अनुपस्थित		
श्री मनोज कुमार	जी हाँ	जी हाँ
डॉ. रेणुका मिश्रा (सदस्य)	जी हाँ	नहीं
श्री रॉबर्ट शेतकिंटॉन्ग (सदस्य)	जी हाँ	लागू नहीं
श्री अनिल कुमार राय	लागू नहीं	जी हाँ

3.3. सचिवालयी मानक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक में सचिवालयी मानक (एसएस–1) और आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानक (एसएस–2) का पालन किया गया है।

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण:

कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक पर की जाती है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पारिश्रमिक का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-II** में दिया गया है।

5. आम बैठकें

5.1 वार्षिक आम बैठकें (एजीएम)

कम्पनी की वार्षिक आम बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं जहाँ पर कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	स्थान	तिथि	समय
वित्त वर्ष 2017–18 की 37वीं वार्षिक आम बैठक	कमरा सं.127, सी–विंग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	28.09.2018	17:00 बजे
वित्त वर्ष 2018–19 की 38वीं वार्षिक आम बैठक	सम्मेलन कक्ष (कमरा सं.112–सी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	26.12.2019	10:30 बजे
वित्त वर्ष 2019–20 की 39वीं वार्षिक आम बैठक	अन्य दृश्य एवं श्रव्य साधनों से	27.01.2021	03:00 बजे

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक आम बैठक	वित्त वर्ष	विशेष संकल्प की विषय–वस्तु	तिथि
37वीं	2017–18	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं हुआ	28.09.2018
38वीं	2018–19	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं हुआ	26.12.2019
39वीं	2019–20	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं हुआ	27.01.2021

6. कारोबार का संव्यवहार और नीतिपरक–आचार संहिता

कम्पनी में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक आचार संहिता है। बोर्ड ने 29.08.2011 को आयोजित निदेशक मंडल की 126वीं बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता को मंजूरी दी थी।

7. संचार के माध्यम

कम्पनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वैबसाइट पर प्रकटन के माध्यम से अपने शेयर धारकों के साथ संवाद करती है। लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों को एडसिल की वैबसाइट www.edcilindia.co.in पर प्रदर्शित किया जाता है। निविदा / रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में अद्यतन सूचना, सौंपी गई निविदाओं / संविदाओं के विवरण, प्रैस–विज्ञप्तियां, कम्पनी के ध्येय (मिशन) और उद्देश्यों को कम्पनी की बैबसाइट पर देखा जा सकता है।

8. बोर्ड के सदस्यों का अभिमुखीकरण/अभिज्ञता

बोर्ड के सदस्यों को निगमित शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराने के लिए, वर्तमान में निगम ने बोर्ड में शामिल होने पर निदेशकों को दस्तावेजों / पुस्तिकाओं का एक सेट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अपनाया है।

उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के सेट में पिछले वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियम, समझौता ज्ञापन की एक प्रति और समझौता ज्ञापन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ शामिल हैं। इससे पदग्राही को कम्पनी के बारे में आधारभूत जानकारी मिल जाती है।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति

निगम द्वारा सीवीसी नीति के अनुसार, निगमित शासन पहल के तहत, एक व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया हुआ है और लागू की गई है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि एक वास्तविक व्हिसल ब्लोअर को किसी भी अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाए।

10. निगमित शासन प्रमाण पत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में एक मौजूदा कार्यरत कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और इसे **अनुबंध-IX** के रूप में संलग्न किया गया है।

11. निदेशकों की विवरणिका

कम्पनी के निदेशकों की विवरणिका **अनुबंध-X** के रूप में संलग्न है।

वैधानिक प्रकटीकरण

निगमित शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं:-

(क) तात्विक महत्व के पार्टी लेनदेन

कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी तात्विक महत्व के संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों की संभावित हानि हो सकती हो। वर्ष 2020–21 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों में संबंधित पार्टी के साथ किसी अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में कोई एजेंडा नहीं रखा गया था। संबंधित पार्टी लेनदेन नीति के अनुसार, दो सरकारी कंपनियों के बीच किसी भी लेनदेन और होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के बीच लेनदेन पर छूट दी गई है। विवरण **अनुबंध-XI-क** के रूप में संलग्न हैं।

(ख) कम्पनी द्वारा कानूनों के अनुपालन का विवरण

कम्पनी उस पर लागू विभिन्न कानूनों के अनुपालन की निगरानी कर रही है और कम्पनी के द्वारा इनका अनुपालन न किए जाने के संबंध में बोर्ड को कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है, पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा–निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर लगाए गए दंड, सख्ती की कोई सूचना कम्पनी को नहीं मिली है।

(ग) व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच

कम्पनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तक अपनी बात पहुँचाने से किसी को रोका नहीं गया है।

(घ) निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन

निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, प्रकटीकरण, रिपोर्ट, आचार संहिता आदि से संबंधित इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में अभ्यासरत कम्पनी सचिव का एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IX** के रूप में दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दो अन्य स्वतंत्र निदेशकों की

नियुक्ति की जानी है। एडसिल ने शिक्षा मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्तियों की स्थिति से अवगत कराया है। निगमित शासन के अनुपालन से संबंधित तिमाही अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई है।

(ङ) उपगत व्यय का विवरण

सीएसआर पर हुए व्यय को छोड़कर, व्यवसाय के प्रयोजन से हुए ऐसे किसी व्यय के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली है जिसे लेखा की बहियों में नामे किया गया हो। ऐसे किसी व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय को नामे किए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर किया गया हो। प्रशासनिक कार्यालय के व्ययों का विवरण वार्षिक लेखा की विवरणियों में दिया जाता है।

(च) प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक आदि का ब्यौरा

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक आदि की जानकारी और ब्यौरे **अनुबंध-XI-ख** पर दिए गए हैं।

अनुबंध – II

फार्म संख्या एमजीटी–9

31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार वार्षिक विवरणी का सार

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

I.	सीआईएन	यू74899डीएल1981जीओआई011882
ii.	पंजीकरण की तारीख	17.06.1981
iii.	कम्पनी का नाम	एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	कम्पनी शेयर द्वारा लिमिटेड गवर्नमेंट कम्पनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क सूत्र	5वीं मंजिल, विजया बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001
vi.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii.	यदि कोई हो तो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम पता और सम्पर्क सूत्र	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यवसाय में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए:–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल व्यवसाय का प्रतिशत
1	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	9992	25.75%
2	शिक्षा सेवा (ऑनलाइन परीक्षा एवं भर्ती सेवा)	9992	49.60%
3	तकनीकी सहायता समूह	9992	14.02%

III. धारक, सहायक और संबंद्ध कम्पनियों के ब्यौरे

क्र. सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कम्पनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू खंड
कुछ नहीं					

IV. शेयर धारण पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

I. श्रेणीवार शेयर धारण

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्ति / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्रीय सरकार	-	1000000	1000000	100	-	1000000	1000000	100	-
ग) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय कारपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य									
उप–योग (क)(1):–		1000000	1000000	100	-	1000000	1000000	100	-
2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एनआरआई–व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) अन्य–व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) निकाय कारपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ण) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट) अन्य_	-		-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क)(2):–		1000000	1000000	100		1000000	1000000	100	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कम्पनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वैंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(1):–	-	1000000	1000000	100	-	1000000	1000000	100	-

शेयर धारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
2. गैर–संस्थागत		-	-	-	-	-	-	-	-	-
क)	निकाय कार्पो.									
	(i) भारतीय									
	(ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	व्यक्तिगत									
	(i) 1 लाख रुपये तक की छोटी पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) 1 लाख रुपये से अधिक पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									
ग)	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(2):–		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक के पास रखे शेयर		-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)		-	1000000	1000000	100		1000000	1000000	100	0.000

ii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयर		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयर	
1	भारत के राष्ट्रपति	999910	99.9910	-	भारत के राष्ट्रपति	999910	99.9910	-	0.000
2	श्री अमित खरे, सचिव (एचई) एमएचआरडी	15	0.00150	-	श्री अमित खरे, सचिव (एचई) एमएचआरडी	15	0.00150	-	0.000
3	श्री मदन मोहन, एडीजी (स्टैटिस्टिक्स)] एमएचआरडी	15	0.00150	-	श्री मदन मोहन, एडीजी (स्टैटिस्टिक्स), एमएचआरडी	15	0.00150	-	0.000

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयर		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयर	
4	श्रीमती दर्शना एम डबराल, जेएस एंड एफए	15	0.00150	-	श्रीमती दर्शना एम डबराल, जेएस एंड एफए	15	0.00150	-	0.000
5	डॉ.रेणुका मिश्रा निदेशक (टीई) एमएचआरडी	15	0.00150	-	डॉ.रेणुका मिश्रा निदेशक (टीई) एमएचआरडी	15	0.00150	-	0.000
6	डॉ.राकेश सरवाल, एएस, एमएचआरडी	15	0.00150	-	डॉ.राकेश रंजन एएस, टीई	15	0.00150	-	0.000
7	श्री वीएलवीएसएस सुब्बा राव, वरिष्ठ ईए (एचआरडी) एमएचआरडी	15	0.00150	-	श्री मिर्तुंजय बेहरा (ईए), एचई	15	0.00150	-	0.000
	कुल @10 0/–रु. प्रत्येक	1000000	100.000	-	कुल @10 0/–रु. प्रत्येक	1000000	100.000	-	-

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो तो कृपया उल्लेख करें)

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	1000000	100	1000000	100
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी तारीख वार, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (उदाहरणार्थ आवंटन/ट्रांसफर/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	—	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1000000	100	1000000	100

iv. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया / उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन – जमा – कमी				
शुद्ध परिवर्तन	0	0		0
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता I) मूल राशि ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

V. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	कुल राशि
1.	सकल वेतन क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	54.63	-	54.63
	ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुलाभ का लाभ			
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ			

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	कुल राशि
2.	पूंजी विकल्प	0	0	0
3.	उद्यम इक्विटी	0	0	0
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0	0	0
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0	0	0
6.	कुल (क)	54.63	0	54.63

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशक का नाम		कुल राशि
		कोई नही	कोई नही	
1.	स्वतंत्र निदेशक			
क	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क			
	– बोर्ड बैठकें			
	– समिति की बैठकें			
ख	कमीशन			
ग	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)			
	कुल (1)			
	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			
	कुल (2)			
	कुल (ख) = (1+2)			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा			

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	पारिश्रमिक का विवरण			कुल
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	
			श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	श्री संदीप गोयल	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुलाभ का लाभ (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	22.75	46.51	69.26
2.	स्टॉक का विकल्प	-	0	0	0
3.	उद्यम इक्विटी	-	0	0	0
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में –अन्य को निर्दिष्ट करें	-	0	0	0
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	0	4.19*	
6.	कुल	-	22.75	46.51	69.26
7.	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट देखें): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिकतम सीमा के भीतर पारिश्रमिक				

* कर्मचारी को दिए गए विभिन्न किस्म के अग्रिम जैसे कि बहुउद्देशीय अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि। कम्पनी की नीति के अनुसार वर्ष के अंत में बकाया।

नोट:

कोरपोरेट मामले मंत्रालय की अधिसूचना दिनांकित 5 जून, 2015 के संदर्भ में सरकारी कम्पनियों के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की छूट है।

VI. अपराध का जुर्माना/दंड/दोनों:

किस्म		कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माने/सजा/ लगाई गई समझौता फीस के विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	अपील कोई हो तो (विवरण)
क.	कंपनी					
	जुर्माना					
	दंड					
	दोनों					
ख.	निदेशक					
	जुर्माना					
	दंड					
	दोनों					
ग.	अन्य दोषी अधिकारी					
	जुर्माना					
	दंड					
	दोनों					

लागू नहीं

अनुबंध – III

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर शेयरधारकों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियां और प्रबंधक वर्ग के उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधक वर्ग के उत्तर
1.	व्यापारिक प्राप्ति, व्यापारिक देयताओं, अन्य दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक देनदारियों (आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त ईएमडी, प्रतिधारित राशि/प्रतिभूति जमा, परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुआ अग्रिम) के बकाया की पुष्टि, दीर्घावधि एवं अल्पावधि के ऋण और अग्रिम (प्रदत्त प्रतिभूति जमा, आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम) पुष्टि और समाधान के अधीन आते हैं।	कंपनी में पक्षकारों से आवधिक पुष्टि लेने की एक प्रणाली है। बकाया शेषों की पुष्टि मंगाने के पत्र देनदारों, लेनदारों और बैंकों को निर्धारित अवधि में पुष्टि करने या टिप्पणियां भेजने के अनुरोध के साथ भेजे गए हैं और पत्र में बताया गया है कि ऐसा करने में विफल होने पर पत्र में यथाप्रदर्शित शेषों को पुष्टीकृत मान लिया जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की गई पुष्टियां बकाया राशि की लगभग 60% हैं। इसके अतिरिक्त, गत वित्त वर्ष की तुलना में, कम्पनी को शेष पुष्टि की बड़ी मात्रा प्राप्त हुई है। (वित्तीय विवरणी की टिप्पणी सं.45 का संदर्भ लें)

प्रबंधन ने 31 मार्च 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के खातों पर जारी सीएजी टिप्पणियों का जवाब दिया

लेखापरीक्षा टिप्पणी सं.	विवरण	प्रबंधन उत्तर
1. (i)	**लाभप्रदता पर टिप्पणी** कंपनी ने वर्ष के अंत में निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट डीटीए) के परिकलन के लिए रुपये 35.75 लाख के बजाय रुपये 831.77 लाख पर ग्रेच्युटी का प्रावधान करने का गलत निर्णय किया है। जिसके परिणामस्वरूप निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण रुपये 375.62 लाख के बजाय रुपये 575.97 लाख (टिप्पणी 12) हुआ, अर्थात शुद्ध डीटीए को रुपये 200.34 लाख से बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाया गया। वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी के प्रावधान को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आस्थगित कर व्यय को रुपये 200.34 लाख कम बताया गया और परिणामी वर्ष के लिए इतनी ही राशि का लाभ बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाया गया।	एएस–22 के अनुसार, आय पर करों का लेखांकन करने के लिए, सभी समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर सृजित करने पड़ेंगे। उपर्युक्त के आधार पर, बीमांककी प्रमाण–पत्र अनुसार 100% ग्रेच्युटी देयता पर अर्थात् रुपये 831.77 लाख (ए) पर आस्थगित कर को सृजित किया गया था। कंपनी ने एलआईसी में ग्रेच्युटी फंड को रखा हुआ है और इसमें रुपये 796.02 लाख (बी) की शेष राशि है, इस प्रकार वित्त वर्ष 2020–21 में रुपये 35.75 लाख (ए–बी) का अतिरिक्त प्रावधान सृजित किया गया था। क्योंकि, ग्रेच्युटी की कुल देनदारी रुपये 831.77 लाख थी अतः इसे आस्थगित कर के परिकलन के लिए माना गया था। हालांकि सीएजी की राय है कि मात्र रुपये 35.75 लाख ही माना जाना चाहिए था। कंपनी लगातार 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही प्रथा का पालन कर रही है और पिछले वर्षों में कंपनी के किसी भी लेखा परीक्षक ने इस मामले पर असहमति नहीं जताई है। लेखापरीक्षा द्वारा लिया गया प्रभाव संचित आधार पर है। इसके अलावा, इससे कंपनी के प्रचालन लाभ अर्थात् कर–पूर्व लाभ और नकदी प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीएजी द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रबंधन एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म/भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की राय के आधार, पर वित्त वर्ष 2021–22 के खातों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
(ii)	उपर्युक्त के साथ संबद्ध करते हुए "प्रति शेयर आय" पर टिप्पणी 42 में यह प्रकटीकरण किया गया है। इस वर्ष के लिए रुपये 200.34 लाख का लाभ बढ़ाकर दिखाने के कारण, "असाधारण वस्तुओं के बाद कर–पश्चात् लाभ" को रुपये 3488.31 लाख के बजाय रुपये 3688.31 लाख पर गलत तरीके से दर्शाया गया था और प्रति शेयर आय (बेसिक और डिल्यूट) को रुपये 348.83 प्रति शेयर की दर से दर्शाने के बजाय रुपये 368.87 प्रति शेयर दर्शाया गया था। इसलिए, "प्रति इक्विटी शेयर आय" को भी रुपये 100 के पूर्ण प्रदत्त प्रति इक्विटी शेयर पर रुपये 20.04 से बढ़ाकर दर्शाया गया था। टिप्पणी 42 के माध्यम से "प्रति शेयर आय" पर प्रकटीकरण उस सीमा तक गलत था।	पिछले लेखा परीक्षा टिप्पण संख्या 1 (i) के उत्तर के संदर्भ में, प्रबंधन एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म/भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की राय के आधार, पर वित्त वर्ष 2021–22 के खातों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी सं.	विवरण	प्रबंधन उत्तर
2.	**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी** अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 14) रुपये 1026.15 लाख कंपनी ने गैर चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) के तहत रिपोर्टिंग तिथि (31–03–2021) की स्थिति के अनुसार 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली रुपये 193 लाख की दो एफडी को शामिल करके दर्शाया नहीं है। इसके बजाय, रुपये 193 लाख की दो सावधि जमा की राशि को अन्य बैंक शेष के रूप में नकद और बैंक शेष (टिप्पणी 16) में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप नकद और बैंक शेष – अन्य बैंक शेष (टिप्पणी 16) को समान राशि से बढ़ाकर दर्शाए जाने के कारण अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) को रुपये 193 लाख से कम दर्शाया गया।	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III नॉन–इंड एएस, डिवीजन–I पर दिशानिर्देश के पैरा 6. 4 के साथ पठित पैरा 8.8.4 (अ) की व्याख्या के अनुसार टिप्पण संख्या 16 नकद और नकद समकक्ष में उपशीर्ष "अन्य बैंक शेष" के तहत बारह महीने से अधिक की परिपक्वता वाली दो सावधि जमाएं प्रस्तुत की और अधिकांश कंपनियां भी इसी प्रथा का पालन कर रही हैं। पैरा में कहा गया है कि ष्बारह महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमाओं को नकद और नकद समकक्ष के उप–शीर्ष "अन्य बैंक शेष" के तहत अलग से प्रकट करने की आवश्यकता होगी"। पिछले वर्षों में भी कंपनी द्वारा इसी तरह की प्रथा का लगातार पालन किया गया था और कई अन्य सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भी इसका पालन किया गया था। सीएजी द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रबंधन एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म/भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की राय के आधार, पर वित्त वर्ष 2021–22 के खातों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
3.	**प्रकटीकरण पर टिप्पणी** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ष्ष् के तहत बैलेंस शीट पैरा (टी) तैयार करने से संबंधित सामान्य निर्देश, निर्धारित करते हैं कि आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) में निम्नलिखित उप शीर्ष होने चाहिए: (i) आकस्मिक देनदारियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा (क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है; (ख) गारंटी (ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है। (ii) प्रतिबद्धताओं को (क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (ख) शेयरों और आंशिक रूप से भुगतान किए गए अन्य निवेशों पर अनपेक्षित देयता (ग) अन्य प्रतिबद्धताओं (प्रकृति निर्दिष्ट करें) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कंपनी ने टिप्पणी संख्या 34 में यह वर्गीकृत करते हुए दर्शाया नहीं है कि अनुसूची III के माध्यम से विभिन्न उप शीर्षों के तहत अपेक्षित "आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताओं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)" की कुल राशि कितनी है। टिप्पणी 34 के तहत प्रकटीकरण उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।	कंपनी ने एएस–29 का अनुपालन किया है और खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किया है। तथापि, देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया था। कंपनी वित्त वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित प्रकटीकरणों में सुधार करेगी: (i) कंपनी अधिनियम 2013, अनुसूची–III में निर्दिष्ट उप–शीर्षों के अनुसार आकस्मिक देनदारियों का वर्गीकरण (ii) प्रत्येक उप शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक देयता की कुल राशि का उल्लेख किया जाएगा।

सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियां

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
Office of the Director General of Audit (Home, Education and Skill Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

गोपनीय

संख्या:AMG-I/PSU/EdCIL/9-26/2021-22/1262 दिनांक: 27.12.2021

सेवा में,
The Chairman and Managing Director,
EdCIL (India) Limited,
EdCIL House, 18A, Sector 16A,
Noida-201301.

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत EdCIL (India) Limited के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत EdCIL (India) Limited के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Comments प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(प्रवीर पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
D.G.A.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
e-mail : pdahesd@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF EdCIL (INDIA) LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of **EdCIL (India) Limited** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18 August 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **EdCIL (India) Limited** for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. COMMENT ON PROFITABILITY

Profit for the year ₹3688.65 lakh

(i) Company has wrongly considered provision for gratuity at the year end at ₹831.77 lakh instead of ₹ 35.75 lakh for calculation of Net Deferred Tax Assets (Net DTA). This resulted in assessment of Net Deferred Tax Assets at ₹ 575.97 lakh (Note 12) instead of at ₹ 375.62 lakh i.e. overstatement of Net DTA by ₹200.34 lakh. Incorrect adoption of provision for gratuity at the yearend also resulted in understatement of deferred tax expense for the year by ₹200.34 lakh and consequent overstatement of profit for the year by the same amount.

(ii) Linked with above is the disclosure made in Note 42 on 'Earnings per Share'. Due to overstatement of profit for the year by ₹200.34 lakh, 'Profit after tax after extraordinary items' was incorrectly depicted at ₹3688.65 lakh instead of ₹ 3488.31 lakh and Earnings per share (Basic & Diluted) was shown at ₹368.87 per share instead of ₹ 348.83 per share. Hence, 'Earning per Equity Share' was also overstated by ₹20.04 per equity share of ₹100 each fully paid up. Disclosure on 'Earnings per share' vide Note 42 was incorrect to that extent.

B. COMMENT ON FINANCIAL POSITION

Non- Current Assets

Other non-current assets (Note-14) ₹ 1026.15 lakh

Company has not included and depicted two FDs of ₹ 193 lakh having maturity of more than 12 months as on reporting date (31-3-2021) under Other Non-Current Assets (Note 14). Instead, amount of two FDs ₹ 193 lakh was included in Cash and Bank Balances (Note 16) as Other Bank Balances. This resulted in understatement of Other Non-Current Assets (Note 14) by ₹ 193 lakh with corresponding overstatement of Cash and Bank Balances-Other Bank Balance (Note 16) by same amount.

C.COMMENT ON DISCLOSURE

Contingent Liabilities (Note-34)

General instructions for preparation of Balance Sheet Para (T) under Schedule III of Companies Act, 2013, prescribe that Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for) should have following sub heads:

(i) Contingent liabilities shall be classified as (*a*) Claims against the company not acknowledged as debt; (*b*) Guarantees (*c*) Other money for which the company is contingently liable.

(ii) Commitments shall be classified as (*a*) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (*b*) Uncalled liability on shares and other investments partly paid (*c*) Other commitments (specify nature).

The Company has not classified and depicted at Note no. 34 about how much is the total amount of 'Contingent Liability and commitments (to the extent not provided for)' as required under various sub heads vide Schedule III. Disclosure under Note 34 is deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: 27.12.2021

27.12.2021

(Pravir Pandey)
Director General of Audit
(Home, Education & Skill Development)

अनुबंध – IV

फॉर्म सं. एमआर–3 सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी (नियुक्ति और प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य
एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
एडसिल हाउस, 18ए, सेक्टर 16–ए, नोएडा
उत्तर प्रदेश–201301

हमने **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड** (इसके पश्चात् एडसिल / कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी निगमित कार्यप्रथाओं के पालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेखा परीक्षा इस तरह से संचालित की गई थी, जिसने हमें निगमित आचरण / सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, कंपनी द्वारा जमा की गई रिटर्नों व प्रपत्रों और रखे गए अन्य अभिलेखों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र उस हद तक, उस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं और इसके आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम। **(लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम। **(लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; **(लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पर्याप्त शेयरों की खरीद और कम्पनी अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गत और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; **(लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; **(लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; **(लागू नहीं)**

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यापार के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण के एजेंट) विनियम, 1993; **(लागू नहीं)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; **(लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(लागू नहीं)**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता संबंधी समझौते; **(लागू नहीं)**

(iii) सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है–

1. **दो स्वतंत्र निदेशकों की पद–समाप्ति 07.02.2020 को होने के बाद कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया।**

2. **पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर समिति का पुनर्गठन बिना किसी स्वतंत्र निदेशक के किया गया है, इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।**

3. **कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक को किसी भी तारीख को, परन्तु 31 दिसंबर 2020 से पूर्व आयोजित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन कंपनी की वार्षिक आम बैठक वास्तव में 2 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। हालांकि, माननीय आरओसी द्वारा जारी एजीएम आयोजित करने के लिए सामान्य छूट कंपनी को केवल 31.12.2020 तक एजीएम आयोजित करने की अनुमति देती है।**

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है, तथापि, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों का समय निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और–अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और एक प्रणाली मौजूद है ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी हो सके।

बोर्ड/समिति की बैठक/बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों को बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया गया था और असहमति, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त में विधिवत रूप से शामिल किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और संचालन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटनाएं/कार्य नहीं हुए, जिनका कंपनी के मामलों पर बड़ा असर पड़ा।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
हस्ता/–
जितेश गुप्ता
एफसीएस सं. 3978
सीपी सं. : 2448
पीयर रिव्यू सं. 902/2020
यूडीआईएन : एफओओ3978सी000801170

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 18.08.2021

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो **'अनुबंध क'** के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

"अनुबंध क"

सेवा में
सदस्य,
एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
एडसिल हाउस, 18ए, सेक्टर 16–ए, नोएडा
उत्तर प्रदेश–201301

इस पत्र के साथ समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को पढ़ा जाना है।

1. सचिवालयी रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जैसाकि सचिवालयी अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवालय अभिलेखों में परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हम समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भर रहे हैं, इसलिए हमने नमूना आधार पर कंपनी के सांविधिक अनुपालन की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन किया है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित सार्थकताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बहियों की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को संचालित करने के संबंध में, न तो कंपनी की भावी लाभ–प्रदता और न ही उसकी क्षमता या प्रभावपूर्ण रूप से सफल बने रहने के बारे में आश्वासन है।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
हस्ता/–
जितेश गुप्ता
एफसीएस नं. 3978
सी पी नं. 2448
पीयर रिव्यू नं. 902/2020
यूडीआईएन एफ003978सी000801170

स्थान : दिल्ली
तिथि : 18.8.2021

क्र.सं.	सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1	दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति 07/02/2020 को होने के बाद कम्पनी के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया।	कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। दो स्वतंत्र निदेशकों का तीन वर्ष का कार्यकाल 06.02.2020 को समाप्त हो गया। कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया हुआ है।
2	पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर समिति का पुनर्गठन बिना किसी स्वतंत्र निदेशक के किया गया है, और लेखापरीक्षा समिति व सीएसआर के अध्यक्ष भी एक स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।	स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया हुआ है।
3	कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक को किसी भी तारीख को, परन्तु 31 दिसंबर 2020 से पूर्व आयोजित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन कंपनी की वार्षिक आम बैठक वास्तव में 27 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। हालांकि, माननीय आरओसी द्वारा जारी एजीएम आयोजित करने के लिए सामान्य छूट कंपनी को केवल 31.12.2020 तक एजीएम आयोजित करने की अनुमति देती है।	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार किसी सरकारी कम्पनी को वार्षिक आम बैठक में वित्तीय विवरणियों के साथ सीएंडएजी की टिप्पणियों को प्रस्तुत करना पड़ता है। इस वित्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों पर सीएंडएजी की टिप्पणियां 29/12/2020 को प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात तत्काल शेयरधारकों की उपस्थित का अनुरोध भेजा गया और तदनुसार वार्षिक आम बैठक दिनांक 27.01.2021 को रखी गई।

अनुबंध– V

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

I. एडसिल की पृष्ठभूमि:

EdCIL upgraded to Mini Ratna Category-I

EdCIL (India) Limited has been upgraded to the status of Mini Ratna Category-I.

Established in 1981, EdCIL has been a continuously profit making and dividend paying company. In the Financial Year 2015-16 the company more than doubled its turnover, from Rs.74 crore to Rs.175 crore, while also paying a dividend of Rs.10 crore (30 per cent of PAT). The PAT and dividend have been highest ever registered qualifying the company to be

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी एक 'मिनीरत्न–श्रेणी–I, सीपीएसई और आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान समझौता ज्ञापन रेटिंग के आधार पर कंपनी को 'अच्छा' दर्जा प्रदान किया गया है। कंपनी पिछले तीन दशकों के दौरान भारत और विदेशों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है।

साथ ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्चुअल पाठ्यक्रमों और शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल शिक्षा पहल एनएमईआईसीटी (स्वयम सहित) की शिक्षा क्षेत्र की घोषणा व इसके लिए आवंटित

बजट में वृद्धि के साथ, कंपनी की डिजिटल शिक्षा सेवाओं के लिए नए मार्ग खुल गए हैं। राज्य सरकार और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आईसीटी में अधिक व्यय भी कंपनी के लिए अधिक अवसर पैदा करता है। जहां देश परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है, वहीं कंपनी भी खुद को उच्च विकास के शीर्ष पर पाती है, जिसके लिए शुरुआती कुल कारोबार की विकास यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है।

II घरेलू व्यवसाय:

- **ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाएँ (ओटीएएस)**

ऑफलाइन भर्ती परीक्षाओं के संचालन में दो दशकों की विशेषज्ञता के आधार पर, कंपनी ने प्रणाली में उच्च पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए भर्ती के ऑनलाइन साधनों की पेशकश की है।

वर्तमान में वित्त वर्ष 20–21 में डीईएस के पश्चात् यह एडसिल का सबसे बड़ा व्यवसाय–क्षेत्र है, जो इस वर्ष के दौरान बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है। ग्राहकों में केंद्रीय और राज्य सरकारें, बड़े सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त निकाय आदि शामिल हैं।

यह व्यवसाय–क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनेक प्रकार के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में उन्मुख एक सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी ने एक विशिष्ट सेवा के रूप में शिक्षकों और प्राचार्यों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। कंपनी ने शिक्षा, कोयला, परिवहन, श्रम और नागरिक उड्डयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों वाले संगठनों को महत्वपूर्ण ऑनलाइन भर्ती सेवाएं प्रदान की हैं।

- **परामर्श सेवाएं (एएस)**

परामर्श व्यवसाय–क्षेत्र द्वारा शिक्षा (स्कूल श्रृंखला और उच्चतर शिक्षा) और मानव संसाधन परामर्शी क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं उपलब्ध करायी हैं:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (ग्रीन फील्ड एवं ब्राउन फील्ड) तैयार करना
- संगठन का पुनर्गठन (क्षेत्रीय / संस्थागत)
- परिचालन दक्षता में सुधार
- डिजिटलीकरण की योजना
- प्रशिक्षण डिजाइनिंग
- प्रभाव आकलन (आईसीटी / अन्य योजनाएं)
- नई शिक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना
- शिक्षा सामग्री डिजाइन
- मानव संसाधन अध्ययन
- योजना का मूल्यांकन
- सीएसआर परियोजनाओं पर प्रभाव का अध्ययन

कंपनी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार के प्रोजेक्टों के लिए शिक्षा परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है।

- **डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस) (डीईएस विभाग से)**

डिजिटल शिक्षा तेजी से भारत की शिक्षा प्रणाली में अपना स्थान बना रही है और पारंपरिक क्लासरूम प्रशिक्षण का स्थान ले रही है। प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा तंत्र कभी–भी, कहीं–भी शिक्षण वाले लचीले प्रतिमानों को प्रस्तुत करता है। डिजिटल शिक्षा शिक्षार्थी को पारिस्थितिक–तंत्र के केंद्र में रखती है और अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए उसे अपने व्यक्तिगत मार्गों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड तदनुसार शैक्षिक इको–सिस्टम को उच्च–प्रभावकारी और मापनीय समाधानों को उपलब्ध कराते हुए सभी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर फोकस करती है:

- डिजिटल शिक्षा प्रणाली के भाग के रूप में निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं:
- नेक्स्ट–जेन डिजिटल क्लासरूम
- योग्यता आधारित शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली
- वाई–फाई और नेटवर्क समाधान
- डिजिटल इंटरएक्टिव बोर्ड
- स्कूलों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली
- वर्चुअल क्लासरूम के साधन

मॉरीशस के लिए प्रारंभिक डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम:

"वैश्विक प्रगति और नवाचार के अग्रदूत के रूप में मॉरीशस को एक बौद्धिक राष्ट्र–राज्य में रूपांतरित करने हेतु एक मानव संसाधन विकास आधार तैयार करने और सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा" को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय (एमओईएचआर), तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईसीटी), रिपब्लिक ऑफ मॉरीशस ने मॉरीशस के छात्रों और शिक्षकों को टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करने की परियोजना लागू की है। परियोजना के तीन चरणों के तहत पूरी तरह से एलएमएस समर्थित और अन्य आईटी उपकरणों सहित

52,480 ई–टैबलेट्स 23.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना लागत पर मॉरीशस में ग्रेड 1, 2, 3 और 4 के छात्रों को प्रदान किए गए हैं। यह टैबलेट कंप्यूटर शिक्षक–छात्र और छात्र–छात्र के बीच बातचीत के लिए इंटरनेट संसाधनों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराता है।

एडसिल ने परियोजना के चरणवार कार्यान्वयन का पालन किया, जिसमें आवश्यकताओं का प्रारंभिक अध्ययन शामिल था, जिसके बाद सर्वोत्तम परिणामदायक प्रासंगिक और स्थानीयकृत शैक्षिक सामग्री से युक्त अत्याधुनिक डिजिटल टैबलेटों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित एजेंसी का चयन किया गया।

नेक्स्टजेन डिजिटल क्लास रूम:

कंपनी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्कूलों को प्रौद्योगिकी और अन्य शिक्षण अधिगम संसाधनों से सुसज्जित करने में और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर शिक्षकों की क्षमता निर्माण में बड़े पैमाने के बाज़ार का अवसर मानती है। शैक्षिक गुणवत्ता में कमियों को प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के मिश्रण को शामिल करते हुए एकीकृत और बड़े पैमाने के स्कूल सुधार कार्यक्रम के विक्रय के माध्यम से प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें छात्रों और शिक्षकों के लिए आईटी एक्सपोज़र न्यूनतम है, छात्रों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी उपकरणों, तकनीकों, ई–सामग्री और संसाधनों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

निम्नलिखित को समग्र शिक्षा समाधान का मुख्य लक्ष्य बनाने का ध्येय रखा गया है।

(1) ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी सक्षम शिक्षण।

(2) नई प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के साथ शिक्षा को और अधिक इंटरैक्टिव बनाना।

(3) शिक्षा–अधिगम उपकरणों को उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सक्षम बनाना।

(4) सीखने के वातावरण में सुधार लाना और हितधारकों के बीच क्षमताओं का निर्माण करना।

(5) कागज रहित शिक्षण की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना।

(6) शैक्षिक परिणामों में सुधार लाना।

आईएसओ: 9001 और आईएसओ: 14001 2015 से आईएसओ में उन्नयन:

एडसिल वर्तमान 2008 संस्करण के स्थान पर आईएसओ 9001 और आईएसओ: 14001 2015 संस्करण के अनुरूप एक संशोधित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आईएसओ के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

गुणवत्ता:

- तकनीकी रूप से बाधक वातावरण में व्यावसायिक जोखिम–रिवॉर्ड अनुपात का प्रबंधन करना।
- ग्राहक आधार को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लगातार गुणवत्ता का उन्नयन करना।
- समय–पर–वितरण कार्यनिष्पादन में सुधार।

पर्यावरण:

- बिजली, पानी और कागज जैसे संसाधनों की खपत में कमी।
- सभी लागू सांविधिक विनियमों का अनुपालन।

आईएसओ ऐसे बाहरी और आंतरिक मुद्दों के बारे में निर्णय लेकर, जो संभवतः संगठन को प्रभावित कर सकते हैं, प्रमाण आधारित निर्णय लेने के साथ इसके कारोबार का प्रबंधन करने में संगठन की मदद करता है।

यह शीर्ष प्रबंधन को नेतृत्व में शामिल करने पर अधिक जोर देकर जोखिम और पुरस्कार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रक्रिया डिजाइन के संदर्भ में संगठन नियोजन के माध्यम से सतत विकास के लिए संगठन की मदद करता है।

यह एक सुगठित व्यवस्था उपलब्ध कराता है, जिसके भीतर संगठन अधिक ग्राहक संतुष्टि के साथ वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

आईएसओ संगठन की व्यावसायिक आवश्यकता को लागू करने, बनाए रखने और बेहतर बनाने की क्षमता रखने वाले कुशल संसाधनों पर केंद्रित है। एडसिल लगातार उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर प्राप्त करेगा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और समाधानों का सृजन करने के लिए उनकी क्षमता–विकास पर ध्यान केंद्रित रखेगा।

• शिक्षा अवसंरचना सेवाएं (ईआईएस)

निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं शिक्षा अवसंरचना प्रबंधन (टर्न–की निष्पादन और परियोजना प्रबंधन परामर्श) सेवाओं को शामिल करते हुए इस व्यवसाय–क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है।

- संकल्पना रचना
- विस्तृत ड्राइंग्स
- सामग्री के बिल के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और आकलन
- निर्माण समय–सारणी / अधिप्राप्ति योजना
- आरएफपी दस्तावेज
- आरएफपी प्रक्रिया प्रबंधन
- परियोजना निर्माण निगरानी
- घटना निगरानी
- समय–सारणी में संशोधन
- गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण
- बिलिंग और भुगतान
- वैधानिक प्राधिकारियों से पूर्णता / कब्जा (ऑक्यूपैन्सी) प्रमाणपत्र प्राप्त करना
- व्यय विश्लेषण के साथ अंतिम परियोजना पूर्णता रिपोर्ट

• शिक्षा प्रापण सेवाएं (ईपीएस)

कंपनी आईटी उपकरणों से लेकर हाई–टेक प्रयोगशाला उपकरणों तक शैक्षिक सहायक उपकरणों की खरीद के माध्यम से भारत और विदेशों में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता निर्माण में सहायता करती है। हम ग्राहक के संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाकर ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टर्न–की आधार पर खरीद सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

घरेलू और विदेशी क्षेत्र में तीन दशकों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, शैक्षिक और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में टीसीओ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली खरीद (प्रापण) सेवाओं के भाग के रूप में इस व्यवसाय–क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- शैक्षिक उत्पाद अनुसंधान
- वेंडर पैनल
- मांग एकत्रीकरण
- सोर्सिंग रणनीति का विकास
- ई–टेंडरिंग
- बोली विश्लेषण
- संविदा को अंतिम रूप दिया जाना
- ऑर्डर प्लेसमैन्ट
- ग्राहक स्थल पर गुणवत्ता जांच सहित शिपमेंट प्राप्ति की निगरानी
- सेवाओं का वार्षिक रखरखाव

- **तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)**

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

एडसिल का परियोजना प्रबंधन और लॉजिस्टिक सहायता व्यवसाय–क्षेत्र (जिसे तकनीकी सहायता समूह–टीएसजी के रूप में भी जाना जाता है) कई वृहत अखिल भारतीय परियोजनाओं को लागू करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परिचालनात्मक सहायता प्रदान करता है। कंपनी, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों की प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्रीय परियोजनाओं के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है। इन सेवाओं में शामिल हैं:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभिन्न बड़ी योजनाओं के लिए लॉजिस्टिक सहायता (यथा एसएसए, एमडीएम, रूसा और आरएमएसए)
- परामर्शदाता आदि की आउटसोर्सिंग
- इवेंट मैनेजमेंट सहायता
- प्रापण सेवाएं
- परिवहन सहायता

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

साक्षर भारत

III ओवरसीज बिजनेस:

- **ओवरसीज शिक्षा सेवाएं (ओईएस)**

ओवरसीज छात्रों का स्थानन कंपनी की प्रमुख सेवाओं में से एक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय/एनआरआई/पीआईओ छात्रों को प्रतिष्ठित और मान्यताप्राप्त भारतीय संस्थानों में प्रवेश देना है। इस कंपनी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों/व्यक्तियों (पीआईओ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए विशेष "समन्वय एजेंसी और एकल खिड़की सुविधा" के रूप में नामित किया गया है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय/पीआईओ/एनआरआई छात्रों को 150 से अधिक एसोशिएटिड/एमओयू संस्थानों, जो यूजीसी, नैक, एनबीए एमसीआई आदि जैसे नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है, में प्रवेश दिलाती है।

भारत में विदेश मंत्रालय/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सशक्त समर्थन के फलस्वरूप तीन दशकों में विश्व स्तर पर प्राप्त ग्राहक विश्वास और गठजोड़ के आधार पर प्रायोजित और देश में पढ़ने के इच्छुक विदेशी छात्रों को प्रवेश दिलवाने के साथ–साथ संकाय भर्ती का कार्य किया है और भारत में अध्ययन करने के इच्छुक आने वाले छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से पूरा किया है। वर्तमान में कंपनी अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के लगभग कुल 3000 छात्रों के लिए स्थानन का कार्य निष्पादित करती है। यह व्यवसाय–क्षेत्र सार्क, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के उच्च संभावनाओं वाले लक्ष्य बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

निम्नलिखित सेवाओं की विशेष रूप से पेशकश की जाती है:

- मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों (प्रायोजित योजनाओं के साथ–साथ एराएफएस सेगमेंट) में विदेशी छात्रों का स्थानन
- विदेशी संस्थानों में भारतीय संकाय की स्थानन
- छात्र/संकाय आदान–प्रदान
- घरेलू क्षेत्र में अन्य सभी परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान की गई

- **स्टडी इन इण्डिया अभियान:**

नई शिक्षा नीति शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। यह निकट भविष्य में एक रणनीतिक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित होने की भारत की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एनईपी का लक्ष्य 2018 से एडसिल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे शिक्षा मंत्रालय के अध्ययन के भारत के लक्ष्यों के साथ संरेखित है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के साझेदार के रूप में एडसिल को कार्य करने के लिए सर्वोत्तम आंका गया है। हमारे पास एक वेबसाइट WWW.studyinindia.gov.in है, जो व्यवस्थित रूप से ब्रांडिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों सहित एक कॉल सेंटर द्वारा समर्थित है। हमारे पास एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर पहचाने जाने वाले देश के 100 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ 18.04.2018 को श्रीमती सुषमा स्वराज पूर्व माननीय विदेश मंत्री द्वारा किया गया था।

IV स्वॉट विश्लेषण:

कंपनी का स्वॉट विश्लेषण निम्नलिखित है:

(क) शक्ति

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एकमात्र सीपीएसई।
- सतत लाभ/लाभांश भुगतान रिकॉर्ड।
- भारत और विदेशों में सरकार/विदेशों में उच्च स्तरीय ब्रांड रिकॉल।
- सीपीएसई विश्वसनीयता को देखते हुए ग्राहकों के लिए सुविधाजनक।
- शिक्षा मंत्रालय के साथ घनिष्ठ संबंध।
- विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ मैत्री।
- क्लाइंट सर्विसिंग के लिए इन–हाउस जनशक्ति और विशेषज्ञता विकसित की गई है।
- पारंपरिक रूप से परियोजना को संभालने वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता (4–6 महीने के जीवन चक्र वाली औसत 110–120 परियोजनाएं प्रति वर्ष)।

(ख) कमजोरियां

- सुनिश्चित सरकारी व्यापार के लिए एक विस्तारित सहयोगी के रूप में कार्य करना न कि एक रणनीतिक व्यापार इकाई के रूप में।
- पदधारियों द्वारा संगठन छोड़ने के कारण इन–हाउस सक्षम कर्मियों की कमी।
- बड़े निगमित/संस्थागत/परामर्शी संगठनों के साथ मैत्री का अभाव।
- विविध विदेशी अवसरों का उपयोग नहीं किया गया है, जिसमें संस्था निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय से वित्तपोषित बड़ी विदेशी परियोजनाओं को अंतिम रूप देना शामिल है।
- व्यापार अधिग्रहण और वितरण में पीएसयू प्रक्रिया की चुनौतियां।

(ग) अवसर

- 1.30 बिलियन का जनसांख्यिकीय लाभांश।
- विकसित होता सेवा क्षेत्र।
- शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े भारतीय कॉरपोरेट व्यवसायिओं की अनुपस्थिति।
- अन–सर्विस्ड सरकारी बाजार (परियोजना, ओएंडएम, रणनीति, एकत्रीकरण)।
- आईटी/आईसीटी/इंफ्रा परियोजना निष्पादन/खरीद में सहायता करने के लिए एक सहयोगी/विशेष इकाई की सरकारी क्षेत्रों में बढ़ती आवश्यकता।
- बढ़ता कौशल विकास प्रशिक्षण बाजार।
- इसी तरह शिक्षक प्रशिक्षण का एक बड़ा बाजार होने का अनुमान है।
- बढ़ते आईसीटी और ई–लर्निंग मार्केट (प्राइमरी एजुकेशन/ओपन यूनिवर्सिटी)।

- 'स्किल इण्डिया', 'डिजिटल इण्डिया' और "स्मार्ट सिटी" पहलों पर व्यय बढ़ा।
- कई स्टार्टअप को सहयोग की आवश्यकता होने से सेवाओं का विकास।
- पीपीपी के बढ़ते अवसर (आउटसोर्सिंग/एकत्रीकरण/इंफ्रा)।

(घ) आशंकाएं

- इस क्षेत्र में गैर–शिक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का प्रवेश।
- गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण में फ्रेंचाइजी बाजार में बढ़ती चुनौतियां।

V एक उज्ज्वल भविष्य की ओर:

- **समझौता ज्ञापन रेटिंग**

कंपनी को डीपीई ने वर्ष 2019–20 के लिए "अच्छा" आंका है। कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की पहचान करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है और इसका उद्देश्य तैयार की गई मध्यम अवधि की रणनीति के अनुसार इन अवसरों का दोहन करना है। कंपनी उच्च विकास चरण में है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है।

- **ऑर्डर बुक:**

कम्पनी ने वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित नए ऑर्डर हासिल किए हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	ब्यौरा	ऑर्डर की राशि
1	ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवा प्रभाग (ओटीएएस)	165.00
2	शिक्षा अवसंरचना सेवाएं/शिक्षा प्रापण सेवाएं (ईआईएस/ईपीएस)	10.65
3	तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)	70.00
4	डिजिटल शिक्षा सेवाएं (डीईएस)	134.58
5	परामर्शी सेवाएं (एएस)	1.26
6	ओईएस/एसआईआई	130.00
	कुल	**511.49**

VI वित्तीय अवलोकन:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कराधान से पहले कंपनी का लाभ 49.44 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

(राशि करोड़ में जब तक कहा नहीं जाए)

विवरण		समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2020	अंतर	
				पूर्ण	सापेक्ष
राजस्व					
प्रचालन से राजस्व	(क)	332.83	326.24	6.58	2%
प्रत्यक्ष व्यय					
परियोजना व्यय		186.90	194.64	-7.73	-3.97%
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		77.53	37.75	39.78	105.39%
इन्वेन्ट्री में परिवर्तन		-	6.39	-6.39	-100%
कर्मचारी लाभ व्यय		23.38	26.24	-2.85	-10.88%
कुल	(ख)	**287.81**	**265.01**	**22.80**	**8.60%**
प्रचालन से लाभ	(ग)	**45.02**	**61.24**	**-16.22**	**-26.48%**
अप्रत्यक्ष व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		0.89	1.09	-0.20	-18.35%
अन्य व्यय		4.28	9.78	-5.50	-56.25%
निगम सामाजिक दायित्व व्यय		1.64	0.42	1.22	290.47%
कुल	(घ)	**6.81**	**11.29**	**4.48**	**-39.68%**
अप्रत्यक्ष आय	(ङ)	10.28	6.20	4.08	65.81%
पूर्व अवधि की मदें (शुद्ध)	(च)	-1.04	-0.04	-1.00	2500%
अपवाद स्वरूप मदें	(छ)	0.09	0.01	0.08	800%
ईबीआईटीडीए		**50.33**	**57.28**		

VII जोखिम और चिंताएं :

शाब्दिक संदर्भ में जोखिम को उद्देश्यों के संबंध में अनिश्चितता के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जोखिम परिणाम और संभावना के संदर्भ में मापा जाता है। कंपनी व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर जोखिमों की पहचान करती है और जिस व्यावसायिक वातावरण में यह काम कर रही है उस पर नजर रख रही है। आर्थिक वातावरण के जोखिम जैसे इनपुट प्रॉडक्ट्स और आउटसोर्स कंसल्टेंसी की बढ़ती कीमतों की समस्या का समाधान रेट कॉन्ट्रैक्ट करके किया जाता है। कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई त्रैमासिक समीक्षा भी प्राप्त होती है और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों का उचित समाधान किया जाता है। विभिन्न विभागों के विशिष्ट जोखिमों की निगरानी संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा उचित अवधि में की जाती है। व्यवसाय–क्षेत्र की मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जोखिम कम करने के मामलों की देखरेख करेंगी। कंपनी समय–समय पर व्यवसाय–क्षेत्र, प्रक्रियाओं और वातावरण में परिवर्तन के आधार पर अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को संशोधित करने का भी प्रयास करेगी।

एडसिल 2.0 विज़न

"एक ऐसा उच्च प्रतिष्ठित परामर्श और परियोजना प्रबंधन संगठन बनना जो शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में गहन सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु विशेषज्ञता, सेवाएं और अभिनव समाधान उपलब्ध कराता है।"

एडसिल 2.0 मिशन

"घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्चतम दक्षता और नैतिक मानकों के साथ अभिनव, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करके शिक्षा और मानव संसाधन परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार लाना और शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता बनना।"

एडसिल का ध्यान व्यापार विकास, ज्ञान प्रबंधन, व्यापार गठबंधनों के सशक्त नेटवर्क, सफल डिलिवरेबल्स के लिए गुणवत्ता बढ़ाने की कार्यनीतियों, प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता विकास से संबंधित विभिन्न प्रमुख प्रक्रिया सुधारों को लागू करने, और जिस तरह से एडसिल संगठित और संचालित किया है, उसमें कई परिवर्तन करने पर केंद्रित है। इन पहलों के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने से भारत में एक अत्यधिक प्रतिष्ठित, तेजी से बढ़ती शिक्षा कंपनी बनने के रोडमैप पर एडसिल सशक्त रूप से स्थापित होगा, और निरंतर विकास के लिए सुस्थापित होगा।

- **जनशक्ति संख्याबल**

  दिनांक 31.03.2021 को कंपनी की कुल जनशक्ति 108 (73 कार्यकारी और 35 गैर–कार्यकारी) थी।

- **नई प्रतिभाओं की भर्ती**

  वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रबंधन प्रशिक्षुओं और 1 कार्यकारी निदेशक– कॉरपोरेट आयोजना सहित कुल 3 नए कर्मचारियों ने कंपनी में पदग्रहण किया। नए प्रबंधन प्रशिक्षुओं को वरिष्ठ पेशेवरों के मार्गदर्शन में ऑन–द–जॉब और ऑफ–द–जॉब ट्रेनिंग इंटरवेशन के माध्यम से भविष्य के प्रबंधकों के रूप में तैयार किया जा रहा है।

- **पीसीएमएम का लागू किया जाना**

  पीपुल कैपेब्लिटी मैच्योरिटी मॉडल संगठन के कार्यबल/जनबल संबंधी कार्यप्रथाओं पर केंद्रित है और यह मानव संसाधन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एक रोडमैप विकसित करता है, जिससे किसी संगठन की क्षमता में लगातार सुधार आता है। वित्त वर्ष 2018–19 में पूर्ण किए गए पीसीएमएम विश्लेषण में, कंपनी को परिपक्वता स्तर 2 और परिपक्वता स्तर 3 के निशान के साथ परिपक्वता स्तर 1 में पाया गया था। बाद के वित्त वर्षों में किए गए पीसीएमएम विश्लेषण के अगले चरणों में पाया गया कि कम्पनी ने मैच्योरिटी लेवल 2 के सभी पैरामीटरों को पूरा कर लिया है और इसीलिए एडसिल अब मैच्योरिटी लेवल 2 के संगठन के रूप में प्रमाणित है। इस अध्ययन के पश्चात् एक रिपोर्ट बनाई गई थी और अगले मैच्योरिटी लेवल पर पहुँचने के लिए एक रूपरेखा तैयार करके सुझायी गई थी।

- **एचआरएमएस की शुरूआत**

  एडसिल ने वित्त वर्ष 2019–20 में एक ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को लागू किया था, जो संगठन के उस समय की बचत करने में मदद करता है, जो कर्मचारियों द्वारा लेन–देन की प्रक्रियाओं में खर्च किया जाता है ताकि उनके समय का अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके। वित्त वर्ष 2020–21 में यही एचआरएमएस कार्यात्मक था।

अनुबंध – VI

वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए सीएसआर गतिविधियों के विषय पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रुपरेखा

कम्पनी में बोर्ड से अनुमोदित एक कोरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति है, जो कम्पनी की वैबसाइट https://www.edcilindia.co.in/ और अनुबंध–क पर उपलब्ध है।

2. सीएसआर समिति का गठन :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति बैठकों में उपस्थितियों की संख्या
1.	श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष	दो	दो
2क	श्री रॉबर्ट शेतकिंटॉन्ग (28 अक्टू. 2020 तक सदस्य)	निदेशक, विदेश मंत्रालय, (सरकार द्वारा नामित)	एक*	एक
2ख.	श्री अनिल कुमार राय	संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय, (सरकार द्वारा नामित)	एक*	एक
3.	सुश्री रेणुका मिश्रा	निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (सरकार द्वारा नामित)	दो	दो

* उनके संबंधित कार्यकाल में एक बैठक हुई थी।

3.	कम्पनी की जिस वैबसाइट पर बोर्ड से अनुमोदित सीएसआर नीति, सीएसआर परियोजना और सीएसआर समिति के संरचनात्मक गठन का प्रकटन किया जाता है उसका वैब–लिंक उपलब्ध कराएं	https://www.edcilindia.co.in https://www.edcilindia.co.in/Default/ViewFile/?id=1624974401655_CSR%20activities%20FY%202020-2021%20for%20Website%20(1).pdf &path=Page
4.	कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में चलाई जा रही सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के ब्यौरे उपलब्ध कराएं, यदि लागू होता है तो (रिपोर्ट संलग्न करें)	लागू नहीं

5. कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में अलग रखी गई उपलब्ध राशि और इस वित्त वर्ष के लिए अलग रखने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो तो उसका विवरण

क्र. सं.	वित्त वर्ष	पिछले वित्त वर्षों से अलग रखी गई उपलब्ध राशि (रुपये में)	इस वित्त वर्ष के लिए अलग रखने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2018-2019	कुछ नहीं	
2	2019-2020		
3	2020-2021		
	कुल		

6. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ — रु.5163.12 लाख

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत — रु. 103.26 लाख (बोर्ड द्वारा 105 लाख रुपये अनुमोदित)

(ख) पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष — रु.58.13 लाख

(ग) इस वित्त वर्ष के लिए अलग रखने हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो — कुछ नहीं

(घ) इस वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग)। — रु. 161.56 लाख (103.26+58.13)

8. (क) वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए व्ययित या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए व्ययित कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत किसी अन्य विनिर्दिष्ट फंड में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की दिनांक	फंड का नाम	राशि	अंतरण की दिनांक
164.05 लाख	कुछ नहीं	लागू नहीं			

(ख) वित्त वर्ष 2020–2021 से संबंधित चल रही परियोजनाओं पर खर्च हुई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना की लोकेशन		उत्पाद की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की राशि (रु.में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	क्रियान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ना)	क्रियान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
कुछ नहीं												

(ग) इस वित्त वर्ष की चल रही परियोजनाओं से इतर खर्च हुई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ना)	परियोजना की लोकेशन		परियोजना के लिए व्ययित राशि (आंकड़े लाख में)	क्रियान्वयन का तरीका– प्रत्यक्ष (हां/ना)	क्रियान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	पूर्वी अकोला जिला में मास्क वितरण	स्वास्थ्य	नहीं	महाराष्ट्र	अकोला	3.00	हाँ	लागू नहीं	
2.	सैनिटरी पैड खरीदकर और सरकारी स्कूल की कन्याओं को वितरित करने के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना	स्वास्थ्य	हाँ	दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड	दिल्ली, नोएडा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ऋषिकेश	15.00 10.00	नहीं	सीएससी ई–सेवा	एस–ई/1216/दिल्ली/2017
3	कैंसर के इलाज संबंधी उपकरणों का प्रायोजन, होमी भाभा कैंसर सैन्टर, वाराणसी	स्वास्थ्य	नहीं	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	9.9	हाँ	लागू नहीं	
4	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, नोएडा के लिए बस का प्रायोजन	स्वास्थ्य	हाँ	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	12.05	हाँ	लागू नहीं	
5	प्रधानमंत्री केयर में दान	स्वास्थ्य	लागू नहीं	अखिल भारत		25.00	हाँ	लागू नहीं	
6	एनवीएस, महेन्द्रगढ़, हरियाणा के लिए ऑल इन वन कम्प्यूटर का प्रायोजन	शिक्षा	नहीं	हरियाणा	महेन्द्रगढ़	16.67	हाँ	लागू नहीं	
7	नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए जम्मू और कश्मीर के समग्र शिक्षा संसाधन केन्द्रों के लिए कम्प्यूटरों का प्रायोजन	शिक्षा	नहीं	जम्मू और कश्मीर		20.35	हाँ	लागू नहीं	
8	विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव के विषय पर जागरूक करना और अभिमुखीकरण	शिक्षा	लागू नहीं	अखिल भारत		17.08	नहीं	भारतीय शिक्षण मंडल	एफ–1738 (बीओएम)
9	सेना झण्डा दिवस फंड में योगदान	सेना कल्याण	लागू नहीं	अखिल भारत		18.00	हाँ	लागू नहीं	
10	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	स्वच्छ भारत	लागू नहीं	अखिल भारत		17.00	हाँ	लागू नहीं	
	कुल					164.05			

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय पर व्ययित राशि — लागू नहीं

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्ययित राशि, यदि कोई हो — लागू नहीं

(च) इस वित्त वर्ष की व्ययित कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) — रु.164.05 लाख

(छ) अलग रखी गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(I)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	103.26 लाख
(ii)	वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए व्ययित कुल राशि	164.05 लाख
(iii)	इस वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त व्ययित राशि [(ii)-(I)]	
(iv)	पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	आगामी वित्त वर्षों के लिए अलग रखने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	कुछ नहीं

9. (क) गत तीन वित्त वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	गत वित्त वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्ययित राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत विनिर्दिष्ट किसी फंड में अंतरित राशि			आगामी वित्त वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				फंड का नाम	राशि (रु. में)	अंतरण की दिनांक	
1	2017-18		-				निरंक
2	2018-2019		-				0.13 लाख
3	2019-2020		0.13 लाख				58.13 लाख
4	2020-2021		58.13 लाख				

(ख) गत वित्त वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए इस वित्त वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना की शुरुआत का वित्त वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	वित्त वर्ष के समाप्ति पर संचयी व्ययित राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
1		कुछ नहीं						
	कुल							

10.	यदि पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित या अधिग्रहित की गई हो तो इस वित्त वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा **(परिसंपत्ति–वार ब्यौरा)** (क) पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन या अधिग्रहण की दिनांक (ख) पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च सीएसआर राशि (ग) कम्पनी या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम से इस प्रकार की पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनके पते आदि। (घ) सर्जित या अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूरे पते और लोकेशन सहित)	कुछ नहीं
11.	यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत को खर्च करने में विफल रही है तो कारणों को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति] (जहाँ भी लागू हो)

अनुबंध–क

प्रस्तावना

एडसिल शिक्षा और मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है और इसका लक्ष्य बिजनेस की निरंतरता बनाए रखने हेतु समाज के लिए बेहतर भविष्य, लोगों और लाभ से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है, और यह सरकारी पहल के समर्थन में भारत के प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर क्रियान्वित किए जाने वाली अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से समाज के हाशिये के और वंचित वर्गों के स्तर को उठाने के लिए समर्पित है।

यह नीति, जिसे कॉर्पोरेट नागरिक के तौर पर कम्पनी के दायित्व की रूपरेखा वर्णित करने के लिए इसमें अपने दर्शन को शामिल करती है और व्यापक स्तर पर समुदाय के कल्याण एवं स्थायी विकास के सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों को चलाने के लिए दिशानिर्देशों एवं तंत्र निर्धारित करती है, उसका शीर्षक 'एडसिल सीएसआर नीति' है।

एडसिल ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति को 1 अप्रैल, 2014 से लागू भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देश, 2014) और भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित कम्पनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के अनुसरण में और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार तैयार किया है।

यह भारतीय क्षेत्र में एडसिल द्वारा पर्यावरण और समाज के निर्धन, जरूरतमंद, वंचित, हाशिये के और कमजोर वर्ग के स्तर को उठाने के लिए चलाए जा रहे सभी सीएसआर कार्यक्रमों पर लागू होगी।

इस नीति में शामिल नहीं किए गए किसी बिन्दु की व्याख्या वर्तमान डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार की जाएगी और किसी प्रकार का विवाद होने पर पश्चवर्ती पर पूर्ववर्ती को अग्रता रहेगी।

2) विजन और उद्देश्य का कथ्य

2.1 विजन

लोगों, पृथ्वी और लाभ की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारीपूर्ण और टिकाऊ पहलों का समर्थन करना।

2.2 मिशन

अध्यादेशित प्रावधानों से आगे जाकर विजन को पूरा करने हेतु सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा पहलों को प्रोत्साहित करना और अभिनव समाधानों को विकसित करना।

2.3 उद्देश्य

नीति के उद्देश्य हैं:

- संरचित कार्य प्रक्रिया और संचार–व्यूहरचना के माध्यम से हितधारकों की अपेक्षाओं को समझना और चुने हुए क्षेत्रों में प्रभावोन्मुखी कार्यक्रमों को विकसित करने हेतु इस समझ का लाभ उठाना।
- अपने सभी हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए, अपने कारोबार को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ ढंग से संचालित करने हेतु संगठन के सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करना जो इसके कार्य–केन्द्रों के भीतर के या आसपास के समुदायों को लाभकारी हों और एक अवधि के बाद, स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धिकारक सिद्ध हों।

- अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, एडसिल के लिए एक सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक निगमित इकाई के रूप में एडसिल की सकारात्मक छवि को सशक्त बनाने में मदद करना।
- एडसिल में पर्यावरण हितैषी टिकाऊ कारोबारी प्रथाओं को अपनाना जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कदम उठाते समय नकारात्मक असर को न्यूनतम रखें।
- एडसिल की सीएसआर कार्यप्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरूक रखना।
- जिन समुदायों के बीच एडसिल कार्यरत है उन पर सकारात्मक असर डालना।

3.0 सीएसआर गतिविधियां

3.1 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को चिह्नित किया जाएगा और इनके लिए बजट उपयुक्त कार्यान्वयन एजेन्सियों को चिह्नित करने, आवश्यकता मूल्यांकन (जहाँ अपेक्षित होगा) और वांछित परिणामों की सुस्पष्ट रूपरेखा को शामिल करने वाली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

3.2 यथासंभव, सभी सीएसआर गतिविधियां परियोजनाओं के रूप में होंगी।

3.3 शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम/पहल कम्पनी अधिनियम, 2013 (समय–समय पर संशोधित) की अनुसूची–III के अधिकार–क्षेत्र में आने वाली होंगी, जो निम्नप्रकार हैं–

i) स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और साफ–सफाई सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने हेतु भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करने वाली;

ii) विशेष शिक्षा और विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच रोजगारवर्धक पेशेगत कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देने वाली और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं।

iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं होस्टल और अनाथालय खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, डे–केयर सैन्टर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं खोलना और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के द्वारा झेली जा रही असमानताओं को कम करने हेतु उपाय करना;

iv) गंगा नदी को पुनर्जीवित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान देने सहित भूमि, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने और पर्यावरण सुरक्षित बनाए रखने, पारिस्थितिकी संतुलन, जीव–जन्तु जगत का संरक्षण, जीव कल्याण, कृषिवानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना;

v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की मरम्मत–उद्धार शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का विकास करना और बढ़ावा देना;

vi) सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के उपाय;

vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

viii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान;

ix) केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया योगदान या फंड;

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं;

xi) स्लम क्षेत्र का विकास।

4.0 बजट

4.1 एडसिल का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार गणना) का कम से कम दो प्रतिशत (2%) सीएसआर पर खर्च किया जाए। गतिविधियां/परियोजनाएं/कार्यक्रम।

4.2 यदि उपर्युक्त पैरा 4.1 में इंगित राशि उस वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से खर्च नहीं की जाती है, तो इसके कारणों को अधिनियम की धारा 134 (3) (ण) के अनुसार रेखांकित किया जाएगा, जिसे वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा और अव्ययित राशि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा।

4.3 व्यक्तिगत सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए बजट आवंटन उस वर्ष के सीएसआर बजट पर विचार करने के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सीएसआर और एसडी समिति द्वारा किया जाएगा।

5.0 योजना और कार्यान्वयन

5.1 एडसिल सीएसआर बजट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनी सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रम को चिह्नित करने और कार्यान्वित करने के लिए योजना चरण के दौरान सुपरिभाषित परिचालन सिद्धांतों को अधिमानता देगा।

5.2 जहां तक संभव हो सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों को परियोजना/कार्यक्रम मोड में शुरू किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि अनुमोदित गतिविधियों को समय–सारणी के भीतर कार्यान्वित किया जाए। एक बार कोई गतिविधि स्वीकृत हो जाती है और धन आवंटित कर दिया जाता है तो गतिविधि जारी रखी जाती है और पूरा होने तक आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाती है।

5.3 सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एडसिल की आंतरिक सीएसआर टीम के माध्यम से किया जाएगा या किसी सरकारी संगठन, पीएसयू, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–8 के तहत स्थापित, समान परियोजनाओं/कार्यक्रमों को चलाने में तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी के माध्यम से किया जाएगा।

5.4 एडसिल अपनी सीएसआर टीम के कौशल का निर्माण और विकास करने और संगठन के भीतर सीएसआर जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास करेगा। एडसिल उन पहले काम पर रखी एजेंसियों के कौशल का निर्माण और विकास करने का भी प्रयास करेगा।

6.0 निगरानी और मूल्यांकन

6.1 निगरानी:

कार्यकलापों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु और प्रदेय वस्तु/सेवाओं की उपलब्धि हेतु निगरानी की जाती है। यूनिट स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है, जिसमें बाधाओं की पहचान की जाती है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। सीएसआर और सात्यता गतिविधियों के मुद्दों की स्थिति पर आवधिक एमआईएस को उचित स्तर के अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो हस्तक्षेप की मांग की जाती है।

6.2 मूल्यांकन:

सीएसआर कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन आंतरिक और बाहरी दोनों मूल्यांकनों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

7.0 रिपोर्टिंग:

एडसिल द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं सात्यता/व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट आदि के माध्यम से हितधारकों को प्रसारित किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट में वार्षिक सीएसआर उपलब्धियों, एजेंडा और वर्ष के दौरान की गई पहल की रिपोर्ट दी जाएगी।

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i)	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	एडसिल में निम्नलिखित कदमों को क्रियान्वित किया गया है: • उपयोग में नहीं होने पर सभी बिजली के उपकरणों को बंद करना सुनिश्चित किया जाता है। • एयर कंडीशनर का इष्टतम उपयोग करना
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	• गलियों और कैंटीन की प्रकाश व्यवस्था सौर ऊर्जा पर आधारित है। उसके लिए सौर पैनल्स लगाए गए।
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	• वित्तीय वर्ष 2019–20 में ऊर्जा संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की पूंजी का निवेश नहीं किया गया था।

ख. प्रौद्योगिकी का अंगीकरण

(i)	प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	सभी कर्मचारियों के उपकरणों की बेहतर सुरक्षा के लिए उनमें एंटीवायरस साधन क्रियान्वित किया गया है।
(ii)	उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त किए	नए उत्पाद विकास और पहलों के हिस्से के रूप में निम्नलिखित आरएफपी की योजना बनाई जा रही है: क) वर्चुअल क्लासरूम ख) क्लाउड सेवा प्रदाता ग) मॉरीशस सरकार के लिए सीएमएस हेतु क्लाउड सर्वर और टिकट प्रबंधन प्रणाली
iii)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)	
क)	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	लागू नहीं
ख)	आयात वर्ष	लागू नहीं
ग)	क्या तकनीक पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	लागू नहीं
घ)	यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाई तो ऐसे क्षेत्र जिनमें अवशोषण नहीं हुआ, और इसके कारण,	लागू नहीं

iv)	अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	आरएंडडी के व्यय के लिए मांगा गया बजट – सोलराइज्ड / सुदृढ़ीकृत डिजिटल कक्षा के साधनों को विकसित करने हेतु इन–हाउस समाधान विकसित करने के लिए 2 करोड़, एनएमईआईसीटी पहल के एक भाग के रूप में विभिन्न उत्पाद विकसित किए गए (वी–लैब, एफओएसईई, स्पोकन ट्यूटोरियल, लिबरेऑफिस)।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

क. विदेशी मुद्रा में आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वस्तुओं का निर्यात (स्टॉक इन ट्रेड)	195.54	3657.51
सेवाओं का निर्यात	699.37	560.04
कुल	**894.91**	**4217.55**

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
सी.आई.एफ. पर आयात का मूल्य (स्टॉक इन ट्रेड)	-	82.17
यात्रा व्यय	2.77	0.89
परियोजनाओं में व्यय सहित सेवाओं की उपलब्धि पर व्यय	43.71	134.30
मॉरिशस अपार्टमैन्ट के किराये का भुगतान	4.72	6.20
कुल	**51.20**	**223.56**

अनुबंध – VIII

वित्त वर्ष 2020–21 के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन

i. कारोबार – प्रचालन से राजस्व (करोड़ रुपये में) – 10 अंक

2019.20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
327	317.27	327	320	275	250	200	**332.83**	**10**

ii. प्रचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रचालन लाभ (शुद्ध) (%) – 20 अंक:

2019.20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
15.31	24.51	24.51	15.31	11	10	9	**11.48**	**12.45**

iii. औसत नेटवर्थ के प्रतिशत के रूप में पैट (%) – 20 अंक:

2019.20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
31.36	75	75	40	30	25	20	**22.93**	**6.34**

iv. वर्ष के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर :

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
वर्ष के दौरान प्राप्त नए पुष्ट ऑर्डर (करोड़ रुपये में)	10	370	357	400	370	300	275	250	**511.49**	**10**

v. प्रचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में निर्यात (शुद्ध) (%):

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
प्रचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में निर्यात (शुद्ध)	10	9.25	-	9.25	8	7	6	5	**2.69**	**0**

vi. अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल को डिजाइन करने से राजस्व (करोड़ रु. में) (%):

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल को डिजाइन करने से राजस्व	3	-	-	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	**0***	**0**

*अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल का निर्माण शुरू नहीं किया गया था क्योंकि
क) आज की तारीख तक सभी संस्थान कोविड की बीमारी के कारण बंद थे।
ख) शिक्षा मंत्रालय ने चयन के प्रतिमानों को बदल दिया है और संस्थानों के चयन से संबंधित प्रतिमानों को पुनरावलोकन हेतु एक समिति का गठन कर दिया था।

vii. दूर–अन्वीक्षण मूल्यांकन के माध्यम से सीबीटी (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) (दिनांक):

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
दूर–अन्वीक्षण मूल्यांकन के माध्यम से सीबीटी (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) (दिनांक)	3	-	-	30.11.20	31.12.20	31.01.21	28.02.21	31.03.21	7 एवं 8 सितम्बर, 2020	3

viii. स्कूल/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों इत्यादि में वर्चुअल क्लासरूम लागू करना (संस्थानों की संख्या)

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
स्कूल/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों इत्यादि में वर्चुअल क्लासरूम लागू करना (संस्थानों की संख्या)	3	-	-	15	14	13	12	11	55	3

ix. समय उल्लंघना के बिना ग्राहक के ऑर्डर/करारों की पूर्णता के माइलस्टोन (%):

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
समय उल्लंघना के बिना ग्राहक के ऑर्डर/करारों की पूर्णता के माइलस्टोन (%)	10	-	-	100	95	90	85	80	100	10

x. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों में से कुल बाजार हिस्सा (%):

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों में से कुल बाजार हिस्सा (%)	4	-	-	15	14	13	12	11	19%	4

xi. प्रचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में (शुद्ध) व्यापार प्राप्तियां (सकल):

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
प्रचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में (शुद्ध) व्यापार प्राप्तियां (सकल) (दिनों की संख्या)	4	159	33	33	70	120	150	170	**207-20**	0

xii. वित्त वर्ष 2019–20 अर्थात् गत वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिशतता:

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
वित्त वर्ष 2019–20 अर्थात् गत वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिशतता	5	25	-	25	20	15	10	5	**38.64%**	**5**

xiii. विभिन्न भाषाओं में सूचना का प्रसारण

मापदण्ड	अंक	2019-20 (अनुमान)	5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब		
विभिन्न भाषाओं में सूचना का प्रसारण– (i) 'स्टडी इन इंडिया' विषयवस्तुओं के लिए पाँच भाषाएं और	3	-	-	31.01.21	15.02.21	28.02.21	15.03.21	31.03.21	**31.01.21**	**1.5**
(ii) शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यथापेक्षित विषयवस्तु के लिए देश की पाँच क्षेत्रीय भाषाएँ (दिनांक)									**31.03.21**	**0.60**

कुल प्राप्तांक : **64-89***

कोटिनिर्धारण – अच्छा

*यह प्राप्तांक स्व–मूल्यांकन के अनुसार है और डीपीई के द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन है।

अनुबंध – IX

निगमित शासन संबंधी प्रमाण–पत्र

सेवा में
सदस्य
एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशा–निर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त विनियमों और दिशा–निर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित रही है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 तक, कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशा–निर्देश, 2010 का अनुपालन किया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन में न तो कंपनी की भावी लाभप्रदता का और न ही इसका आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता से किया है।

कृते दिव्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स
अभ्यासरत कंपनी सचिव

तिथि: 20.07.2021
स्थान: नई दिल्ली

हस्त/–
(दिव्या गुप्ता)
सदस्यता नं. 7792
सीओपी सं. 8530
यूडीआईएन: एफ007792सी000660356

निदेशकों की संक्षिप्त विवरणिका

श्री मनोज कुमार,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 08636099)

श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने 01.12.2019 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एडसिल (मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई, भारत सरकार) के रूप में पदभार संभाला है।

एमएनआईटी, जयपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक; और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। वह 1994 बैच के भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) के सदस्य भी रहे हैं।

उन्होंने एडसिल में शामिल होने से पहले विभिन्न संगठनों में कई वरिष्ठ पदों जैसे डीएमआरसी, दूरसंचार विभाग, संचार और आईटी मंत्रालय (भारत सरकार) आदि पर काम किया है।

उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों और सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कार्यनीति, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और मूल्यांकन इत्यादि में प्राप्त है। श्री अग्रवाल ने दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न मेगा परियोजनाओं के साथ–साथ कई डीएमआरसी परियोजनाओं की अवधारणा, योजना और निष्पादन में योगदान दिया है।

डीएमआरसी में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री अग्रवाल ने कई कार्यनीतिक और लागत–बचत प्रक्रियाओं में सुधार किया, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक क्षमता का विकास हुआ और संगठन को आत्म–निर्भर बनाने में सक्षम बनाया गया। उन्होंने इस अवधि के दौरान सेवाओं के निर्बाध और कुशल संचालन का एक अनुकरणीय रिकॉर्ड बनाया।

वह 01.08.2017 को कार्यकारी निदेशक (परियोजना) के रूप में एडसिल से जुड़े और मानव संसाधन सहित प्रमुख व्यापारिक कार्यक्षेत्रों को संभाल रहे थे। उन्होंने एडसिल को प्रगति की दिशा में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है और वित्त वर्ष 20–21 में एडसिल की राजस्व वृद्धि 333 करोड़ रुपये तक करने में एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

श्री कुमार ने कोविड–युग पश्चात एडसिल को विविध क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की परिकल्पना की है।

श्री अनिल कुमार राय,
विदेश मंत्रालय नामित निदेशक
(डीआईएन 08970007)

श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय 28/10/2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में हैं। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव (संसद और समन्वय) का पद ग्रहण करने से पूर्व, श्री राय नवंबर 2017 से सितंबर 2020 तक शंघाई में भारत के काउंसल जनरल थे। उन्होंने काहिरा, कुवैत, ढाका, नई दिल्ली में मुख्यालय में और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में भारत के स्थायी मिशन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

अब तक किए गए राजनयिक कार्यों के विवरण में शामिल हैं:

2001–2003 विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के गल्फ डिवीजन में राजनयिक प्रशिक्षण और सपुर्द कार्य।

2003–2006 काहिरा में भारतीय दूतावास में, प्रेस एवं सूचना और सांस्कृतिक कार्य की देखरेख।

2006–2009 कुवैत में भारतीय दूतावास में, वाणिज्यिक और कांसुलर मामलों की देखरेख।

2009–2012 भारत के उच्चायोग, ढाका में, बांग्लादेश के साथ आर्थिक सहयोग और भारत के विकासात्मक सहायता कार्यक्रमों की देखरेख।

2012–2014 विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में विकास साझेदारी प्रशासन में, पड़ोसी देशों के साथ भारत के विकासात्मक सहायता कार्यक्रमों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को संभालना।

सितंबर 2014 अक्टूबर 2017: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए), शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर), संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यूएनआईएसडीआर), अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम), और भारतीय मिशन के प्रशासन और वित्त सहित, बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, मिनामाटा, रामसर कन्वेंशन आदि जैसे बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते जैसे संगठनों के साथ भारत की भागीदारी की देखभाल।

श्री राय का जन्म 25 अप्रैल 1973 को हुआ था; भूविज्ञान और जल संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री धारक हैं। वह अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और अरबी बोलते हैं।

डॉ रेणुका मिश्रा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नामित निदेशक
(डीआईएन 08635835)

भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की एक अधिकारी डॉ रेणुका मिश्रा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 21.11.2019 को एडसिल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

डॉ. मिश्रा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में आईसीएसएसआर अध्येता के रूप में "सोनितपुर जिले में वानिकी संसाधनों के विशिष्ट संदर्भ में – असम राज्य के लिए टिकाऊ विकास की रणनीति" के विषय पर पीएचडी की है।

वह पहले कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग), आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ सेवा कर चुकी हैं।

वह विभिन्न जर्नलों / पत्रिकाओं में कराधान, वन में प्रवास, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय विवाह–प्रवास में महिलाओं की अरक्षितता आदि क्षेत्रों पर प्रकाशित कई आलेखों / लेखों की नियमित लेखिका रही हैं।

वर्तमान में वह उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक (टीई) के पद पर तैनात हैं।

अनुबंध – XI-क

धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं
फॉर्म एओसी–2

[अधिनियम की धारा 134 के उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार, (वर्ष 2020–21)]

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ निष्पक्ष और सुविधाजनक लेन–देन शामिल हैं।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
1	संविदा या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो निष्पक्ष और सुविधाजनक नहीं हैं	कुछ नहीं
	(क) संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
	(ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति	लागू नहीं
	(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	लागू नहीं
	(घ) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की मुख्य शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो	लागू नहीं
	(ङ) ऐसे संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
	(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां)	लागू नहीं
	(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
	(ज) वह तारीख जिस तारीख को आम बैठक में धारा 188 के लिए पहले परंतुक के तहत आवश्यक विशेष संकल्प पारित किया गया था।	लागू नहीं
2	निष्पक्ष और सुविधाजनक के आधार पर सामग्री संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण	कुछ नहीं
	(क) संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
	(ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति	लागू नहीं
	(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	लागू नहीं
	(घ) संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो:	लागू नहीं
	(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	लागू नहीं
	(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं

अनुबंध-XI-ख

प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक आदि की जानकारी
कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का नियम 5(2)

क्र. सं.	नाम	पदनाम/ कार्य की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक (लाख रुपये में)	नियुक्ति की प्रकृति संविदात्मक या अन्य कोई	कर्मचारी की अर्हता	कर्मचारी का अनुभव (वर्षों में)	नियुक्ति की तिथि	31 मार्च, 2021 को कर्मचारी की आयु (वर्षों में)	कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व का रोजगार	कंपनी की इक्विटी शेयरधारिता की प्रतिशतता	यदि प्रबंधक/ निदेशक से संबंधित है तो ऐसे प्रबंधक/ निदेशक का नाम
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
1	मनोज कुमार	सीएमडी	54.63	नियमित	बी.टेक, एमबीए	25	01.08.2017	52	टीईआरएम दूरसंचार मंत्रालय	शून्य	नहीं
2	संदीप गोयल	सीजीएम (एफ)	46.51	नियमित	आईसीडब्ल्युए	29	15.11.2016	53	सेल	शून्य	नहीं
3	जी.एस. श्रीधर	डीजीएम	40.43	नियमित	बी.टेक, एम.टेक	38	26.06.1990	59	डीआरडीओ	शून्य	नहीं
4	के.पी.एस. शिशोदिया	डीजीएम	38.29	नियमित	एलएलबी, एम.कॉम, पीजीडीएचआरएम	35	07.10.1998	52	सीईएल	शून्य	नहीं
5	एम.जी. नंदीश बाबू	डीजीएम	37.15	नियमित	बीई (सिविल) एम.टेक	27	04.04.1996	52	बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग	शून्य	नहीं
6	एस.घोष	जीएम	35.26	नियमित	एमएससी, एमबीए, पीजीडीएचआरएम	35	22.02.1993	59	सीएसआईआर	शून्य	नहीं
7	यू.एस. गायकवाड	जीएम	34.19	नियमित	बी.कॉम, एलएलबी, लेबर स्टडीज में मास्टर्स, पीजीडीएचआरएम	29	18.06.2008	53	एनएससीएफडसी	शून्य	नहीं
8	प्रदीप कुमार सिंह शिशोदिया	सीजीएम	32.98	नियमित	बीई(सिविल), कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा	29	03.10.2016	52	गैनन डंकैरली एंड कं. लि.	शून्य	नहीं
9	पी. जयंती	जीएम	31.19	नियमित	एम.कॉम, आईसीडब्ल्युए, आईआरसीएस सर्टिफाइड ऑडिटर/लीड ऑडिटर	35	27.03.2008	56	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	शून्य	नहीं
10	रत्नेश कुमार	सीजीएम	29.68	नियमित	बीए (ऑनर्स), कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा, एमबीए	29	22.08.2016	53	एयरसेल लि.	शून्य	नहीं

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष में नियोजित थे और उक्त वित्त वर्ष के लिए जो समग्र पारिश्रमिक प्राप्त किया था वह एक करोड़ और दो लाख रुपये से कम नहीं था;

.....कुछ नहीं.....

(ख) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के भाग के लिए नियोजित और उस वित्तीय वर्ष के किसी भी भाग के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, जो कुल मिलाकर आठ लाख और 50,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं था।;

.....कुछ नहीं.....

अनुबंध – XII

परियोजनाओं का सार

डीईएस विभाग की प्रमुख परियोजनाएं – वित्त वर्ष 2020–21 की चालू और पूर्ण परियोजना

डीईएस–जारी परियोजना (घरेलू)

क्र. सं.	राज्य/यूटी/ जिला का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	ओडिशा	डीएमएफ, मयूरभंज	डीएमएफ से बाहर स्कूल/कालेजों के डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में ई–लर्निंग समाधान का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में
2	छत्तीसगढ़	डीईओ, कोरबा	कोरबा, छत्तीसगढ़ में 500 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं को लागू करना	निष्पादन चरण में
3	ओडिशा	डीएमएफ, जयपुर, ओडिशा	डीएमएफ से बाहर स्कूल/कालेजों के डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में ई–लर्निंग समाधान का कार्यान्वयन	चालू करके दिया। वारंटी अवधि में हैं।
4	असम	सीएचएआर विकास क्षेत्र असम का निदेशालय, असम सरकार	असम में 744 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साधनों (1488 इकाइयां) का कार्यान्वयन	चालू करके दिया। वारंटी अवधि में हैं।
5	धारवाड़	सेल	धारवाड़ के 25 स्कूलों में स्मार्ट कक्षा की आपूर्ति और स्थापना	निष्पादन चरण में
6	अखिल भारत	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत केन्द्रीय विद्यालयों हेतु कनेक्टिड क्लासरूम सॉल्यूशन का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत अधिगम कार्यक्रम को लागू करना	निष्पादन चरण में
7	सिक्किम	सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार	पीएमजेवीके (एमएसडीपी) केतहत सिक्किम के 290 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षा साधनों (कुल 500 इकाइयां) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव	वारंटी अवधि में हैं।
8	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन सिस्टम (आईयूएमएस) को लागू करना	निष्पादन चरण में
9	अरुणाचल प्रदेश	प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के 426 स्कूलों में 852 स्मार्ट कक्षाओं को लागू करना	वारंटी अवधि में हैं।
10	पूर्वी सिंहभूम, झारखंड	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के 21 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की आपूर्ति और स्थापना	चालू करके दिया। वारंटी अवधि में हैं।

डीईएस–पूर्ण परियोजना (घरेलू)

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	असम, मणीपुर, मेघालय, त्रिपुरा	उत्तर पूर्वी काउंसिल विभाग	एनईसी के लिए 215 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की आपूर्ति और स्थापना	परियोजना पूर्ण

डीईएस–जारी परियोजना (अंतर्राष्ट्रीय)

क्र. सं.	देश का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	मॉरिशस	शिक्षा मंत्रालय	एसईएन शिक्षार्थियों के लिए ब्रेल नोट्स	निष्पादन चरण में
2	मॉरिशस	शिक्षा मंत्रालय	शुरुआती डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम (ईडीएलपी) परियोजना, चरण–III के तहत प्राथमिक स्कूलों में संबंधित हार्डवेयर सहित टेबलैटों की आपूर्ति, चालू करके देना और रखरखाव	रखरखाव सहायता अवधि के अंतर्गत हैं।
3	मॉरिशस	शिक्षा मंत्रालय	शुरुआती डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम (ईडीएलपी) परियोजना, चरण–II के तहत प्राथमिक स्कूलों में संबंधित हार्डवेयर सहित टेबलैटों की आपूर्ति, चालू करके देना और रखरखाव	रखरखाव सहायता अवधि के अंतर्गत हैं।
4	मॉरिशस	शिक्षा मंत्रालय	ईडीएलपी चरण–III में क्लाउड सर्वर पर सीएमएस अनुप्रयोग की होस्टिंग	निष्पादन चरण में

डीईएस–पूर्ण परियोजना (अंतर्राष्ट्रीय)

क्र. सं.	देश का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	मॉरिशस	ईटीईएसटी मंत्रालय	शुरुआती डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम (ईडीएलपी) परियोजना, चरण–I के तहत प्राथमिक स्कूलों में संबंधित हार्डवेयर सहित टेबलैटों की आपूर्ति, चालू करके देना और रखरखाव	समझौता ज्ञापन के पैरामीटरों के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण

ओवरसीज शिक्षा सेवाओं के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान चल रही/पूर्ण परियोजनाओं का सार (देश/ग्राहकों का नाम/परियोजना का नाम/स्थिति)

स्थानन परियोजना

क्र. सं.	देश/राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	भुटान	भुटान की शाही सरकार, थिम्पू	**2017–18 के बैच** के लिए पूर्व स्नातक प्रोग्राम में एडसिल से जुड़े संस्थानों में भुटानी छात्रों का स्थानन	पूर्ण
2	भुटान	भुटान की शाही सरकार थिम्पू	**2018–19 के बैच** के लिए पूर्व स्नातक प्रोग्राम में एडसिल से जुड़े संस्थानों में भुटानी छात्रों का स्थानन	जारी
3	भुटान	भुटान की शाही सरकार थिम्पू	**2019–20 के बैच** के लिए पूर्व स्नातक प्रोग्राम में एडसिल से जुड़े संस्थानों में भुटानी छात्रों का स्थानन	जारी
4	विभिन्न देशों के स्ववित्तपोषित छात्र		**2018–19 के बैच** के लिए होटल प्रबंधन कार्यक्रमों में स्ववित्तपोषित छात्रों का स्थानन	पूर्ण
5	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2017–18 के बैच** के लिए एडसिल से जुड़े संस्थानों में पूर्व स्नातक प्रोग्राम यथा बी. फार्मेसी, बी.एससी (नर्सिंग) कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी, पशुचिकित्सा कार्यक्रम तथा बीटेक प्रोग्रामों में नेपाली छात्रों का स्थानन	जारी
6	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2018–19 के बैच** के लिए एडसिल से जुड़े संस्थानों में पूर्व स्नातक प्रोग्राम यथा बी. फार्मेसी, बी.एससी (नर्सिंग) कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी, पशुचिकित्सा कार्यक्रम तथा बीटेक प्रोग्रामों में नेपाली छात्रों का स्थानन	जारी
7	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2019–20 के बैच** के लिए एडसिल से जुड़े संस्थानों में पूर्व स्नातक प्रोग्राम यथा बी. फार्मेसी, बी.एससी (नर्सिंग) कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी, पशुचिकित्सा कार्यक्रम तथा बीटेक प्रोग्रामों में नेपाली छात्रों का स्थानन	जारी

क्र. सं.	देश/राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
8	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2020–21 के बैच** के लिए एडसिल से जुड़े संस्थानों में पूर्व स्नातक प्रोग्राम यथा बी.फार्मेसी, बी.एससी (नर्सिंग) कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी, पशुचिकित्सा कार्यक्रम तथा बीटेक प्रोग्रामों में नेपाली छात्रों का स्थानन	जारी
9	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2019–20 के बैच** के लिए "स्टडी इन इंडिया" के अन्तर्गत जुड़े संस्थानों मे विभिन्न स्नातकोतर प्रोग्राम में नेपाली छात्रों का स्थानन	जारी
10	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2020–21 के बैच** के लिए "स्टडी इन इंडिया" के अन्तर्गत जुड़े संस्थानों मे विभिन्न स्नातकोतर प्रोग्राम में नेपाली छात्रों का स्थानन	जारी
11	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2015–16 के बैच** के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तुविद्या स्नातक के चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण एवं एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का स्थानन	पूर्ण
12	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2016–17 के बैच** के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तुविद्या स्नातक के चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण एवं एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का स्थानन	पूर्ण
13	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2017–18 के बैच** के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तुविद्या स्नातक के चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण एवं एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का स्थानन	जारी
14	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2018–19 के बैच** के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तुविद्या स्नातक के चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण एवं एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का स्थानन	जारी
15	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2019–20 के बैच** के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तुविद्या स्नातक के चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण एवं एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का स्थानन	जारी

क्र. सं.	देश/राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
16	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2018–19 के बैच** के लिए "स्टडी इन इंडिया" के तहत सूचीबद्ध संस्थानों में विभिन्न स्नातकोत्तर प्रोग्रामों में सीरियाई छात्रों का स्थानन	पूर्ण
17	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2018–19 के बैच** के लिए "स्टडी इन इंडिया" के तहत सूचीबद्ध संस्थानों में विभिन्न पूर्व स्नातक प्रोग्रामों में सीरियाई छात्रों का स्थानन	जारी
18	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	**2019–20 के बैच** के लिए "स्टडी इन इंडिया" के तहत सूचीबद्ध संस्थानों में विभिन्न पूर्व स्नातक प्रोग्रामों में सीरियाई छात्रों का स्थानन	जारी

शैक्षणिक अवसंरचना सेवाओं और शैक्षणिक अधिप्राप्ति सेवाओं की वर्ष 2020–21 के दौरान चालू/पूर्ण परियोजनाओं का सारांश

राष्ट्रीय :

क. राज्य स्तर की प्रापण–खरीद :–

जारी

1. **तमिलनाडु:** नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेवेली, तमिलनाडु (टीएन) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के लिए फर्नीचर की मदों की आपूर्ति, स्थापना एवं चालू करके देना।
2. **ओडिशा:** ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन (ओएवीएस), भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला का उन्नयन और फर्नीचर की आपूर्ति आदि।
3. **उत्तर प्रदेश:** राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी), जैस, अमेठी (बंडल–II) के लिए फर्नीचर, ऑडियो व वीडियो, यूपीएस, ईपीएबीएक्स सिस्टम, लैन एवं वाई–फाई की खरीद।

पूर्ण

1. **कर्नाटक:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), बेंगलुरु, कर्नाटक में डेटा सेन्टर का उन्नयन। कार्य 2020–2021 में पूर्ण हुआ।
2. **पंजाब:** आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (मुख्य परिसर तथा इसके संघटक) कपुरथला जालंधर (पंजाब) की स्थापना करने के लिए फर्नीचर, आईटी और प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और चालू करके सौंपना। कार्य 2020–2021 में पूर्ण हुआ।

ख. राज्य स्तर पर संस्थानात्मक विकास :-

जारी

1. **हरियाणा:** पेरुंबक्कम (तमिलनाडु) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में पावरग्रिड के लिए सीएसआर पहल के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना करने से संबंधित मास्टर प्लान सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (डीपीआर–सिविल)।

पूर्ण

1. **हरियाणा:** देशभर में पावरग्रिड के लिए पावरग्रिड ज्ञान केन्द्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) की स्थापना करने से संबंधित मास्टर प्लान के सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (डीपीआर–सिविल)।
2. **उत्तर प्रदेश:** केएचएस, आगरा में बहुद्देशीय कक्ष का निर्माण (मुख्य कार्य संपन्न हो चुका है)–वित्तीय समापन प्रगति पर है।

ग. अन्य कार्य:-

1. **नई दिल्ली:** परीक्षा पे चर्चा–2021 (पीपीसी)– प्रधानमंत्री की स्कूली छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ चर्चा के चौथे संस्करण के समारोह का आयोजन एवं संचालन करना।
2. **स्वयम सोशल मीडिया, अभियान:** सोशल मीडिया रणनीति, विषय–सामग्री और क्रिएटिव तैयार करना, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार, मीडिया योजना, अभियान और वास्तविक समयमान में सामाजिक श्रवण की प्रभावशीलता को परिभाषित करना।
3. **शिक्षा मंत्रालय का सोशल मीडिया अभियान:** सोशल मीडिया रणनीति, विषय–सामग्री और क्रिएटिव तैयार करना, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार, मीडिया योजना, अभियान और वास्तविक समयमान में सामाजिक श्रवण की प्रभावशीलता को परिभाषित करना।
4. **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के लिए सीएसआर आधारित प्रापण–खरीद।**

वर्ष 2020–21 के दौरान परामर्शी सेवाओं की पूर्ण/जारी परियोजनाओं का सारांश

घरेलू (जारी)

(राज्य, ग्राहक का नाम, परियोजना का नाम–स्थिति)

1. **तमिलनाडु:** आधुनिक वस्त्र अनुसंधान केन्द्र, (कारटेक्स), निफ्ट, वस्त्र मंत्रालय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–जारी।

2. **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** सचिवालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डे–नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए डीपीआर तैयार करना – जारी

3. **नई दिल्ली:** यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईएमसीए), नई दिल्ली वाईएमसीए के अधीन संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन और मूल्यांकन – जारी

4. **नई दिल्ली:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), एनएसटी एफडीसी के लिए एचआरएम कंसाल्टेंसी–जारी।

5. **नई दिल्ली:** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), नेल्लोर में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट – जारी

6. **नई दिल्ली:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पीपीपी मॉड के अंतर्गत 5 नए आईआईआईटी स्थापित करने हेतु मॉडल डीपीआर– जारी

घरेलू (पूर्ण)

(राज्य, ग्राहक का नाम, परियोजना का नाम–स्थिति)

7. **नई दिल्ली:** संस्कृति मंत्रालय (एमओसी), 'अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों (आईसीआर) को बढ़ावा देने की योजना' का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

8. **नई दिल्ली:** संस्कृति मंत्रालय (एमओसी), राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) से संबंधित योजना का मूल्यांकन

9. **उत्तर प्रदेश:** पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.(पीजीसीआईएल) के लिए उनकी सीएसआर पहल के अंतर्गत आईटीआई की स्थापना करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

10. **तमिलनाडु:** पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) के लिए उनकी सीएसआर पहल के अंतर्गत आईटीआई की स्थापना करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवा प्रभाग की वित्त वर्ष 2002–21 के दौरान पूर्ण/जारी परियोजनाओं का सार

(क) अंतर्राष्ट्रीय

(i) पूर्ण परियोजनाएं:-

1) **कॉम्पैक्स नेपाल 2020–21:** भारतीय दूतावास, नेपाल–विदेश मंत्रालय, भारत सरकार – 2020–21 की योजना के तहत छात्रवृत्ति के आधार पर भारतीय विश्विद्यालयों में बीई/बी.टेक, बी.फार्मा, बीएससी (कृषि), बीएससी (खाद्य प्रौद्योगिकी), बीएससी (नर्सिंग) इत्यादि में प्रवेश लेने के लिए नेपाली छात्रों के चयन हेतु एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन – **पूर्ण**

(ख) राष्ट्रीय:

1. **भुवनेश्वर:** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस)–योग अनुदेशक के पद के लिए सीबीटी का संचालन – **पूर्ण**

2) **फरीदाबाद:** पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल–उत्तर)–विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन – **पूर्ण**

3) **लखनऊ:** उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

(यूपीपीसीएल)–यूपीपीसीएल 2020 में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

4) **नई दिल्ली:** गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)–शिक्षा वर्ष 2020–21 में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए साझा प्रवेश परीक्षा (ऑनलाइन) का संचालन–**पूर्ण**

5) **नई दिल्ली:** ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड (ईईएसएल) – 26 श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

6) **नई दिल्ली:** दिल्ली जिला न्यायालय–विभिन्न पदों के लिए कौशल परीक्षा का संचालन–**पूर्ण**

7) **नई दिल्ली:** डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएससीसीआईएल)–सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक और 12 श्रेणी के कार्यकारी पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

8) **नई दिल्ली:** दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) – पटवारी सहित विभिन्न श्रेणियों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन और जेएसओ, स्टैनो आदि के लिए कौशल परीक्षा का भी संचालन–**पूर्ण**

9) **नई दिल्ली:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)–गेट 2019 के माध्यम से भर्ती के लिए मेरिट सूची तैयार करके प्रस्तुत करना–**पूर्ण**

10) **नई दिल्ली:** अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी)–शिक्षा वर्ष 2020–21 के लिए विभिन्न पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए (ऑनलाइन) साझा प्रवेश परीक्षा का संचालन–**पूर्ण**

11) **नई दिल्ली:** खुफिया विभाग (आईबी) गृह मंत्रालय, भारत सरकार–विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

12) **नई दिल्ली:** नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल)–वरिष्ठ कार्यकारी (सिविल, एस एंड टी, विद्युत, सामान्य) और सहायक प्रबंधक विद्युत की भर्ती– **पूर्ण**

13) **नई दिल्ली:** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)–विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन और कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार का संचालन–**पूर्ण**

14) **नई दिल्ली:** वन और वन्य जीव विभाग (डीओएफडब्ल्यु), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार–वन रक्षक, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वाइल्ड लाइफ रेंजर की भर्ती के लिए सीबीटी–**पूर्ण**

15) **नई दिल्ली:** दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)–विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

16) **नई दिल्ली:** भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्युएआई)–विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

17) **नई दिल्ली:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) दृ विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

18) **नेवेली (तमिलनाडु):** नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)–विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

19) **नोएडा:** ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन – **पूर्ण**

20) **ओडिशा:** ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल)–विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सीबीटी का संचालन–**पूर्ण**

21) **ओडिशा:** ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य,
एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

विशेषज्ञों की राय

हमने **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड** (एडसिल/कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद 'वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) के सार सहित 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और लाभ और हानि का विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए जिसमें नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरण शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के **विशेषज्ञों की राय भाग** के आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्य की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और नकदी प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष विवरण देता है।

विशेषज्ञों की राय के लिए आधार

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:–

- **शेष पुष्टि विवरणों से संबंधित टिप्पणी सं. 45** की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित वित्तीय विवरण लाइन मदों के संबंध में प्राप्त न हुई पुष्टि संबंधी ब्यौरा शामिल है।

  व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य दीर्घकालिक और अल्पकालिक देयताओं (आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त ईडीएम/प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा, परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (दी गई प्रतिभूति जमा, आपूर्तिकर्ताओं को दी गई अग्रिम पुष्टि और सामंजस्य के अधीन है।

  वित्तीय विवरणों पर उनका परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं होता है। इन परिस्थितियों में हम उपर्युक्त अपुष्ट शेषों के आधार पर अपनी राय नहीं बना सकते।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- टिप्पणी संख्या 8: की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत कवर की गई इकाइयों से पैंतालीस दिनों से अधिक समय के लिए प्राप्य भुगतानों के लिए ब्याज के रूप में किसी धनराशि की मान्यता नहीं दी गई है।

- कंपनी ने 27.10.2021 को आयोजित आम सभा की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 12.50 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया था और शिक्षा मंत्रालय (शेयर) के पक्ष में दिनांक 24.02.2021 को 12.50 करोड़ रुपये का चेक जारी किया था। तथापि, निर्धारित समय में शेयरधारकों के खाते में राशि जमा नहीं की गई थी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित है।

उपर्युक्त मामलों में हमारी राय विशेषज्ञतायुक्त नहीं है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों के तहत, वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि

हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विशेषज्ञों की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उनकी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारियों में बोर्ड की रिपोर्ट और शेयरधारक की जानकारी के लिए अनुबंध सहित प्रबंधन रिपोर्ट की जानकारी शामिल है, किंतु वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उसमें शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया जाता है और हम उस पर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते हुए, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से गलत बताई गई है, तो हमें इस तथ्य के संबंध में सूचना देनी होगी। हमारे पास इस संबंध में सूचना देने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणों के प्रशासन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों से कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और प्रबंधन करना, जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन, भले ही वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, से रहित हैं, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव करना भी शामिल है। निदेशक मंडल वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी को लाभ अर्जित करने वाली कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, लाभ अर्जित करने वाले कंपनी के मामलों में लागू, प्रकटन करने और लेखांकन के लिए लाभ अर्जित करने वाली कंपनी आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी का परिसमापन करने या प्रचालन बंद करने की इच्छा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा अन्य कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से असत्य कथन से मुक्त हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु इस बात की गारन्टी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण असत्य कथन, यदि कोई हो, का पता हमेशा लग जाएगा। असत्य कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और यदि वे अलग–अलग या समेकित रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हों और यदि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्णय लिए जाएं तो उन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं, हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण असत्य कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, भले ही यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार और कार्यान्वित करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण असत्य कथन का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, असत्य कथन या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(ए) के तहत, हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभाव क्या है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभ अर्जित करने वाली कंपनी आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर क्या कंपनी की लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की स्थिति में बने रहने की क्षमता के संबंध में भारी संदेह पैदा करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के संबंध में भारी अनिश्चितता मौजूद हैं, के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भारी अनिश्चितता मौजूद हैं, अथवा यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को बदलने के लिए अपर्याप्त हैं, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन में अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना हमारे लिए आवश्यक होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की स्थिति में बने रहने के लिए संघर्ष कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उचित रूप से प्रस्तुत करने के तरीकों को दर्शाते हैं।

लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के नियोजित दायरे और समय, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी, जो हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान देखी हो, सहित अन्य मामलों में हम उनके साथ संवाद करते हैं, जिन पर प्रशासन की जिम्मेदारी है।

हम, जिन पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, उन्हें एक वचन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मालों की जानकारी देते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने योग्य समझे जाते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षात्मक उपाय भी करते हैं।

हम जिन पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनसे संवाद किए गए मामलों से उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के दौरान अति महत्वपूर्ण थे और इसलिए अति महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक विधि या विनियम उस मामले में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता या विरलतम परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से ऐसे संवादों के सार्वजनिक हितलाभ के बहुत अधिक हो जाने की संभावना बनी रहेगी।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी की हमारे द्वारा उचित समझी गई है बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर और हमें दी जानकारी और व्याख्या के अनुसार, लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध "क" में एक वचन देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार यथाअपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में, कंपनी द्वारा अब तक विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियां और रिकॉर्ड रखे गए हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा, किए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकद प्रवाह के विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपिनयों के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(अ) के अनुसार सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं:

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता की रिपोर्ट **अनुबंध "ख"** में दी गई है।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है, वित्तीय विवरण का नोट संख्या 34(क) देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने योग्य कोई राशि नहीं थी।

3. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में रिपोर्ट के संबंध में कृपया **अनुबंध "ग"** में अलग से रिपोर्ट देखें ।

केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनरू 00539सी

सीए राकेश कुमार जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 075604)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021
यूडीआईएन : 21075604एएएडीबी2930

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–''क ''

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ ''I'' में संदर्भित अनुबंध

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं।

(ख) कंपनी का संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के सत्यापन का कार्यक्रम है ताकि वर्ष में एक बार सभी मदों को शामिल किया जा सके, कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में यह उचित है। हमें जानकारी दी गई है कि इस प्रकार के सत्यापन के दौरान ऐसी कोई गंभीर विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर अचल संपत्तियों के हक विलेख कंपनी के नाम हैं।

(ii) कंपनी के पास वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान माल सूची का कोई स्टॉक नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(ii)(क), 3(ii(ख) और 3(ii)(ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत किसी भी ऋण को मंजूरी नहीं दी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल है। तदनुसार आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii)(ख) और 3(iii)(ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है इसलिए इन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत किसी भी ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति से संबंधित कोई भी डील नहीं की है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का कोई भी डिपोजिट प्राप्त नहीं किया है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकॉर्ड का रख–रखाव कंपनी पर लागू नहीं होता है इसलिए खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रस्तुत की गई बहियों और हमारे द्वारा उनकी जांच के अनुसार, हमारी राय में:

(क) कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, पेशेवर कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क तथा अन्य वैधानिक बकाया एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और सूचना के अनुसार वित्त वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च, 2021 का देय तिथि से छह माह के अधिक समय से निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि थी।

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	संबंधित अवधि
1.	दिल्ली	आय कर	टीडीएस	0.75	पूर्व वर्ष
2.	दिल्ली	आय कर	टीडीएस	1.43	2018–19
3.	दिल्ली	आय कर	टीडीएस	3.82	2019–20
4.	दिल्ली	आय कर	टीडीएस	0.25	2020–21

(viii) लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई ऋण या उधार नहीं है। इसलिए ऋणों की चुकौती या किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय ऋणों में चुक लागू नहीं होती है, इसलिए, खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ix) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं उठाया है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं है।

(x) कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है, इसलिए खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर सं. 463 (v) में दी गई छूट को देखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची v के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है; तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, जहां कभी भी लागू होता है, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, और वित्तीय विवरणों आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक है।

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी स्थानन या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनतीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा किए गए कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी ने निवेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर–नकद लेन–देन नहीं किया है और इसलिए ओदश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए कंपनी पर लागू नहीं है।

केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005359सी

सीए, राकेश कुमार जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 075604)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट में उल्लिखित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ–साथ उस तिथि को समाप्त हुई अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का संबंधित निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन करने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की (मार्गदर्शन नोट) है और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित करने के योग्य समझे गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी और उन्हें बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, कोई बड़ी कमी मौजूद होने के जोखिम का अनुमान और जोखिम के अनुमान के आधार पर परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण असत्य कथन के जोखिमों का अनुमान, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

(1) रिकॉर्ड के रख–रखाव से संबंधित है, जो तार्किक रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रकृति को विस्तार से दर्शाते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन लेखांकन के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और कंपनी के निवेशकों द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण या उपयोग का समय पर पता लगाने या रोकथाम करने या प्रकृति के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण की अनदेखी करके अनुचित प्रबंधन की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण असत्य कथन हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप कंपनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों के आधार पर 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। तथापि, हमने पाया कि

क) पक्षकारों (पार्टियों) के साथ सामंजस्य और संतुलन पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है।

ख) कंपनी ने सूचना प्रणाली नीति, पासवर्ड संख्या नीति, आंकड़ों का परिवर्तन/संशोधन, डेटा बैक अप नीति, डेटा रिकवरी नीति, साइबर आक्रमण संरक्षण नीति जैसी इकाई स्तर की नियंत्रण नीतियां न तो तैयार की हैं और न ही स्वीकार की हैं।

ग) हमने देखा है कि कंपनी ने वित्त विभाग में लेखांकन साफ्टवेयर (टैली) तैनात किया है। तथापि, वित्त विभाग और प्रचालन विभाग एक दूसरे के साथ समेकित नहीं है। इसके अलावा, शाखा कार्यालय दिल्ली की बहियां (बुक) मुख्यालय लेखा कार्यालय के साथ समेकित नहीं हैं।

केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 005359सी

सीए, राकेश कुमार जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 075604)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का अनुबंध ''ग''

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2020–21 के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में निदेश

क्र.सं.	निदेश	उत्तर
I	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ खातों के समेकन पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने के लिए अपनी प्रणाली है। लेखांकन साफ्टवेयर, टेली ईआरपी 9 का उपयोग किया जा रहा है, हालांकि इसे व्यापारिक प्रचालनों और शाखा कार्यालय के साथ समेकित नहीं किया गया है।
II	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए किसी मौजूदा ऋण की या अधित्याग के मामलों/या ऋण की छूट/ऋण/ब्याज आदि का पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू है)।	कंपनी ने बाहरी बाजार से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है इसलिए पुनर्गठन से इनकार किया गया है।
III	क्या केंद्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त हुई है/प्राप्त होनी है। क्या इसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से इसका लेखांकन किया गया है/उपयोग में लाया गया था? विचलन के मामलों की सूची।	हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई रिकार्डों की जांच के आधार पर केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का विशिष्ट शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया गया।

केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005359सी

सीए. राकेश कुमार जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 075604)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडिसल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन: यू74899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2021 को तुलनपत्र

(राशि रु. लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण	टिप्पणी सं.	31, मार्च 2021 को	31, मार्च 2020 को
I. 1. इक्विटी एवं देयताएं			
(1) शेयरधारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	4	1,000.00	1,000.00
(ख) आरक्षित एवं अतिरेक निधि	5	16,300.03	13,873.45
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	6	299.97	302.24
(ख) दीर्घ अवधि प्रावधान	7	885.82	844.82
(3) चालू देयताएं			
(क) व्यापार देयताएं	8		
(i) एमएसएमई की कुल बकाया देय राशि		1,176.42	3,682.30
(ii) एमएसएमई से भिन्न कुल बकाया देय राशियां		17,659.88	12,377.98
(ख) अन्य चालू देयताएं	9	18,723.63	11,571.21
(ग) अल्प अवधि प्रावधान	10	1,450.25	1,708.12
कुल		**57,496.00**	**45,360.12**
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	11		
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		3,928.78	3,998.50
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		11.81	13.47
(iii) कार्यशील पूंजी		3.00	-
(ख) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	12	575.97	542.85
(ग) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	13	131.68	136.92
(घ) अन्य गैर–चालू आस्तियां	14	1026.15	902.36
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) व्यापार प्राप्य	15	18,893.68	14,160.58
(ख) नकद एवं बैंक शेष	16	25,967.34	19,731.33
(ग) अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	17	2,735.78	3,015.56
(घ) अन्य चालू आस्तियां	18	4,221.81	2,858.55
कुल		**57,496.00**	**45,360.12**

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 49 तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखों की टिप्पणियां शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणी के अनिवार्य भाग को दर्शाती हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005359सी

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त) और सीएफओ

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक – मंडल की ओर से

हस्ता/–
राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 075604

हस्ता/–
मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08636099

हस्ता/–
प्रदीप कुमार पाण्डेय
सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 09284029

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडिसल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन: यू74899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण

(राशि रु. लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31, मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	राजस्व			
I	प्रचालनों से राजस्व	19	33,282.88	32,624.49
II	अन्य आय	20	1,027.90	620.20
III	कुल राजस्व (I+II)		34,310.78	33,244.69
IV	व्यय			
	परियोजना व्यय	21	18,690.21	19,463.59
	व्यापार स्टॉक की खरीद	22	7,752.56	3,774.64
	तैयार माल की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति तथा व्यापार स्टॉक	23	-	638.95
	कर्मचारी लाभ व्यय	24	2,338.17	2,623.51
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	25	89.39	108.98
	अन्य व्यय	26	427.62	977.51
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	33	164.05	42.00
	कुल व्यय		29,462.00	27,629.18
V	पूर्व अवधि से पहले लाभ, आपवादिक, असाधारण मदें एवं कर (III-IV)		4,848.78	5,615.52
VI	पूर्व अवधि मदें (निवल)	27	(104.37)	(4.46)
VII	आपवादिक, असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (V-VI)		4,953.15	5,619.97
VIII	आपवादिक मदें	28	9.50	0.60
IX	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		4,943.65	5,619.37
X	असाधारण मदें		-	-
XI	कर पूर्व लाभ (IX-X)		4,943.65	5,619.37
XII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर		1,300.27	1,571.81
	(2) आस्थगित कर		(33.12)	(82.90)
	(3) पूर्ववती वर्ष कराधान समायोजन		(12.15)	38.23
	वर्ष हेतु लाभ (XI-XII)		3,688.65	4,092.23
	100 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर रुपये में)			
	बेसिक		368.87	409.22
	न्यूनीकृत		368.87	409.22

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 49 तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखों की टिप्पणियां शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणों के अनिवार्य भाग को दर्शाते हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005359सी

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त) और सीएफओ

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक – मंडल की ओर से

हस्ता/–
राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 075604

हस्ता/–
मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08636099

हस्ता/–
प्रदीप कुमार पाण्डेय
सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 09284029

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडिसल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएनः यू74899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रु. लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

क्र. सं.	विवरण	31, मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
क)	कर से पहले शुद्ध लाभ	4,943.65	5,619.37
ख)	निम्न के लिए समायोजन:		
	i) कर्मचारी कल्याण के लिए उपयोग	(15.37)	(18.35)
	ii) सावधि जमा कर्मचारी कल्याण निधि के सावधि जमा पर ब्याज आय	3.30	2.42
	iii) मूल्यह्रास और परिशोधन	89.39	108.98
	iv) एफडीआर पर ब्याज आय	(647.87)	(392.76)
	v) वसूल नहीं की गई विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)	14.52	(104.21)
	vi) पुनरांकित प्रावधान	(49.70)	(11.99)
	vii) पुनरांकित देयता	(8.70)	(7.64)
	viii) पुनरांकित अग्रिम	(289.58)	(28.76)
	ix) अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय	(32.05)	(1.08)
	x) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री बट्टे खाते में डालने हानि/लाभ	9.50	0.60
	xi) कार्यशील पूंजी से स्थानांतरण के कारण समायोजन	-	10.27
ग)	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन (हानि)/लाभ (क+ख)	4,017.09	5,176.85
घ)	कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन :		
	i) व्यापार एवं अन्य प्राप्य में वृद्धि	(4,733.10)	(1,195.73)
	ii) ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	285.03	21.18
	iii) अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,773.16)	2,972.00
	iv) माल सूची में कमी	-	638.95
	v) व्यापार एवं अन्य देयताओं में वृद्धि	2,776.02	2,034.05
	vi) प्रावधान में वृद्धि	44.67	205.85
	vi) अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	7,498.13	3,520.33
ङ.)	संचालन से उत्पन्न नकदी (ग+घ)	8,114.68	13,373.48
च)	भुगतान किया गया आय कर	(1,191.32)	(1,188.75)
छ)	ऑपरेटिंग गतिविधियों में शुद्ध नकदी उत्पन्न	6,923.36	12,184.77
	(उपयोग में लाई गई) (ङ.+च) निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी:		
ज)	खरीद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की निवल (खरीद) बिक्री/हानि	(30.52)	(27.96)
झ)	सावधि जमा में शुद्ध निवेश (अन्य बैंक शेष-नोट सं. 16)	2,587.62	(4,501.01)
ञ)	एफडीआर पर ब्याज आय	593.17	392.76
त)	निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी उत्पन्न/(इस्तेमाल)	3,150.27	(4,136.21)
	वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
थ)	भुगतान किया गया लाभांश	(1,250.00)	(422.93)
द)	वित्त पोषण गतिविधियों में शुद्ध नकदी उत्पन्न/(प्रयुक्त)	(1,250.00)	(422.93)
ध)	नकद और नकदी समतुल्य राशियों में शुद्ध वृद्धि/कमी (छ+ट+ड)	8,823.63	7,625.63
न)	अवधि की शुरुआत में नकद और नकदी समतुल्य राशि	11,050.31	3,424.68
प)	अवधि के अंत में नकद और नकदी समकक्ष (ढ+ण)	19,873.94	11,050.31

टिप्पणीः–

(1) एएस–3 'नकद प्रवाह विवरण' की परोक्ष विधि के अनुसार नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

(2) अवधि के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य एवं ब्यौरे कुछ इस प्रकार हैं:–

(राशि रु. लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण	31, मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
हस्तगत विदेशी मुद्रा *	0.53	0.09
अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में शेष**	17,873.98	10,600.22
हस्तगत चैकों के रूप में शेष	407.43	-
13 महीनों में परिपक्व होने वाली सावधि जमा	1,592.00	450.00
कुल	**19,873.94**	**11,050.31**

*हस्तगत विदेशी मुद्रा में 73.5047 रुपये प्रति यूएसडी डॉलर की समापन दर पर 715 अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।

**विभिन्न टीएसपी ग्राहक परियोजनाओं, के लिए अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में 13,679.70 लाख (पिछले वर्ष 6,477.85 लाख रुपये) शामिल हैं जिसका उपयोग निधियों की मंजूरी की शर्तों के अनुसार अलग-अलग परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 49 तक महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखाओं की टिप्पणियां शामिल हैं जो वित्तीय विवरण के अनिवार्य भाग को दर्शाती हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005359सी

हस्ता/-
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त) और सीएफओ

हस्ता/-
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक - मंडल की ओर से

हस्ता/-
राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 075604

हस्ता/-
मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08636099

हस्ता/-
प्रदीप कुमार पाण्डेय
सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 09284029

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडिसल (इण्डिया) लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं

1. निगमित सूचना:

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (कंपनी) को 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक मिनी रत्न, श्रेणी 1 उद्यम है। कंपनी भारत और विदेशी दोनों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन और परामर्शी सेवाओं की पेशकश कर रही है जो इस प्रकार है

क. आनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं

ख. डिजीटल शिक्षा प्रणाली

ग. तकनीकी सहायता समूह

घ. स्टडी इन इण्डिया अभियान

ङ. ओवरसीज शिक्षा सेवाएं

च. परामर्शी और कौशल तथा प्रशिक्षण सेवाएं

छ. शिक्षा अवसंरचना तथा प्रापण सेवाएं

ज. उपर्युक्त के लिए अन्य गौण सेवाएं

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, विजय बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–11001 पर स्थित है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत किए जाते हैं। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसरण में यथा संशोधित कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 में यथाअधिसूचित मौजूदा लेखांकन मानक कंपनी द्वारा अंगीकृत किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) के तहत यथाउल्लिखित और अब तक संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (डिवीजन I) की आवश्यकता के अनुसार प्रकट किए जाते हैं। कंपनी द्वारा लगातार लेखा नीतियों को लागू किया गया है, सिवाय जहां प्रारंभ में नए जारी लेखांकन मानक अपनाए गए हैं या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

मूर्त परिसंपत्तियां

मूर्त परिसंपत्तियां को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, की शुद्ध लागत पर माना जाता है। लागत में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, विशेष रूप से इसके अधिग्रहण के कारण और इसे इसके इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्य दिशा में लाना जिसके बाद मूर्त परिसंपत्ति की किसी मद से संबंधित परिणामी व्यय को इसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब वे अपने मूल्यांकन किए गए मानक प्रदर्शन से परे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों में वृद्धि करते हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां, संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, की लागत शुद्ध पर कहा जाता है। लागत में इसकी खरीद लागत और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायी लागत शामिल है।

3.2 मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन या कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर आने वाली दरों के

संदर्भ में सीधी रेखा विधि पर मूल्यहारा का शुल्क लिया जाता है। अधिग्रहण के वर्ष में प्रत्येक 5000 रुपये तक की संपत्ति पूरी तरह से अवमूल्यन योग्य है।

ख) पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि में आनुपातिक रूप से परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन, संपत्ति के कंपनी के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा के आधार पर उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन के संबंध में किया जाता है।

3.3 प्रगतिशील पूंजी कार्य

निर्माण/संबंधित मूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में प्रयुक्त होने वाले सभी व्यय प्रगतिशील पूंजी कार्य में शामिल किए जाते हैं जब तक संगत परिसंपत्तियां वांछित प्रयोग के लिए तैयार न हों। निर्माण/उत्पादन अवधि के दौरान सभी अन्य व्ययों (जिनमें ट्रायल रन, टेस्ट रन के व्यय शामिल हैं) को प्रचालन पूर्व व्यय जिनका आबंटन/पूंजीकरण लंबित है के भाग के रूप में दर्शाया जाता है और इनका निर्माण/ उत्पादन पूरा हो जाने पर संबंधित परिसंपत्ति को आबंटित किया जाता है।

3.4 परिसंपत्तियों का खराब होना

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति (मूर्त और अमूर्त) के खराब होने का कोई संकेत है। एक परिसंपत्ति को खराब हुआ माना जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है, जो किसी परिसंपत्ति के सतत उपयोग से और उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने की संभावना है। लाभ और हानि के विवरण में खराब परिसंपत्ति को उस वर्ष में घटाया जाता है, जिसमें किसी परिसंपत्ति को खराब के रूप में पहचाना जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है तो लेखांकन अवधियों से पहले खराबी के कारण हानि गणना को उलट दिया जाता है।

3.5 निवेश

ऐसे निवेश जो आसानी से प्राप्त किए जाने योग्य हैं और ऐसे निवेश की तारीख से एक वर्ष या इससे कम समय तक किए जाने हैं, उन्हें वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को गैर–वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर–वर्तमान निवेश, ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा अन्य कमी के लिए लागत प्रावधान घटाते हुए किए जाते हैं। वर्तमान निवेश, व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत और उचित मूल्य से कम पर किया जाता है। हालांकि, जहां निवेश का उचित मूल्य पता नहीं चल पाता है, वहां निवेश लागत मूल्य पर दिखाया जाता है।

3.6 इनवेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त होने योग्य मूल्य, जो भी कम हो, प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम के आधार पर किया जाता है। लागत में माल को बिक्री केन्द्र तक लाने के सभी शुल्क शामिल हैं।

3.7 चालू और गैर–चालू वर्गीकरण

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III (डिवीजन I) में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी तथा नकदी समतुल्य में उनकी वसूली के बीच समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू–गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने प्रचालन चक्र को 12 महीनों में अभिनिश्चित किया है।

3.8 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और मान्यताएं बनाने की

आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की सूचित की गई मात्रा के अनुसार परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणामों को ज्ञात/मूर्त रूप दिया जाता है।

3.9 विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लेन–देन पर प्राप्त लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में रखा जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देनदारियों, जो विदेशी मुद्रा में निर्धारित की जाती हैं, को तुलन पत्र की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। परिणामी विनिमय अंतर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

3.10 राजस्व पहचान

क. ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा परियोजनाओं में, राजस्व की पहचान के लिए तीन पहचाने जा सकने योग्य चरण हैं। कंपनी चरणवार राजस्व को इस प्रकार पहचानती है:-

चरण	विवरण/शामिल खंड	एएस–9 के अनुसार पहचाने जा सकने योग्य राजस्व का प्रतिशत
I	प्रवेश पत्र जारी करने तक परीक्षा–पूर्व गतिविधियां	26%
II	परीक्षा आयोजित करना	71%
III	परिणाम की घोषणा	3%

ख. कॉस्ट प्लस परियोजनाओं के संबंध में, आय की पहचान प्रत्यक्ष व्यय में कंपनी के मार्जिन को जोड़कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किए गए प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर की जाती है।

ग. परामर्शी परियोजनाओं के संबंध में, आय की पहचान प्रदान की गई सेवाओं और परामर्श के अनुसार वर्ष के दौरान अर्जित परामर्श शुल्क की सीमा तक की जाती है।

घ. कंपनी द्वारा आयोजित शिक्षा मेलों के संबंध में, आय की पहचान शैक्षिक मेले के लिए ग्राहक के साथ सहमत भागीदारी शुल्क की सीमा तक एकमुश्त आधार पर की जाती है।

ङ. व्यापार आय की गणना बेची गई वस्तुओं के बिल प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर बिक्री बिल के आधार पर की जाती है।

च. अन्य टर्न– की परियोजनाओं के मामले में, आय की पहचान ग्राहक के साथ समझौते की रूप–रेखा के भीतर निर्धारित चरण पूरा होने की विधि के आधार पर की जाती है।

छ. जिन परियोजनाओं को कोई स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उनके संबंध में व्यय की आनुपातिक राशि जारी कार्य के अधीन है।

ज. एमईआईएस (मर्केण्डाइज एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम) और एसईआईएम सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम) के संबंध में ग्राहक से वसूली के आधार पर आय को मान्यता दी जाती है।

3.11 ब्याज आय/व्यय

(क) ब्याज आय को निवेश की गई राशि और निवेश की शर्तों के अनुसार लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्य किया जाता है।

ग्राहकों से प्राप्त धन पर अर्जित ब्याज की गणना कंपनी की ब्याज आय के रूप में जाती है। समझौते की स्पष्ट शर्तों के अनुसार ग्राहकों को भुगतान/जमा किए गए ब्याज को कंपनी का व्यय माना जाता है।

3.12 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में अन्य बातों के साथ–साथ भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

क. भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए वर्ष के दौरान भुगतान/देय कंपनी के योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। अलग ट्रस्टों के माध्यम से प्रशासित कार्यों के लिए इसका भुगतान किया जाता है।

ख. उपदान के प्रति कंपनी की देयता, अवकाश लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित), सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और अन्य सेवांत लाभ वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिछली सेवा लागत औसत अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर पहचानी जाती है, जब तक लाभ निहित न हो। लाभ और हानि के विवरण में बीमांकिक लाभ और हानियां तुरंत पहचानी जा सकती हैं। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ग्रुप उपदान नकदी संचय पॉलिसी की सदस्यता ली है। बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के इस कोष में उपदान के लिए देयता का भुगतान किया जाता है।

ग. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ किसी वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में छूट रहित राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

3.13 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति

जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और जब दायित्व को निपटाने के लिए बाहर से संसाधनों की आवश्यकता हो, जिनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके, तब प्रावधान किए जाते हैं। प्रावधानों के संबंध में वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं होती है और इसे तुलन पत्र की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जो पिछली घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से परे एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से की जाएगी या किसी वर्तमान दायित्व से जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि दायित्व का निपटान करने के लिए बाहर से संसाधनों की आवश्यकता संभावित नहीं है। आकस्मिक देयता उस स्थिति में भी उत्पन्न होती है, जहां दायित्व की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। आकस्मिक देनदारियों को प्रकटन किया जाता है और इनको मान्यता नहीं दी जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का लगातार आकलन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो परिसंपत्ति और संबंधित आय की पहचान उस अवधि में की जाती है, जिसमें परिवर्तन होता है।

3.14 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के संबंध में शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। न्यूनीकृत इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित करने के बाद ईपीएस की तरह ही की जाती है, जब तक कि इसका प्रभाव न्यूनीकृत के विपरीत न हो।

3.15 नकदी और नकदी के समकक्ष

नकदी और नकदी के समकक्ष हस्तगत नकदी, बैंक में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंक के पास अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल जमा शामिल हैं, जो नकदी की ज्ञात राशि के लिए आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिसके मूल्य में परिवर्तन का बड़ा जोखिम नहीं है।

3.16 पट्टे

जिस पट्टे के अंतर्गत कंपनी सभी जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों को बनाए रखती है, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्तियों को, पट्टे की शुरुआत के समय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

वित्त पट्टे से इतर पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है प्रचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि पर संविदा की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.17 वर्तमान और आस्थगित कराधान

(क) वर्तमान कर का निर्धारण आयकर अधिनयम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू कर दरों और कर संबंधी कानूनों का उपयोग कर अवधि के लिए अनुमानित कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि के रूप में किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त कर दरें और कर संबंधी कानून वे हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित किया जाता है, कल्पित रूप से अधिनियमित किया जाता है।

(ख) आस्थगित कर की पहचान, समय के अंतर पर की जाती है, कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होने के नाते जो एक अवधि में उत्पन्न होती हैं और बाद की एक या अधिक अवधि में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान सभी समय अंतरों के संबंध में की जाती है। अनामेलित मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों और हानि को आगे बढ़ाने के लिए तभी किया जाता है, जब निश्चित रूप से आभास हो कि ऐसी परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अन्य समय अंतरों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान केवल उसी सीमा तक की जाती है, जहां तक निश्चित संभावना हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है, यदि ऐसी मदें एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों और कंपनी के पास ऐसी भरपाई करने का कानूनी अधिकार हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा उनके प्राप्त होने की क्षमता के संबंध में प्रत्येक तुलन पत्र में की जाती है।

3.18 अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान

कंपनी 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋणों के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान करती है, यदि प्रबंधन का यह विचार हो कि वे संदिग्ध हैं। बकाया संदिग्ध ऋण, जिसके विरुद्ध शत–प्रतिशत प्रावधान किया गया है लेकिन इसकी वसूली के लिए किए गए सभी प्रयासों के बाद जो वसूली योग्य नहीं है, उसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.19 संदिग्ध अग्रिमों के संबंध में

कंपनी 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान करती है, यदि प्रबंधन का यह विचार हो कि वे संदिग्ध हैं। बकाया संदिग्ध अग्रिम, जिसके विरुद्ध शत–प्रतिशत प्रावधान किया गया है लेकिन इसकी वसूली के लिए किए गए सभी प्रयासों के बाद जो वसूली योग्य नहीं है, उसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.20 देनदारियां/अग्रिम/प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है

विगत पांच वर्षों या इससे अधिक अवधि के संबंध में देनदारियां/प्राप्त अग्रिम/सामग्री, जो प्रबंधन की राय में अब देय, प्राप्त होने योग्य नहीं है अथवा तुलन पत्र की तारीख को अपेक्षित नहीं है, प्रतिलेखित किया जाता है। उस तारीख के बाद उत्पन्न होने वाले दावे, यदि कोई हो, को दावे के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

3.21 दावे

कंपनी के विरुद्ध दावों के प्रबंधन द्वारा दावों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद हिसाब में लिया जाता है। ग्राहकों/ठेकेदारों पर कंपनी द्वारा किए गए दावों को, उस पार्टी द्वारा स्वीकृति के आधार पर, जिस पर दावा किया गया है या प्रबंधन द्वारा निश्चित रूप से वसूली योग्य समझे जाने पर मान्य किया जाएगा।

3.22 संविदाओं की परिनिर्धारित नुकसानी

परिनिर्धारित नुकसानियां और संविदाओं पर अन्य देनदारियां, जिन पर कार्य किया जा रहा है और पूरा हो गया है, उनकी गणना ग्राहक द्वारा देयता की सूचना दिए जाने पर/निर्धारित किए जाने पर और प्रबंधन द्वारा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

3.23 पूर्व अवधि आय/व्यय

पूर्व के वर्षों से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

3.24 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण 'कैश फ्लो स्टेटमेंट के संबंध में लेखांकन मानक (एएस) 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.25 खण्ड रिपोर्टिंग

क) खंडों की पहचान

प्राथमिक खंड

कंपनी के प्रचालन व्यवसाय का आयोजन और प्रबंधन उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, जिसमें प्रत्येक खंड ऐसी रणनीतिक व्यापारिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जो अलग–अलग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है, के अनुसार अलग–अलग किया जाता है।

द्वितीयक खंड

भारत और भारत के बाहर ग्राहकों के स्थानों के आधार भौगोलिक खंडों की पहचान की गई है।

ख) अंतर–खंड अंतरण

कंपनी अंतर–खंड बिक्री और अंतरणों को चालू बाजार मूल्य पर ऐसे मान्यता देती है जैसे वे तृतीय पक्ष हों

ग) सामान्य लागतों का आबंटन

सामान्य आबंटनीय लागतें उचित आधार पर प्रत्येक खंड को आबंटित की जाती हैं।

घ) अनाबंटित मदें

इसमें सामान्य प्रशासनिक व्यय, कारपोरेट तथा अन्य कार्यालय व्यय उद्यम स्तर पर व्युत्पन्न होने वाली तथा किसी अन्य व्यावसायिक संगठन से संबद्ध न होने वाली और कुल मिलाकर उद्यम से संबंधित आय शामिल होती है।

ङ) खंड नीतियां

कंपनी अपनी खंड संबंधी जानकारी कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अंगीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप तैयार करती है।

एडिसल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन: यू74899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2021 को और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का भाग हैं

टिप्पणी 4: शेयर पूंजी

(राशि रु. लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण	31, मार्च 2021 को	31, मार्च 2020 को
(क) प्राधिकृत पूंजी		
100/– रुपये प्रत्येक के 20,00,000 इक्विटी शेयर	2,000	2,000
कुल	**2,000**	**2,000**
(ख) जारी सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त शेयर पूंजी		
100/– रुपये के 10,00,000 इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त	1,000	1,000
कुल	**1,000**	**1,000**

(ग) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान (पूर्ण संख्या में)

विवरण	31, मार्च 2021 को	31, मार्च 2020 को
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर	10,00,000	10,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	10,00,000	10,00,000

(घ) इक्विटी शेयरों के संबंध में अधिकार और प्रतिबंध

कंपनी के पास केवल एक वर्ग के 100 रु. अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें जारी और सब्सक्राइब किया जाता है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है। कंपनी का परिसमापन किए जाने की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या और उस पर संदत्त पूंजी के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होगा।

ङ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण (पूर्ण संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयर धारित %	धारित शेयरों की कुल संख्या	शेयर धारित %	धारित शेयरों की कुल संख्या
भारत के राष्ट्रपति	100	10,00,000	100	10,00,000

टिप्पणी: कंपनी की पूरी शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है।

(च) 31 मार्च, 2021 से ठीक पूर्व पांच वर्षों की अवधि में (पूर्ण संख्या में)

विवरण	वर्ष/शेयरों की कुल संख्या				
	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटन *	-	-	8,00,000	-	-

*कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आरक्षिती के पूंजीकरण द्वारा 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों की संख्या 8,00,000 इक्विटी शेयर है जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रुपये है।

टिप्पणी 5 : आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	सामान्य आरक्षित		
	प्रारंभिक शेष	2,274.69	1,865.47
	जोड़ें:– वर्ष के दौरान अधिशेष से लाभ का अंतरण	368.86	409.22
	अंतिम शेष	**2,643.55**	**2,274.69**
ख)	**अधिशेष (लाभ और हानि खाता)**		
	प्रारंभिक शेष	11,553.76	8,310.37
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,688.65	4,092.23
	घटाएं:– वर्ष के दौरान उपयोग		
	जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	(368.86)	(409.22)
	कर्मचारी कल्याण निधि में स्थानांतरण	(12.07)	(16.69)
	अंतिम लाभांश भुगतान (डीडीटी सहित प्रति वर्ष)	(1,250.00)	(422.93)
	अंतिम शेष	**13,611.48**	**11,553.76**
ग)	**कर्मचारी कल्याण कोष***		
	प्रारंभिक शेष	45.00	44.24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन:–		
	वर्ष के दौरान अधिशेष से लाभ का हस्तांतरण	12.07	16.69
	कोष के संबंध में सावधि जमा से ब्याज आय	3.30	2.42
	घटाएं:– वर्ष के दौरान उपयोग	(15.37)	(18.35)
	अंतिम शेष	**45.00**	**45.00**
	कुल आरक्षित और अधिशेष (क+ख+ग)	**16,300.03**	**13,873.45**

* कर्मचारी कल्याण निधि का आबंटन कंपनी की नीति के अनुसार 45 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के तहत कर–पश्चात निवल भाग का 0.5 प्रतिशत है। कर्मचारी कल्याण कोष के लिए किसी अधिसूचित बैंक में अलग से एक एफडीआर रखा जाता है और इस पर अर्जित ब्याज इस कोष में जमा किया जाता है। यह आरक्षित (रिजर्व) लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी–: 6 अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	आपूर्तिकर्ताओं से बयाना प्राप्त जमा/प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा	93.08	132.34
ख)	परियोजना के संबंध में प्राप्त अग्रिम	206.89	169.90
	कुल	**299.97**	**302.24**

टिप्पणी 7: दीर्घकालिक प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
क)	उपदान (टिप्पणी सं. 29 और 38 देखें)	35.75	95.35
ख)	अर्जित / बीमारी छुट्टी देयता (टिप्पणी सं. 29 और 38 देखें)	575.43	505.56
ग)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना (टिप्पणी सं. 29 और 38 देखें)	274.64	243.91
	कुल	**885.82**	**844.82**

टिप्पणी 8 : व्यापार देय राशि

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	व्यापार देयताएं:-		
	(i) एमएसएमई को देय	1,176.42	3,682.30
	(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य को देय	17,659.88	12,377.98
	कुल	**18,836.30**	**16,060.28**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	एमएसएमई वेंडरों को देय मूल राशि	1,176.42	3,682.30
(ii)	उपर्युक्त बकाया और भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	-	-
(iii)	आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया ब्याज	-	-
(iv)	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान	-	-
(v)	उपर्युक्त (iii) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान किया जाने वाला ब्याज	-	-
(vi)	उपार्जित ब्याज और भुगतान किया गया शेष	-	-
(vii)	आगामी वर्षों में शेष रहे और भुगतान किए जाने वाले आगे के ब्याज की राशि	-	-

टिप्पणी: सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए गए अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में शामिल की गई इकाइयों को देय राशि, इन इकाइयों से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक चिह्नित की गई है।

इन चिह्नित इकाइयों को पैंतालीस दिनों से अधिक समय से देय भुगतानों पर ब्याज के रूप में किसी राशि को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इन इकाइयों से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी सभी इकाइयों के साथ आदर्श संबंध बना कर रखती है और इसलिए 45 दिनों से अधिक समय का भुगतान, यदि कोई हो, का समाधान संबंधित इकाइयों के साथ पारस्परिक मानदंडों के आधार पर कर लिया जाता है। यदि भावी वर्षों में कोई दावा प्राप्त होगा तो उसे हिसाब में लिया जाएगा और संबंधित इकाई को वैध भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी 9 : अन्य वर्तमान देनदारियां

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	परियोजना के संबंध में प्राप्त अग्रिम	14,137.84	7,629.57
ख)	आपूर्तिकर्ताओं से बयाना जमा/प्रतिधारण राशि/ प्रतिभूति जमा	1,059.25	1,423.41
ग)	शुल्क एवं कर	931.44	680.31
घ)	अन्य देनदारियां	2,595.10	1,837.92
	कुल	**18,723.63**	**11,571.21**

टिप्पणी 10 : लघु अवधि के प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	आयकर	1,010.27	1,271.81
ख)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) अर्जित/बीमारी छुट्टी देयता (टिप्पणी सं. 29 और 38 देखें)	45.34	41.86
	(ii) कार्य–निष्पादन से जुड़ा (टिप्पणी सं. 38 देखें)	297.91	298.56
	(iii) अनुग्रह राशि (टिप्पणी सं. 38 देखें)	80.83	83.50
	(iv) पेंशन योजना (टिप्पणी सं. 38 देखें)	3.63	3.63
	(v) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना (टिप्पणी सं. 29 और 38 देखें)	12.27	8.76
	कुल	**1,450.25**	**1,708.12**

टिप्पणी 11 : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	परिसंपत्तियां	सकल खंड				संचित मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विचलन/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान विचलन/ समायोजन	वर्ष के दौरान विचलन/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
	(क) मूर्त परिसंपत्तिया										
क)	पट्टेवाली भूमि–प्लॉट सं.18ए, सेक्टर–16ए, नोएडा	212.63	-	-	212.63	57.28	2.36	-	59.64	152.99	155.35
ख)	पट्टेवाली भूमि–प्लॉट सं.ए–22, सेक्टर–153, नोएडा	3,601.75	-	-	3,601.75	56.25	40.02	-	96.27	3,505.48	3,545.50
ग)	इमारत	228.12	-	-	228.12	80.84	3.57	-	84.41	143.71	147.28
घ)	बिजली के उपकरण	219.38	3.33	77.37	145.34	142.25	13.50	72.89	82.86	62.48	77.13
ङ)	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	94.62	4.44	27.96	71.10	68.12	6.80	25.72	49.20	21.90	26.50
च)	फर्नीचर तथा फिक्स्चर	127.15	5.83	51.66	81.32	112.37	2.28	49.89	64.76	16.56	14.78
छ)	कम्प्यूटर सिस्टम–हार्डवेयर	179.01	10.50	59.18	130.33	152.23	14.71	58.21	108.73	21.60	26.78
ज)	कम्प्यूटर सर्वर और नेटवर्क	35.33	-	4.69	30.64	32.78	0.73	4.45	29.06	1.58	2.55
झ)	अग्निशामक	18.73	-	15.54	3.19	17.45	0.34	15.13	2.65	0.54	1.28
ञ)	कालीन और वेनोटियन बलाइन्डस	14.73	0.88	7.85	7.76	13.38	0.21	7.76	5.82	1.94	1.35
	कुल (क)	**4,731.45**	**24.98**	**244.25**	**4,512.18**	**732.95**	**84.52**	**234.05**	**583.40**	**3,928.78**	**3,998.50**
	(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियां										
ट)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	37.50	3.23	1.05	39.68	24.03	4.87	1.03	27.87	11.81	13.47
	कुल (ख)	**37.50**	**3.23**	**1.05**	**39.68**	**24.03**	**4.87**	**1.03**	**27.87**	**11.81**	**13.47**
	ग) पूंजी कार्य–प्रगति पर										
ठ)	पैसेज का विकास	-	3.00	-	3.00	-	-	-	-	3.00	-
	कुल (ग)	**-**	**3.00**	**-**	**3.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.00**	**-**
	कुल योग (क+ख+ग)	**4,768.95**	**31.21**	**245.30**	**4,554.86**	**756.98**	**89.38**	**235.08**	**611.27**	**3,943.59**	**4,011.97**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	**4,770.76**	**45.01**	**46.82**	**4,768.95**	**666.84**	**92.76**	**2.62**	**756.98**	**4,011.97**	**4,103.87**

(i) प्लॉट नं. 18ए, सेक्टर 16 ए, नोएडा में स्थित पट्टा विलेख भूमि की लागत 1.1.1995 से आरंभ होकर 90 वर्षों में समानुपातिक रूप से परिशोधित है। पट्टा विलेख के अनुसार कंपनी के लिए नोएडा प्राधिकरण को 4.50 लाख रुपये की लीज रेट राशि का भुगतान करना आवश्यक है। प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ाया गया वार्षिक पट्टा किराया, जो बढ़ाए गए पट्टा किराया राशि के अधीन होगा, पिछली बार निर्धारित की गई राशि के 50% से अधिक नहीं होगा।

(ii) प्लाट नं. 22 सेक्टर 153 नोएडा में स्थित पट्टा विलेख भूमि की लागत 4.11.2018 से 90 वर्षों में समानुपातिक रूप में परिशोधित है। कंपनी की भावी प्रचालनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पट्टे पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(iii) 9.12 लाख रुपये (240.62 लाख रुपये का सकल ब्लाक) की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का निवल ब्लाक प्रबंधन द्वारा किए गए वास्तविक सत्यापन के आधार पर चालू अवधि से बट्टे खाते डाल दिया गया है।

टिप्पणी 12 : आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
i)	छुट्टी वेतन हेतु प्रावधान	156.24	137.77
ii)	संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	69.61	61.20
iii)	उपदान के लिए प्रावधान	209.34	214.06
iv)	पीआरपी के लिए प्रावधान	74.98	75.14
v)	अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	20.34	21.02
vi)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान	72.21	63.59
vii)	पेंशन योजना के लिए प्रावधान	0.91	0.91
	उप–कुल (क)	**603.63**	**573.69**
ख)	आस्थगित कर देयताएं:		
i)	मूल्यह्रास	27.66	30.84
	उप–कुल (ख)	**27.66**	**30.84**
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (क–ख)	**575.97**	**542.85**

टिप्पणी 13 : दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	**आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम**		
	अप्रतिभूत, संदिग्ध समझे गए	24.34	24.34
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(24.34)	(24.34)
ख)	**पूंजी अग्रिम**		
	अप्रतिभूत संदिग्ध समझे गए	35.37	35.37
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(35.37)	(35.37)
ग)	**प्रतिभूत जमा/बयाना राशि**		
	अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	125.57	123.17
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(3.49)	-
घ)	**कंपनी के कर्मचारियों का ऋण**		
	अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	9.60	13.75
	कुल	**131.68**	**136.92**

टिप्पणी 14 : अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	पूर्व प्रदत्त व्यय (पट्टा किराया)*	891.68	902.36
ख)	उपार्जित परंतु अदेय राशि (टिप्पणी सं. 40 देखें)	134.47	-
	कुल	**1026.15**	**902.36**

* यह राशि नोएडा प्राधिकरण, ए–22, सेक्टर–153, नोएडा से लिए गए पट्टायुक्त भूमि हेतु 90 वर्षों के लिए प्रदत्त एक बारगी पट्टा किराया से संबंधित है।

टिप्पणी 15 : व्यापार प्राप्य

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	छह महीने से अधिक		
	i) अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया (टिप्पणी सं. 44 देखें)	2,164.23	3,870.78
	ii) संदेहपूर्ण	216.86	183.45
	घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए छूट	(216.86)	(183.45)
ख)	अन्य		
	i) अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	16,729.45	10,289.80
	कुल	**18,893.68**	**14,160.58**

टिप्पणी 16 : नकद और बैंक में शेष

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	नकद और नकदी समतुल्य		
I)	हस्तगत विदेशी मुद्रा*	0.53	0.09
ii)	अनुसूचित बैंकों में शेष:-		
	चालू खातों में**	17,873.98	10,600.22
iii)	हस्तगत चेक	407.43	-
iv)	3 महीने में परिक्वता वाले सावधि जमा	1,592.00	450.00
	उप–कुल (लेखा मानक 3 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार)	19,873.94	11,050.31
ख)	अन्य बैंक में शेष		
I)	सावधि जमा में (निःशुल्क)	5,675.46	8,238.32
ii)	सावधि जमा में (बैंक गारंटी के संबंध में ग्रहणाधिकार/साख पत्र आदि)	359.80	388.15
iii)	सावधि जमा में (कर्मचारी कल्याण कोष के संबंध में)	58.14	54.55
	उप–कुल	**6,093.40**	**8,681.02**
	कुल (क+ख)	**25,967.34**	**19,731.33**

टिप्पणी:–

*हस्तगत विदेशी मुद्रा में 73.5047 प्रति यूएसडी की समापन दर पर 715 यूएसडी हैं।

**चालू खातों में अनुसूचित बैंकों में शेष, जिसमें 13,679.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6,477.85 लाख रुपये) शामिल हैं, विभिन्न टीएसजी एवं परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिनका उपयोग केवल फंड्स की मंजूरी के अनुसार संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी 17 : लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
	अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
(i)	कर्मचारियों को ऋण	13.38	25.82
(ii)	स्रोत पर काटा गया 'कर'	1,424.66	1,752.30
(iii)	वस्तु एवं सेवा कर	1,161.93	1,043.24
(iv)	आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	135.81	194.20
	कुल	**2,735.78**	**3,015.56**

टिप्पणी 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	सावधि जमा पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	162.70	108.00
ख)	उपार्जित परंतु अदेय आय (टिप्पणी सं. 40 देखें)	1,574.94	841.96
ग)	प्राप्य आयकर वापसी	1,394.84	1,753.19
	घटाएं:– संदिग्ध आयकर प्रतिदाय के लिए प्रावधान	(196.15)	(196.15)
घ)	पूर्व भुगतान खर्चे	35.33	34.42
कृ)	कार्य प्रगति – सेवाएं (टिप्पणी सं. 46 देखें)	415.72	298.07
च)	वसूली योग्य दावा	-	-
छ)	अन्य प्राप्य राशियां	834.43	19.06
	कुल	**4,221.81**	**2,858.55**

*प्रोदभूत आय, परंतु देय नहीं, उस आय को दर्शाती है, जो हमारी कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार प्रोदभूत हुई है, परंतु ग्राहकों के साथ 31.03.2021 को हुए एलओए/अनुबंध/करारों के अनुसार देय नहीं है।

टिप्पणी 19 : प्रचालन से राजस्व

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	**उत्पादों की बिक्री**		
i)	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	7,868.39	5,388.34
ii)	शिक्षा अधिप्राप्ति	573.01	194.91
ख)	**सेवाओं की बिक्री**		
i)	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	16,510.20	19,118.20
ii)	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	701.64	618.74
iii)	तकनीकी सहायता समूह	4,668.80	5,601.93
iv)	स्टडी इन इण्डिया परियोजना	2,331.63	1,380.66
v)	ओवरसीज शिक्षा सेवाएं	170.49	136.87
vi)	परामर्श और कौशल तथा प्रशिक्षण सेवाएं	145.67	89.50
vii)	शिक्षा अवसंरचना सेवाएं	-	24.19
viii)	सोशल मीडिया सहायता सेवाएं	128.85	71.15
ग)	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
(i)	एमईआईएस ड्यूटी स्क्रिप की बिक्री	184.20	-
	कुल	**33,282.88**	**32,624.49**

टिप्पणी 20 : अन्य आय

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	ब्याज आय	647.87	442.19
ख)	विदेशी मुद्रा लेन–देन और अनुवाद पर शुद्ध लाभ	-	128.54
ग)	पुनरांकित प्रावधान (टिप्पणी सं. 35 देखें)	49.70	11.99
घ)	पुनरांकित देयताएं (टिप्पणी सं. 35 देखें)	8.70	7.64
ङ)	पुनरांकित अग्रिम (टिप्पणी सं. 35 देखें)	289.58	28.76
च)	अन्य गैर–प्रचालन आय	32.05	1.08
	कुल	**1,027.90**	**620.20**

टिप्पणी 21 : परियोजना व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	12,009.39	12,607.55
ख)	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	452.55	425.77
ग)	तकनीकी सहायता समूह	4,139.94	5,024.47
घ)	स्टडी इन इण्डिया परियोजना	1,925.54	1,302.78
ङ)	परामर्श और कौशल तथा प्रशिक्षण सेवाएं	45.66	26.12
च)	शिक्षा अवसंरचना सेवाएं	-	12.00
छ)	सोशल मीडिया सहायता समूह	117.13	64.90
	कुल	**18,690.21**	**19,463.59**

टिप्पणी 22 : व्यापार सामान की खरीद

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	7,230.01	3,585.99
ख)	शिक्षा अधिप्राप्ति	522.55	188.65
	कुल	**7,752.56**	**3,774.64**

टिप्पणी 23 : तैयार माल, कार्य प्रगति एवं व्यापार सामान की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	आरंभिक :-		
	स्टॉक में माल (व्यापार में पारगमन)	-	638.95
	उप–कुल (क)	-	638.95
ख)	समापन		
	स्टॉक में माल (व्यापार में पारगमन)	-	-
	उप–कुल (ख)	-	-
	कमी / (वृद्धि) (क) – (ख)	-	**638.95**

टिप्पणी 24 : कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	वेतन और मजदूरी	1,800.44	1,864.11
ख)	अधिकारियों के आवास का किराया (टिप्पणी सं. 30 देखें)	7.02	13.97
ग)	भविष्य निधि और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा में अंशदान	137.84	140.45
घ)	पेंशन योजना में योगदान	82.81	90.07
ङ)	कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	0.19	0.58
च)	समूह बीमा	3.08	2.41
छ)	कर्मचारी चिकित्सा व्यय	92.02	82.78
ज)	कर्मचारी कल्याणकारी व्यय	40.68	40.17
झ)	उपदान व्यय#	-	119.73
ञ)	उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन (पीआरपी)	108.80	163.95
ट)	अनुग्रह राशि	25.14	69.14
ठ)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों का प्रावधान	40.15	36.15
	कुल	**2,338.17**	**2,623.51**

वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान निवल उपदान व्यय 2.53 लाख रुपये है और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कार्य प्रगति पर – सेवाएं के अंतर्गत परियोजना खाते में उपदान व्यय अंतरण 121.23 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2016–17 से 2019–20 के लिए उपदान व्यय की 103.77 लाख राशि का पूर्व अवधि व्यय/आय शीर्ष के तहत अंतरण तथा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए शेष 14.93 लाख रुपये की राशि गैर प्रचालन – आय शीर्ष के तहत अंतरण से संबंधित है।

टिप्पणी 25 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	मूर्त आस्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 11 देखें)	84.52	89.11
	जोड़ें/घटाएं– पूर्व प्रचालनात्मक कार्यों को/ (में) स्थानांतरित	-	16.23
ख)	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 11 देखें)	4.87	3.65
	कुल	**89.39**	**108.98**

टिप्पणी 26 : अन्य व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	भर्ती व्यय	0.18	0.34
ख)	डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	6.34	11.04
ग)	यात्रा और आवागमन	44.15	162.18
घ)	बिजली और पानी का शुल्क	51.11	61.86
ङ)	बीमा व्यय	5.24	2.06
च)	मुद्रण और स्टेशनरी	15.21	26.25

टिप्पणी 26 : अन्य व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
छ)	मरम्मत और रखरखाव:-		
(I)	कार्यालय के उपकरण	28.96	25.69
(ii)	परिसर	29.50	54.42
ज)	विज्ञापन और प्रचार	5.60	34.63
झ)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	17.28	53.14
ञ)	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी संख्या 37 देखें)	4.66	3.20
ट)	बैंक शुल्क	0.83	1.26
ठ)	सदस्यता और अंशदान	2.31	2.77
ड)	बोर्ड की बैठकों का खर्च	0.33	10.87
ढ)	पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.39	1.04
ण)	परामर्श शुल्क	2.56	3.82
त)	किराए का भुगतान*	25.15	39.43
थ)	व्यवसाय विकास व्यय	4.89	19.49
द)	ब्याज भुगतान	-	8.67
ध)	सुरक्षा व्यय	62.70	59.61
न)	संगोष्ठी और प्रशिक्षण	0.04	14.17
प)	संदिग्ध ऋण और अन्य प्राप्तियों का प्रावधान	36.90	287.44
फ)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर शुद्ध हानि	16.27	-
ब)	अन्य विविध व्यय	67.02	94.13
	कुल	**427.62**	**977.51**

* इसमें आपरेटिंग लीज के तहत अवधि के दौरान चुकाया गया 4.73 लाख (पिछले वर्ष 5.76 लाख रुपये) का लीज रेंटल शामिल है।

टिप्पणी 27 : पूर्व अविध मद

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	पूर्व अवधि व्यय		
	(i) पिछले वर्ष में व्यय का गैर प्रावधान	3.02	-
	(ii) परियोजना खाते में उपदान व्यय अंतरण वित्त वर्ष 2016–17 से 2019–20 से संबंधित है	(103.77)	-
b)	ख) घटाएं:– पूर्व अवधि आय		
	(I) पिछले वर्ष से संबंधित आय	(3.62)	(4.46)
	शुद्ध पूर्व अवधि व्यय/(आय)	(104.37)	(4.46)

टिप्पणी 28 : असाधारण मद

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
क)	अचल संपत्ति की बिक्री पर /बट्टे खाते डालने पर निवल हानि/(लाभ)	9.50	0.60
	कुल	**9.50**	**0.60**

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण लेखांकन टिप्पणियों का भाग है

29. कर्मचारी लाभ

एएस–15 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

परिभाषित लाभ योजनाएं – 31.03.2021 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार

क) कर्मचारी लाभ योजना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं इस प्रकार हैं:

विवरण	उपदान		अर्जित छुट्टी/ बीमारी की छुट्टी देयता		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट की दर	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
भविष्य में बढ़े वेतन	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर	6.80%	7.27%	-	-	-	-
भविष्य में चिकित्सा प्रीमियम में वृद्धि	-	-	-	-	2.00%	2.00%

ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लाभ और हानि के विवरण में मान्य राशियों के घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	उपदान		अर्जित अवकाश देयता		बीमारी अवकाश देयता	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्तमान सेवा लागत	52.46	50.37	42.61	34.08	18.48	16.63
ब्याज लागत	57.83	56.03	22.01	19.98	15.21	14.47
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी	(54.90)	(54.13)	-	-	-	-
शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)	(52.86)	67.46	33.43	69.63	(6.67)	17.67
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त करने के लिए व्यय	2.53	119.73	98.05	123.69	27.02	48.77

ग) कर्मचारी लाभ योजना के लिए लाभ दायित्वों में संचलनों की अवधि इस प्रकार है

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	उपदान		अर्जित अवकाश देयता		बीमारी अवकाश देयता	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्ष की शुरुआत	850.51	718.28	323.66	256.21	223.75	185.53
अधिग्रहण समायोजन	0.65	10.88	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	52.46	50.37	42.61	34.08	18.48	16.63
ब्याज लागत	57.83	56.03	22.01	19.98	15.21	14.47
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(54.38)	62.20	33.43	69.63	(6.67)	17.67
भुगतान किया गया लाभ	(75.30)	(47.25)	(32.66)	(56.24)	(19.05)	(10.55)
अवधि का अंत	831.77	850.51	389.05	323.66	231.72	223.75

घ) भारत के एलआईसी के साथ उपदान निधि के रूप में आदि से अंत तक की अवधि के लिए योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार है:–

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी फंड	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
अवधि के शुरुआत में योजनागत परिसम्पत्तियां	755.16	706.70
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	53.38	52.19
नियोक्ता का योगदान	63.85	46.84
लाभ भुगतान	(75.30)	(47.25)
फंड प्रबंधन प्रभार	(1.07)	(3.32)
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	796.02	755.16

ङ) 31 मार्च, 2021 को "सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ" की कुल देनदारी 286.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 252.66 लाख रुपये) है। वर्ष के दौरान इसके लिए 6.35 लाख रुपये कैश प्रीमियम का भुगतान किया गया और 40.60 लाख रुपये की बीमांकिक देनदारी बुक की गई है।

च) अनुभव समयोजन का इतिहास निम्नानुसार है:

(राशि रुपये लाख में)

उपदान अनुभव का इतिहास	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	831.77	850.51	718.28	644.52	506.61
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	796.02	755.16	706.70	483.86	486.65
अधिशेष / (घाटा)	(35.75)	(95.35)	(11.58)	(160.66)	(19.96)
बीमांकिक (लाभ) / हानि–अनुभव	(54.38)	62.20	36.75	17.17	8.71

(राशि रुपये लाख में)

अर्जित छुट्टी अनुभव इतिहास	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	389.05	323.66	256.21	193.40	170.38
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य			-	-	-
अधिशेष / (घाटा)	(355.62)	(254.03)	(256.21)	(193.40)	(170.38)
बीमांकिक (लाभ) / हानि–अनुभव	33.43	69.63	35.34	60.30	33.23

(राशि रुपये लाख में)

बीमारी छुट्टी अनुभव इतिहास	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	231.72	223.75	185.53	128.53	120.90
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
अधिशेष / (घाटा)	(231.72)	(223.75)	(185.53)	(128.53)	(120.90)
बीमांकिक (लाभ) / हानि–अनुभव	(6.67)	17.67	5.91	15.95	(3.91)

(राशि रुपये लाख में)

सेवानिवृत्ति के बाद का चिकित्सा लाभ अनुभव इतिहास	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	286.91	252.66	220.83	194.24	1.98
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
अधिशेष / (घाटा)	(286.91)	(252.66)	(220.83)	(194.24)	(1.98)
बीमांकिक (लाभ) / हानि–अनुभव	-	-	-	-	-

छ) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए उद्यम सर्वोत्तम अनुमान निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	(राशि रुपये लाख में)
1	उपदान	81.93
2	अर्जित छुट्टी	88.96
3	बीमारी की छुट्टी	12.08

परिभाषित अंशदान योजना :

वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदान योजना के लए अंशदान निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
भविष्य निधि और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा में नियोक्ता का अंशदान	137.84	140.45
पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	82.81	90.07
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार नियोक्ता का अंशदान	0.19	0.58

30. संबंधित पार्टी लेनदेन :

लेखांकन मानक –18 की आवश्यकता के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधित पार्टी के नाम जहां महत्वपूर्ण नियंत्रण के साथ लेन–देन / कवायद करने की क्षमता मौजूद है, साथ ही साथ लेन–देन की कुल राशि और उनके या बकाया राशि प्रबंधन यथा चिह्नित बकाया राशि नीचे दी गई है:

संबंधित पक्ष के रूप में पहचाने गए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का नाम	संबंध की प्रकृति
मनोज कुमार (1.12.2019) से प्रभावी)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
दिप्तीमान दास (30.11.2019 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (पूर्व–सीएमडी)
संदीप गोयल	मुख्य महाप्रबंधक–वित्त (सीजीएम–वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
देवेंद्र कुमार शर्मा	कंपनी सचिव (सीएस)

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	मनोज कुमार, सीएमडी		दिप्तीमान दास, पूर्व–सीएमडी		संदीप गोयल, सीजीएम–वित्त और सीएफओ		देवेन्द्र कुमार शर्मा, सीएस	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के दौरान केएमपी को दिया गया पारिश्रमिक								
वेतन, भत्ते और अनुलाभ	49.08	15.30	लागू नहीं	39.95	41.90	43.40	21.30	20.52
कार्य निष्पादन से जुड़ा वेतन	5.55	-	लागू नहीं	17.13	4.61	6.89	1.45	-
कुल	**54.63**	**15.30**	लागू नहीं	**57.08**	**46.51**	**50.29**	**22.75**	**20.52**
वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि								
कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न अग्रिम जैसे बहुउद्देशीय अग्रिम, वाहन अग्रिम इत्यादि कंपनी की नीति के अनुसार वर्ष में बकाया	-	-	लागू नहीं	-	4.19	8.43	-	-

टिप्पणियां:–

क) कंपनी ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग संख्या 4 (12)/82–बीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 01.04.1987 समय–समय पर संशोधित के संदर्भ में आधिकारिक और निजी उपयोग के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक किराए की कार प्रदान की है और कंपनी ने कार के किराए के रूप में 9.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3.18 लाख रुपये) प्रदान किया है। कंपनी ने 0.24 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 0.08 लाख सीएमडी से और पूर्व सीएमडी से 0.16 लाख रुपये) की राशि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कार के उपयोग के लिए वसूल की।

ख) कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पट्टे पर सुसज्जित प्रावास प्रदान किया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आपरेटिंग लीजेज के तहत 8.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3 लाख रुपये) लीज रेंट का भुगतान किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से पारिश्रमिक भुगतान के लिए 1.60 लाख (पिछले वर्ष 0.38 लाख) रुपये गृह किराए के रूप में वसूले गए हैं।

ग) उपदान, छुट्टी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सीय लाभ के लिए बीमांकिक आधार पर देनदारी की जाती है और कंपनी द्वारा इसका निर्धारण समग्र रूप में किया जाता है न कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कर्मचारी के आधार पर। तदनुसार उक्त देनदारियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव और मुख्य महाप्रबंधक वित्त तथा मख्य वित्त अधिकारी के लिए अलग से निर्धारित नहीं की जा सकतीं इसलिए वास्तव में भुगतान की गई राशि को छोड़कर इसे शामिल नहीं किया गया है।

घ) कंपनी ने स्टडी इन इण्डिया (एसआईआई) परियोजना के लिए सीजीएम–वित्त तथा मुख्य वित्त अधिकारी को एक किराए की कार प्रदान की है और इस मद में हुए व्यय का 50% एसआईआई परियोजना के तहत बुक किया गया है तथा शेष 50% व्यय कंपनी के अन्य व्यय में बुक किया गया है और कंपनी द्वारा 4.82 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4.98 लाख रुपये) कार के किराए के रूप में भुगतान किये गये। कंपनी के सीजीएम और सीएफओ द्वारा घर से कार्यालय आने–जाने के लिए प्रयुक्त कार के लिए उनसे 0.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.62 लाख रुपये) की राशि वसूली गई।

31.क) विदेशी मुद्रा में आय:

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
माल का निर्यात (स्टॉक इन ट्रेड)	195.54	3657.51
सेवाओं का निर्यात	699.37	560.04
कुल	**894.91**	**4217.55**

ख) विदेशी मुद्रा में व्यय

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सीआईएफ आधार पर आयात (स्टॉक इन ट्रेड)	-	82.17
यात्रा व्यय	2.77	0.89
सेवाओं की खरीद पर व्यय (परियोजना व्यय में शामिल)	43.71	134.30
मारीशस एपार्टमेंट के लिए किराए का भुगतान	4.72	6.20
कुल	51.20	223.56

32. कंपनी ने परिसंपत्ति के नुकसान पर लेखांकन नीति के मामले में परिसंपत्ति की हानि पर मूल्यांकन किया है। कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि के लिए कोई संकेत नहीं देती है। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई हानि को मान्यता नहीं दी गई है।

33. निगमित सामाजिक दायित्व

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि (इसमें वर्ष 2019–20 में खर्च न किए गए 58 लाख रुपये तथा वर्ष 2018–19 में खर्च न किए गए 0.13 लाख रुपये शामिल हैं)	163.13	97.45
2	वर्ष के दौरान खर्च की जाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	105.00	100.00
3	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	164.05	42.00
4	कम खर्च की गई राशि	-	58.00

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		भुगतान किया गया		अभी भुगतान किया जाना है		कुल	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	उपर्युक्त (1) के अलावा अन्य प्रयोजन से:-						
	(क) बच्चों को परीक्षा तनाव पर अभिविन्यास और संवेदनशील बनाने के लिए भारतीय शिक्षा मंडल (बीएसएम) को भुगतान की गई राशि (इसमें परीक्षकों को भुगतान की गई 42,804 रुपये की राशि भी शामिल है)	17.08	-		-	17.08	-
	(ख) अकोला ईस्ट एसेम्बली को 1000 खादी मास्क (खादी ग्रामोद्योग भवन से खरीदे गए) प्रदान करने पर खर्च की गई राशि	3.00	-	-	-	3.00	-

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		भुगतान किया गया		अभी भुगतान किया जाना है		कुल	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
	(ग) सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पूरे वर्ष के लिए सेनीटरी नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति करने में आने वाली लागत के लिए सीएससीई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत) हरिद्वार, ऋषिकेश और ऊधम सिंह नगर के सरकारी स्कूलों में वितरण के लिए 10 लाख रुपये) नोएडा और एनसीआर के सरकारी स्कूलों में वितरण के लिए 15 लाख रुपये।	25.00	-	-	-	25.00	-
	(घ) कैंसर के इलाज के लिए विशेष प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय सेंटर, वाराणसी (परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार की इकाई) को दी गई राशि।	9.90	-	-	-	9.90	-
	(ङ) समग्र शिक्षा निदेशालय, जम्मू और कश्मीर के नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर के संसाधन केन्द्रों को 42 कंप्यूटरों की प्रायोजकता।	20.35	-	-	-	20.35	-
	(च) एनबीएस, महेन्द्रगढ़, हरियाणा के लिए नवोदय विद्यालय समिति को 32 कंप्यूटरों की प्रायोजकता।	16.67	-	-	-	16.67	-
?	(छ) 11 सीटर बस का अधिप्रापण कर इसे राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांगतायुक्त व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, सेक्टर 40, नोएडा को दिया गया जिससे उनके समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं, जन जागरण के लिए मूल्यांकन और सहायता तथ एप्लाएंस वितरण कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रम को योगदान मिला।	12.05	-	-	-	12.05	-
	(ज) सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	18.00	12.00	-	-	18.00	12.00
	(झ) स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	17.00	10.00	-	-	17.00	10.00
	(ञ) पी.एम. केयर फंड में अंशदान	25.00	20.00	-	-	25.00	20.00
	कुल	**164.05**	**42.00**	**0.00**	**0.00**	**164.05**	**42.00**

34. (क) आकस्मिक देयता

(i) कंपनी को कर्नाटक में ग्यारह आवासीय स्कूल परिसरों के निर्माण का कार्य सुपुर्द किया था जिसके लिए ठेकेदार मेसर्स विन्यास इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया था। ठेकेदार ने कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता का दावा दायर किया था और मध्यस्थता के दौरान वर्ष 2008–09 में 177.57 करोड़ रुपये की राशि पर समझौता किया गया। कंपनी ने ठेकेदार के आर ए बिल के समझौते के दौरान 47.70 लाख रुपये की भुगतान किया। 129.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष 129.87 लाख रुपये) की शेष राशि के लिए कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है।

(ii) कंपनी को टीईक्यूआईपी–III (विश्व बैंक सहायता परियोजना) के लिए सी–नेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड वेब–आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन, विकास, प्रशिक्षण और रखरखाव हेतु कार्य आदेश किया गया था। तकनीकी योग्यता नहीं होने के कारण और फर्जी दस्तावेजों को जमा करने के कारण ठेकेदार के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। यह मामला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आबिट्रेटर के समक्ष लंबित है। सी–इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एडसिल से 282.87 लाख (पिछले वर्ष 282.87) की राशि का दावा किया गया था। एडसिल द्वारा ठेकेदार के ऊपर 469.37 लाख रुपये की काउंटर राशि का दावा किया गया था।

(iii) मेसर्स मल्टीप्लजोन ने वित्त वर्ष 2006–07 ब्याज सहित 13.95 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13.95 लाख रुपये) की वसूली के लिए निचली अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था इसके साथ ही सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006–07 में ब्याज के साथ, जिसके लिए एडसिल द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, क्योंकि सॉफ्टवेयर की देर से आपूर्ति और इसके परिणामस्वरूप क्लाइंट द्वारा स्वीकार्य स्वीकृति नहीं थी। निचली अदालत द्वारा इस मामले को खारिज कर दिया गया था क्योंकि मुकदमा कालातीत हो गया था। मैसर्स मल्टीप्लजोन ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। मैसर्स मल्टीप्लजोन के दावे के अनुरूप 7.68 लाख (पिछले वर्ष 7.68 लाख) रुपये का प्रावधान खाता बहियों में मौजूद है और प्रावधान के लिए लंबित 6.27 लाख (पिछले वर्ष 6.27 लाख रुपये) खाता बहियों में मौजूद है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2014–15 में आईआईटी हैदराबाद के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराने के लिए एक आवेदक ने यूपी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लखनऊ में मुकदमा दायर किया था। जिला उपभोक्ता फोरम ने आवेदक को 0.06 लाख रुपये तथा ब्याज (पिछले वर्ष 0.06 रुपये लाख तथा ब्याज) दिया गया। कंपनी ने राज्य आयोग, लखनऊ में उसी के खिलाफ एक अपील दायर की है।

(v) दो पूर्व कर्मचारियों ने सेवांत लाभ अर्थात् पेंशन तथा 27.64 लाख रुपये (गत वर्ष 27.64 लाख रुपये) के सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा स्कीम में वृद्धि / प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और यह मुकदमा माननीय पटियाला हाउस नई दिल्ली के समक्ष लंबित है।

(vi) कंपनी के पूर्व कर्मचारी के जीवन साथी ने कंपनी के विरुद्ध उपदान के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आरएलसी) कार्यालय, नोएडा में एक आवेदन दिया है इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने ब्याज सहित 4.33 लाख रुपये की उपदान राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित किया है। इस मामले में दिए गए आदेशों की चुनौती देने के लिए कंपनी द्वारा 4.33 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपील देहरादून स्थित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में दायर की गई है।

(ख) पूंजी प्रतिबद्धता – संविदा की अनुमोदित राशि जो पूंजी खाते (निवल अग्रिम पर) व्यय किए जाने के लिए शेष है, 5.64 लाख (पिछले वर्ष शून्य) है।

35. कंपनी ने निम्नलिखित लंबी बकाया देनदारियों / अग्रिमों को लेखांकन नीति के अनुसार प्राप्त / प्रावधानों के अनुसार वापस लिया है:–

(i) लंबी बकाया देनदारियां (पुराने लेनदारी / प्रतिधारण राशि / ईएमडी सहित) – 8.70 लाख रुपये (कुल कर) (पिछले वर्ष – 7.64 लाख रुपये)

(ii) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम– 289.58 लाख रुपये (कुल कर) (पिछले वर्ष – 28.76 लाख रुपये) – अफगानिस्तान उच्च शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त 283.26 लाख रुपये शामिल हैं जो ग्राहक से समायोजन और पुष्टि के बाद है।

(iii) अनुपयोगी प्रावधान– 49.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष– 11.99 लाख रुपये)

36. परियोजनाओं के सापेक्ष प्राप्त अग्रिमों में 160.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष 162.10 लाख रुपये) पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, जो पुष्टि और सामंजस्य के अधीन है। खर्च के लिए प्रावधान में 95.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष 60.98 लाख रुपये) पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए देय है।

37. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है : -

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रूप में: -		
– सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए	2.75	2.75
– कर लेखा परीक्षा के लिए	1.50	1.50
– जेब खर्च से बाहर व्यय	0.41	0.45
– प्रमाणन कार्य के लिए:–		
– प्रमाणन (परियोजना व्यय में शामिल) के लिए	2.59	1.07
– प्रमाणन (अन्य) के लिए	-	1.68
कुल	**7.25**	**7.45**

38. लेखांकन मानक–29 के अनुसार, प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार है:– (कोष्ठक में गणना पिछले वर्ष के आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है)

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	उपदान के लिए प्रावधान	आय कर के लिए प्रावधान	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना	अर्जित/बीमारी छुट्टी देयता
(क) अवधि की शुरुआत में प्रावधान	850.52	1571.81	252.67	547.42
	(718.29)	(1252.52)	(220.83)	(441.74)
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	56.55	1300.27	40.60	125.06
	(179.48)	(1571.81)	(38.30)	(172.47)
(ग) वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली / वापसी राशि	75.30	1571.81	6.36	51.71
	(47.25)	(1252.52)	(6.46)	(66.79)
(घ) अवधि के अंत में प्रावधान (क)+(ख)+(ग)	831.77	1300.27	286.91	620.77
	(850.52)	(1571.81)	(252.67)	(547.42)

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	निष्पादन संबंधी	अनुग्रह राशि	पेंशन के लिए प्रावधान	संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान
(क) अवधि की शुरुआत में प्रावधान	298.56	83.50	3.63	439.31
	(289.38)	(52.86)	(58.85)	(151.87)
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	116.21	27.80	-	36.90
	(184.98)	(69.15)	(-)	(294.36)
(ग) वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली / वापसी राशि	116.86	30.47	-	-
	(175.80)	(38.51)	(55.22)	(6.92)
(घ) अवधि के अंत में प्रावधान (क)+(ख)+(ग)	297.91	80.83	3.63	476.21
	(298.56)	(83.50)	(3.63)	(439.31)

39. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर अभिरक्षक के रूप में धारित परिसंपत्तियां

(क) **स्टडी इन इण्डिया परियोजना:** कंपनी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्टडी इन इण्डिया कार्यक्रम की कार्यान्वयन नोडल एजेंसी है जिसके लिए कंपनी को अनुमोदित बजट दिया गया है जिससे विभिन्न खर्च किए जाते हैं। इस परियोजना से हुई आय वित्तीय वर्ष के अंत तक हुए प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर प्रत्यक्ष व्यय में कंपनी का मार्जिन जोड़कर मान्य किया जाता है। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ संपत्ति संयत्र और उपस्कर की खरीद पर 23.63 लाख (पिछले वर्ष रू 2.98 लाख रुपये) खर्च हुए थे। इसे "स्टडी इन इंडियन कार्यक्रम" पर व्यय के रूप में बुक किया गया है। स्टडी इन इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का सकल मूलय 29.03 लाख रुपये (5.40 लाख रुपये) है।

(ख) **तकनीकी सहायता समूह परियोजना:** कंपनी, अनेक बड़ी–बड़ी अखिल भारतीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रचलनात्मक सहायता [तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)] के अंतर्गत; प्रदान कर रही है। इस परियोजना के तहत आय को भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्यक्ष व्यय में कंपनी का मार्जिन जोड़कर प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर मान्य किया जाता है। टीएसजी की इन परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रयोजन से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की खरीद पर 10.28 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 18.90 लाख रुपये) खर्च की गई थी। इसे तकनीकी सहायता समूह पर व्यय के रूप में बुक किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का सकल मूल्य 345.63 लाख रुपये (पिछले वर्ष 335.35 लाख रुपये) है।

टीएसजी परियोजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का ब्यौरा पिछले 5 वर्षों से एक उचित प्रपत्र में रखा जाता है।

40. कंपनी की नीति के अनुसार और संविदा की प्रकृति के कारण "आय उपार्जित परंतु अदेय" को निम्नलिखित मामलों में मान्य किया गया है।

परियोजना	राजस्व बुकिंग नीति	बुक किए गए राजस्व की राशि (%)	परियोजना की राशि (करों सहित) (रु.)	प्राप्य राशि (%)	प्राप्य राशि (करों सहित) (रु.)	राजस्व की बुकिंग का वर्ष
पीएमजेवीके (एमएसडीपी) के अंतर्गत सिक्किम के 290 सरकारी स्कूलों (कुल 500 इकाइयां) में स्मार्ट क्लास रूम साल्युशन की आपूर्ति, संस्थापन और अनुरक्षण	व्यापार से हुई आय को बिक्री के बिलों के आधार पर उन वस्तुओं की आपूर्ति के अध्यधीन किया जाता है जिनका बिल बनाया गया हो।	100%	1,344.72	10%	134.47	2018-19
कोरबा जिला, छत्तीसगढ़ के 500 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम साल्युशन इनिशिएटिव		100%	881.65	80%	705.32	2020-21
राइट्स सीएसआर योजना 2019–20 के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में 100 स्मार्ट क्लास रूम साल्युशन का संस्थापन, प्रचालनीकरण और अनुरक्षण		100%	186.56	5%	9.33	2019-20
अरुणाचल प्रदेश राज्य में 426 सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 852 समेकित सामुदायिक कंप्यूटर की आपूर्ति, संस्थापन और अनुरक्षण		100%	1,725.82	10%	172.58	2018-19
मारीशस चरण–II में ईडीएलपी परियोजना के लिए एएमसी सहायता	अन्य टर्न की परियोजना के मामले में आय को ग्राहक के साथ करार के दायरे में निर्धारित किए गए अनुसार स्टेज कंप्लीशन पद्धति के आधार पर मान्य किया जाता है।	100%	31.03	100%	31.03	2020-21
मारीशस–III में ईडीएलपी परियोजना के लिए एएमसी सहायता		100%	8.20	100%	8.20	2020-21
कुल (क)					**1,060.93**	

परियोजना	राजस्व बुकिंग नीति	बुक किए गए राजस्व की राशि (%)	परियोजना की राशि (करों सहित) (रु.)	प्राप्य राशि (%)	प्राप्य राशि (करों सहित) (रु.)	राजस्व की बुकिंग का वर्ष
राष्ट्रीय लोक सहयोग और शिशु विकास संस्थान	लेखा नीति संख्या 3.10 (ए) के अनुसार	97%	32.20	2%	0.64	2019-20
जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल		97%	153.13	2%	3.06	2019-20
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		97%	32.93	27%	8.89	2019-20
डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया		97%	83.68	2%	1.67	2020-21
वन और वन्य जीव विभाग		97%	3,765.40	2%	75.31	2020-21
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी आफ इंडिया		97%	28.70	2%	0.57	2020-21
नेशनल हार्ड स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड		97%	79.08	7%	5.54	2020-21
दिल्ली विकास प्राधिकरण		97%	7.23	7%	0.51	2020-21
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण		97%	1,836.43	2%	36.73	2020-21
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		97%	593.30	47%	278.85	2020-21
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		97%	209.97	97%	203.68	2020-21
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम		26%	52.19	26%	13.57	2020-21
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड		97%	52.61	37%	19.46	2020-21
कुल (ख)					**648.48**	
कुल (क+ख)					**1,709.41**	

41. निदेशक मंडल में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रत्येक 100 रु. अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर 1150 रु. (प्रति इक्विटी शेयर 115 रु.) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कंपनी की वार्षिक आम सभा की बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। (पिछले वर्ष 2019–20) के लिए 1250.00 लाख रु. 125 रु. प्रति इक्विटी शेयर)

42. लेखांकन मानक (एएस)–20 'प्रति शेयर कमाई' (एएस–20) के अनुपालन में, प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए गए तत्व (मूल और न्यूनीकृत) निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कर के बाद लाभ, लेकिन असाधारण वस्तुओं से पहले (रुपये)	रुपये 3688.65 लाख	रुपये 4092.23 लाख
असाधारण सामग्री	-	-
असाधारण वस्तुओं के बाद करोपरांत लाभ (रुपये)	रुपये 3688.65 लाख	रुपये 4092.23 लाख
प्रति शेयर आय अर्जित करने के लिए उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और न्यूनीकृत) (पूर्ण संख्या)	10,00,000	10,00,000
प्रति शेयर आय (मूल और न्यूनीकृत) (रुपये)	368.87	409.22
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	100	100

43. भारत सरकार ने 12 दिसंबर, 2019 को कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 115 बीएए अंतः स्थापित किया जो उक्त धारा में परिभाषित प्रावधानों / शर्तों के अनुसार कम दर पर आयकर का भुगतान करने के लिए कंपनी को एक विकल्प प्रदान करती है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान धारा 115बीएए के अनुसार अपनी बही में कर प्रावधान को मान्यता दी है।

44. कंपनी ने 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया ऋणों के लिए 171.35 लाख रु. के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान नहीं किया है। प्रबंधन का विश्वास है कि बकाया ऋण संदिग्ध नहीं हैं और कंपनी उनकी वसूली कर लेगी।

45. निगम में बैंकों तथा अन्य पार्टियों के शेष की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया राशियों की पुष्टि की अपेक्षा करते हुए पत्र, व्यापार प्राप्य, जमाकर्ताओं, ठेकेदारों के अग्रिमों को भेजे गए हैं जिनमें निर्धारित अवधि में पुष्टि करने या टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, पार्टियों के साथ लेखाओं का समायोजन सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।.

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2021 को कुल बकाया	पुष्टि प्राप्त	पुष्टि अप्राप्त
1. व्यापार प्राप्य	18,893.68	3,869.36	15,024.32
2. व्यापार देय	18,836.30	17,575.76	1,260.54
3. अन्य अल्पकालिक या दीघकालिक देनदारियों			
(i) आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त ईएमडी/प्रतिधारण राशि/ प्रतिभूति	1,152.33	-	1,152.33
(ii) परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम	14,344.73	482.94	13,861.79
4. अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
(i) दी गई प्रतिभूति जमा	122.08	-	122.08
(ii) कर्मचारियों को ऋण	22.98	22.98	-
(iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	135.81	-	135.81
5. नकद और बैंक शेष	25,967.34	25,967.34	-
कुल	**79,475.25**	**47,918.38**	**31,556.87**

46. कार्य प्रगति पर – अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत सेवाओं में निम्नलिखित मामले शामिल हैं–

(i) तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) के अंतर्गत एनएलएमए परियोजना के लिए वेतन, परामर्शी सेवा, गृहरक्षण सेवा आदि पर 182.82 लाख रु. की राशि खर्च की गई है। प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2021–22 में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) से बकाया राशि की वसूली कर ली जाएगी।

(ii) तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) के तहत एनपीआईयू परियोजना कर्मचारियों के लिए व्यय किए गए उपदान व्यय के लिए 121.23 लाख रु. की राशि को मान्य किया गया है। वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 के उपदान व्यय को चालू वित्त वर्ष 2020–21 में अंतरित किया गया है। प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2021–22 में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) से बकाया राशि की वसूली कर ली जाएगी।

(iii) 111.67 लाख रुपये की अन्य शेष राशि परियोजना खातों पर व्यय की गई है जो प्रगति पर है।

47. **कोविड–19 का प्रभाव** – कोविड–19 महामारी बड़ी आर्थिक और मानवीय हानि पहुंचाती रही है जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी हुई है। कंपनी के मामले में महामारी ने कारोबार (टर्न ओवर) को प्रभावित नहीं किया और यह 32,624.49 लाख सीपीएल से बढ़कर 33,282.88 लाख रुपये हो गया। परंतु निम्नलिखित दो कारणों से मुनाफे के मार्जिन पर प्रभाव पड़ा है:

- ऑनलाइन परीक्षण और सेवाओं (ओटीएएस) के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13.65% की कमी आई है क्योंकि वित्त वर्ष के बड़े हिस्से में राष्ट्रव्यापी लाकडाउन लगा था।
- विश्व भर में लाकडाउन लगाए जाने के कारण डीईएस विभाग के समुद्र पार व्यापार (ओवरसीज बिजनेस) में भारी कमी आई है।

महामारी की प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चतता को देखते हुए महामारी के प्रभाव का आंकलन एक सतत प्रक्रिया है। निर्णय और अनुमान लगाने में विवेक के सिद्धांत का प्रयोग कर कंपनी आशा करती है कि व्यापार के प्रचालन की सतत पर दीर्घकालिक आधार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही कंपनी आशा करती है कि परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋणों, व्यापार प्राप्य आदि से जुड़ी धनराशि की वसूली कर ली जाएगी। साथ ही, इसके कैपेक्स या कार्यशील जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और इसलिए तरलता को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं है।

48. सेगमेंट रिपोर्टिंग

(क) कंपनी ने एएस–17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित व्यापारिक क्षेत्रों की प्राथमिक सेगमेंट के रूप में पहचान की है।

(क) डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस)

(ख) ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस)

(ग) तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)

(घ) अन्य

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	राजस्व		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	7,868.39	6,007.08
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	16,510.20	19,118.20
	तकनीकी सहायता समूह	4,668.80	5,601.93
	अन्य	4,235.49	1,897.28
	कुल	**33,282.88**	**32,624.49**
2	व्यय		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	7,230.01	4,650.70
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	12,009.39	12,607.55
	तकनीकी सहायता समूह	4,139.94	5,024.47
	अन्य	3,063.43	1,594.46
	कुल	**26,442.77**	**23,877.18**
3	**शुद्ध परिणाम**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	638.38	1,356.38
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	4,500.81	6,510.65
	तकनीकी सहायता समूह	528.86	577.46
	अन्य	1,172.06	302.82
	कुल	**6,840.11**	**8,747.31**
	जोड़ें : अन्य आय	1,027.90	620.20
	घटाएं : अनाबंटित व्यय	2,924.36	3,748.14
	कर से पहले शुद्ध लाभ	**4,943.65**	**5,619.37**
	घटाएं : कर व्यय	1,255.00	1,527.14
	कर के बाद मुनाफा	**3,688.65**	**4,092.23**
4	**31 मार्च, 2021 को कुल आस्तियां**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	6,559.94	6,174.96
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	11,225.63	5,666.38
	तकनीकी सहायता समूह	68.90	881.00
	अन्य	1,052.00	1,438.24

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	अनावंटित	38,589.53	31,199.54
	कुल	**57,496.00**	**45,360.12**
5	**31 मार्च, 2020 को कुल देयताएं**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	5,765.81	9,428.29
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	8,112.72	5,235.87
	तकनीकी सहायता समूह	187.17	242.02
	अन्य	4,770.58	1,154.10
	अनावंटित	21,359.69	14,426.39
	कुल	**40,195.97**	**30,486.67**

(ख) कंपनी ने एएस –17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों की द्वितीयक सेगमेंट के रूप में पहचान की है।

(क) मारीशस

(ख) अन्य

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
	मॉरीशस	894.91	4,205.44
	अन्य	32,387.97	28,419.05
	कुल	**33,282.88**	**32,624.49**
2	**व्यय**		
	मॉरीशस	605.39	3,642.77
	अन्य	25,837.39	20,234.40
	अनावंटित	3,019.22	3,752.01
	कुल	**29,462.00**	**27,629.18**
3	**31 मार्च, 2021 को कुल परिसंपत्तियां**		
	मॉरीशस	514.02	2,312.56
	अन्य	18,379.66	11,848.02
	अनावंटित	38,602.32	31,199.55
	कुल	**57,496.00**	**45,360.12**
4	**31 मार्च, 2021 को कुल देनदारियां**		
	मॉरीशस	769.76	3,128.89
	अन्य	18,066.54	12,931.39
	अनावंटित	21,359.67	14,426.40
	कुल	**40,195.97**	**30,486.68**

49. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां भी आवश्यक समझा गया चालू वर्ष के अनुरूप हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निधारित किए गए हैं।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 49 तक महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखों की टिप्पणियां शामिल है जो वित्तीय विवरण के अनिवार्य भाग को दर्शाती हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते केपीएमसी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005359सी

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त) और सीएफओ

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक – मंडल की ओर से

हस्ता/–
राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 075604

हस्ता/–
मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08636099

हस्ता/–
प्रदीप कुमार पाण्डेय
सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 09284029

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.08.2021

एडसिल में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां

एडसिल की सीएसआर गतिविधियां

एडसिल में टीम बनाना

अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल के साथ एडसिल का संवाद

एडसिल में स्वतंत्रता दिवस समारोह

"विजन और आकांक्षा को बढ़ावा देने
तथा प्रत्येक विद्यार्थी को परिवर्तन का
एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु
ज्ञान के नए केन्द्रों का सृजन करना"

एडसिल EdCIL ™
Education • Innovation • Transformation

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
भारत सरकार का एक मिनी रत्न
श्रेणी-I, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम
सीआईएन–यू74899डीलएल1981जीओआई011882
एडसिल हाउस, 18ए, सेक्टर–16ए, नोएडा–201301 (उ.प्र.)
दूरभाष: 0120-4156001-002, 4154003, 2970206-07 | फैक्स: 0120-2970209
वेबसाइट: www.edcilindia.co.in | ई–मेल: edcilsupport@edcil.co.in

Parnam Advertising & Marketing